खण्ड-115, अंक-1
सोमवार, 24 अग्रहायण, शक संवत् 1874
(15 दिसम्बर, 1952 ई0)

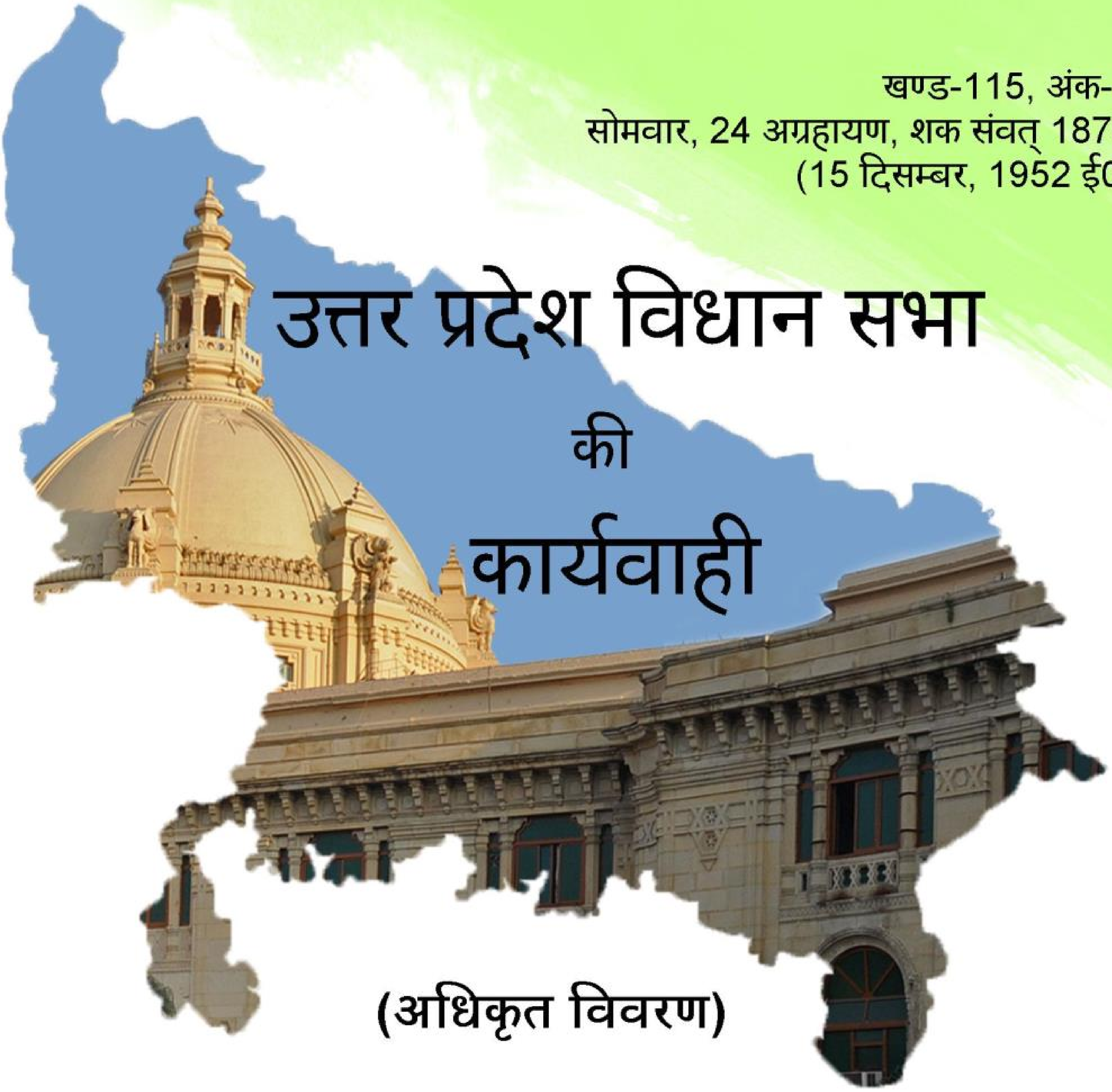

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 115 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

खण्ड ११४

सोमवार, १५ दिसम्बर, १९५२

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	१—४
प्रश्नोत्तर	५—११
अगले सप्ताह का कार्यक्रम	११
पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधयक, १९५२ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)...	११
इलाहाबाद यूनीवर्सिटी कोर्ट के एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	१२
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ (विचार जारी)	१२-७४
नत्थियां	७५-८०

मंगलवार, १६ दिसम्बर, १९५२

उपस्थित सदस्यों की सूची	८१-८५
प्रश्नोत्तर	८५-९०
दंत-साजों द्वारा दांतों की बिक्री पर कर	९०
शरणार्थी स्थायी समिति के निर्वाचन का कार्यक्रम ..	९०
श्री राजनारायण के ९ दिसम्बर, १९५२ के भाषण के कुछ अंशों पर स्वशासन मंत्री द्वारा उठाई गई आपत्ति (विचार जारी) ..	९०
श्री रूमूलू की मद्रास में मृत्यु (प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)..	९१
श्री राजनारायण के ९ दिसम्बर, १९५२ के भाषण के कुछ अंशों पर स्वशासन मंत्री द्वारा उठाई गई आपत्ति (विचार समाप्त—श्री अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था १७ दिसम्बर, १९५२ के लिये स्थगित रखी) ..	९१-१०५
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ (विचार जारी)	१०६-१४६
बैठक का कार्यकाल बढ़ाने के संबन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१४६-१४७
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ (विचार जारी) ..	१४७-१५०

बुधवार, १७ दिसम्बर, १९५२

उपस्थित सदस्यों की सूची	१५१-१५५
प्रश्नोत्तर	१५५-१६०

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री राजनारायण के ९ दिसम्बर, १९५२ के भाषण के कुछ अंशों पर स्वशासन मंत्री द्वारा उठायी गई आपत्ति (श्री अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था पुनः अगले दिन के लिये स्थगित की)	१६०
मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के निर्वाचन के संबन्ध में घोषणा	१६०–१६२
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ (विचार जारी) ..	१६२–२१६
बृहस्पतिवार, १८ दिसम्बर, १९५२	
उपस्थित सदस्यों की सूची	२१७–२२१
प्रश्नोत्तर	२२१–२२५
किसी गांव में कथित अत्याचार के संबन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	२२५
श्री राजनारायण के ९ दिसम्बर, १९५२ के भाषण के कुछ अंशों पर स्वशासन मंत्री द्वारा उठाई गई आपत्ति पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था ..	२२५–२२९
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ..	२२९
विरोधी दल के सदस्यों द्वारा सभा त्याग करने पर आपत्ति ..	२३०
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ (विचार जारी)	२३०–२७९
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर विवादार्थ समय निर्धारित करने के संबन्ध में संकल्प की सूचना ..	२७९–२८०
शुक्रवार, १९ दिसम्बर, १९५२	
उपस्थित सदस्यों की सूची	२८१–२८५
प्रश्नोत्तर	२८६–२९३
शरणार्थी स्थायी समिति के लिये नाम निर्देशित सदस्यों के नामों की घोषणा	२९३
इलाहाबाद युनिवर्सिटी कोर्ट के एक रिक्त स्थान पर निर्वाचित सदस्य के नाम की घोषणा	२९४
उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५२ ..	२९४
श्री राजनारायण के ९ दिसम्बर, १९५२ के भाषण पर उठायी गयी आपत्ति के संबंध में १८ दिसम्बर, १९५२ को दी गयी व्यवस्था का श्री अध्यक्ष द्वारा स्पष्टीकरण	२९४–२९६
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधयक, १९५२ पर विवादार्थ समय निर्धारित करने के संबंध म संकल्प (प्रस्थापन स्थगित) ..	२९६–३०५
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ (विचार जारी)	३०५–३१५
शनिवार, २० दिसम्बर, १९५२ को सदन की बठक करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	३१५–३१७
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ (विचार जारी)	३१७–३५२
१९ तथा २० दिसम्बर, १९५२ को रात के ६ से ९ बजे तक पुनः सदन की बैठक करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (निश्चय हुआ कि सदन का समय न बढ़ाया जाय और २० दिसम्बर, १९५२ को भी बैठक न हो) ..	३५२–३५५
नत्थियां	३५६–३५९

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी।

मंत्रि-परिषद्

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन सहकारिता और नियोजन मंत्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, वित्त तथा विद्युत् मंत्री।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, एम० एल० ए०, गृह तथा श्रम मंत्री।

श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, उद्योग तथा पुनर्वासन मन्त्री।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, एम० एल० ए०, निर्माण मन्त्री।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, स्वास्थ्य तथा अन्न मंत्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार-ऐट-ला, एम० एल० ए०, न्याय तथा मादक-कर मंत्री।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, माल तथा कृषि मंत्री।

श्री हरगोविन्द सिंह, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री।

श्री मोहनलाल गौतम, बी० ए० (आनर्स), एम० एल० ए०, स्वशासन मन्त्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, एम० एल० ए०, सूचना तथा सिंचाई मन्त्री।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, एम० एल० ए०, परिवहन मन्त्री।

उपमंत्री

श्री मंगलाप्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सहकारिता उपमंत्री।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, वन उपमंत्री।

श्री फूलसिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, नियोजन उपमंत्री।

श्री जगनप्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, कृषि उपमंत्री।

श्री मुजफ्फर हसन, एम० एल० ए०, गृह उपमंत्री।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सिंचाई उपमंत्री।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, निर्माण उपमंत्री।

सभा-सचिव

मुख्य मंत्री के सभा सचिव

श्री कृपाशंकर, एम० एल० ए०।

अन्न मंत्री के सभा सचिव

१--श्री बलदेव सिंह आर्य, एम० एल० ए०।

२--श्री बनारसीदास, एम० एल० ए०।

उद्योग मन्त्री के सभा सचिव

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी, एम० ए०, एम० एल० ए०।

माल मन्त्री के सभा सचिव

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य, बी० ए०, एम० एल० ए०।

शिक्षा मन्त्री के सभा सचिव

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस), पी० एच० डी०, एम० एल० ए०।

बिधान सभा पुर्वेश

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१—अंसमान सिंह, श्री	...	बस्ती (पूर्व)
२—अक्षयवर सिंह, श्री	...	गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
३—अजीज इमाम, श्री	...	मिर्जापुर (दक्षिण)
४—अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री	...	रुड़की (दक्षिण)
५—अनन्तस्वरूप सिंह, श्री	...	फतेहपुर (दक्षिण)-खागा (दक्षिण)
६—अब्दुल मुईज खां, श्री	..	खलीलाबाद (मध्य)
७—अब्दुल रऊफ खां, श्री	...	फतेहपुर (पूर्व)-खागा (उत्तर)
८—अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री	...	मिर्जापुर (उत्तर)
९—अमृतनाथ मिश्र, श्री	...	उतरौला (दक्षिण)
१०—अली जहीर, श्री सैयद	...	लखनऊ नगर (मध्य)
११—अवधशरण वर्मा, श्री	...	फतेहपुर (उत्तर)
१२—अवधेशचन्द्र सिंह, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)-फर्रुखाबाद (पूर्व)
१३—अवधेश प्रताप सिंह, श्री	...	बीकापुर (पूर्व)
१४—अशरफ अली खां, श्री	...	सादाबाद (पूर्व)
१५—आत्माराम गोविंद खेर, श्री	...	झांसी (पूर्व)
१६—आर्थर ग्राईस, श्री	...	नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय
१७—आशालता व्यास, श्रीमती	...	फूलपुर (दक्षिण)
१८—इर्तिजा हुसैन, श्री	...	बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)
१९—इसरारुल हक, श्री	...	फिरोजाबाद-फतेहाबाद
२०—इस्तफा हुसैन, श्री	...	गोरखपुर (मध्य)
२१—उमाशंकर, श्री	...	सगरी (पश्चिम)
२२—उमाशंकर तिवारी, श्री	...	चंदौली (दक्षिण-पश्चिम) -रामनगर
२३—उमाशंकर मिश्र, श्री	...	नवाबगंज (दक्षिण)-हैदरगढ़ -रामसनेही घाट।
२४—उम्मेद सिंह, श्री	...	उतरौला (उत्तर-पूर्व)
२५—उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री	...	ऐतमादपुर-आगरा (पूर्व)
२६—ऐजाज रसूल, श्री	...	शाहाबाद (पश्चिम)
२७—ओंकार सिंह, श्री	...	दातागंज (उत्तर)-बदायूं
२८—कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री	...	शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
२९—कमलापति त्रिपाठी, श्री	...	चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०—कमला सिंह, श्री	...	सैदपुर
३१—कमाल अहमद रिजवी, श्री	...	मोहमदी (पूर्व)
३२—करण सिंह यादव, श्री	...	गुन्नौर (उत्तर)
३३—करन सिंह, श्री	...	निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
३४—कल्याण राय, श्री	...	हजूर मिलक (उत्तर)
३५—कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री	...	चंदौली (उत्तर)
३६—कालिका सिंह, श्री	...	लालगंज (दक्षिण)
३७—कालीचरण टण्डन, श्री	...	कन्नौज (उत्तर)
३८—काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री	...	कादीपुर
३९—किन्दरलाल, श्री	...	हरदोई (पूर्व)
४०—किशन स्वरूप भटनागर, श्री	...	खुर्जा
४१—कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री	...	सुल्तानपुर (पश्चिम)
४२—कृपाशंकर, श्री	...	हरैया (पूर्व)-बस्ती (पश्चिम)

४३--कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री	..	सीतापुर (दक्षिण-पूर्व)
४४--कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री	...	ललितपुर (दक्षिण)
४५--कृष्ण शरण आर्य, श्री	...	मिलक (दक्षिण)--शाहाबाद
४६--केदारनाथ, श्री	..	मुरादाबाद (दक्षिण)
४७--केवल सिंह, श्री	..	सिकन्दराबाद (पूर्व)
४८--केशभान राय, श्री	..	बांसगांव (मध्य)
४९--केशव गुप्त, श्री	..	कैराना (उत्तर)
५०--केशव पाण्डेय, श्री	...	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
५१--केशवराम, श्री	...	सहसवान (पूर्व)
५२--कैलाशप्रकाश, श्री	...	मेरठ नगरपालिका
५३--खयालीराम, श्री	...	अमरोहा (पूर्व)
५४--खुशीराम, श्री	...	पिथौरागढ़--चम्पावत
५५--खूब सिंह, श्री	...	धामपुर (उत्तर-पूर्व)--नगीना (पूर्व)
५६--गंगाधर, श्री	..	चमोली (पश्चिम)--पौड़ी (उत्तर)
५७--गंगाधर जाटव, श्री	..	फीरोजाबाद--फतेहाबाद
५८--गंगाधर शर्मा, श्री	...	मिश्रिख
५९--गंगाप्रसाद, श्री	...	तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)--गोंडा (दक्षिण)
६०--गंगाप्रसाद सिंह, श्री	..	रसरा (पश्चिम)
६१--गजेन्द्र सिंह, श्री	...	बिधूना (पूर्व)
६२--गज्जूराम, श्री	...	मऊ-मोठ (दक्षिण)--झांसी (पश्चिम)--ललितपुर (उत्तर)।
६३--गणेशचन्द्र काछी, श्री	..	मैनपुरी (उत्तर)--भोगांव (उत्तर)
६४--गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री	...	इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६५--गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री	...	बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
६६--गिरजा रमण शुक्ल, श्री	...	पट्टी (दक्षिण)
६७--गिरधारी लाल, श्री	...	धामपुर (उत्तर-पूर्व)--नगीना (पूर्व)
६८--गुप्तार सिंह, श्री	...	डलमऊ (दक्षिण-पश्चिम)
६९--गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री	...	खजुहा (पश्चिम)
७०--गुरुप्रसाद सिंह, श्री	...	मुसाफिरखाना (दक्षिण)--अमेठी (पश्चिम)
७१--गुलजार, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)--सुल्तानपुर (उत्तर)
७२--गेंदा सिंह, श्री	...	पडरौना (पूर्व)
७३--गोपीनाथ दीक्षित, श्री	...	इटावा (दक्षिण)
७४--गोवर्धन तिवारी, श्री	...	अल्मोड़ा (दक्षिण)
७५--गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री	...	बरेली नगरपालिका
७६--गौरीराम, श्री	...	फरेंदा (मध्य)
७७--घनश्यामदास, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)--हैदरगढ़--रामसनेही-घाट
७८--घासीराम जाटव, श्री	...	बिधूना (पश्चिम)--भरथना (उत्तर)--इटावा (उत्तर)
७९--चतुर्भुज शर्मा, श्री	..	उरई--जालौन (दक्षिण)
८०--चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री	...	डलमऊ (पूर्व)
८१--चन्द्रभानु गुप्त, श्री	...	लखनऊ नगर (पूर्व)
८२--चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री	...	तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)--गोंडा (दक्षिण)
८३--चन्द्रवती, श्रीमती	...	बिजनौर (मध्य)
८४--चन्द्रसिंह रावत, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)--चमोली (पूर्व)
८५--चन्द्रहास, श्री	...	हरदोई (पूर्व)

८६—चरण सिंह, श्री ... बागपत (पश्चिम)
८७—चित्तर सिंह निरंजन, श्री ... कोंच
८८—चिरंजीलाल जाटव, श्री ... जलेसर एटा (उत्तर)
८९—चिरंजीलाल पालीवाल, श्री ... छिबरामऊ (दक्षिण)-कन्नौज (दक्षिण)
९०—चुन्नीलाल सगर, श्री ... बिसौली-गुन्नौर (पूर्व)
९१—छेदालाल, श्री ... शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
९२—छेदालाल चौधरी, श्री ... लखीमपुर (दक्षिण)
९३—जगतनारायण, श्री ... नवाबगंज (उत्तर)
९४—जगदीश प्रसाद, श्री ... हसनपुर (दक्षिण)-सम्भल (पश्चिम)
९५—जगदीशसरन रस्तोगी, श्री .. सम्भल (पूर्व)
९६—जगनप्रसाद रावत, श्री ... खैरगढ़
९७—जगन्नाथ प्रसाद, श्री ... निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
९८—जगन्नाथबख्श दास, श्री ... रामसनेही घाट
९९—जगन्नाथ मल्ल, श्री ... पडरौना (उत्तर)
१००—जगन्नाथ सिंह, श्री ... बलिया (उत्तर-पूर्व)-बांसडीह (दक्षिण-पश्चिम)
१०१—जगपति सिंह, श्री ... मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१०२—जगमोहन सिंह नेगी, श्री ... लैन्सडाउन (पश्चिम)
१०३—जटाशंकर शुक्ल, श्री ... पुरवा (उत्तर)-हसनगंज
१०४—जयपाल सिंह, श्री ... रुड़की (पश्चिम)-सहारनपुर (उत्तर)
१०५—जयराम वर्मा, श्री ... अकबरपुर (पश्चिम)
१०६—जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री ... खेन-टेहरी (उत्तर)
१०७—जवाहरलाल, श्री .. करछना (उत्तर)-चायल(दक्षिण)
१०८—जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर ... कानपुर नगर (पूर्व)
१०९—जुगलकिशोर, श्री ... मथुरा (दक्षिण)
११०—जोरावर वर्मा, श्री ... महोबा कुलपहाड़-चरखारी
१११—ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री ... गोंडा (पश्चिम)
११२—झारखण्डे राय, श्री ... घोसी (पश्चिम)
११३—टीकाराम, श्री .. संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
११४—डल्लाराम, श्री .. मिश्रिख
११५—डालचन्द, श्री ... माट-सादाबाद (पश्चिम)
११६—ताराचन्द माहेश्वरी, श्री ... सिधौली (पश्चिम)
११७—तिरमल सिंह, श्री ... कासगंज (उत्तर)
११८—तुलसीराम, श्री ... बदायूं (दक्षिण-पश्चिम)
११९—तुलाराम, श्री ... औरैया-भरथना (दक्षिण)
१२०—तुलाराम रावत, श्री ... मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
१२१—तेजप्रताप सिंह, श्री ... मौदहा (दक्षिण)
१२२—तेजबहादुर, श्री ... लालगंज (उत्तर)
१२३—तेजासिंह, श्री ... गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम)
१२४—त्रिलोकीनाथ कौल, श्री ... बहराइच (पश्चिम)
१२५—दयालदास भगत, श्री ... घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
१२६—दर्शनराम, श्री ... मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१२७—दलबहादुर सिंह, श्री ... सलोन(दक्षिण)
१२८—दाऊदयाल खन्ना, श्री ... मुरादाबाद (उत्तर)
१२९—दाताराम, श्री ... नकुड़ (दक्षिण)

१३०—दीनदयालु शर्मा, श्री ... अनूपशहर (उत्तर)
१३१—दीनदयालु शास्त्री, श्री ... रुड़की (पूर्व)
१३२—दीपनारायण वर्मा, श्री ... जौनपुर (पश्चिम)
१३३—देवकी नन्दन विभव, श्री .. आगरा
१३४—देवदत्त मिश्र, श्री ... पुरवा (दक्षिण)
१३५—देवदत्त शर्मा, श्री ... बुलन्दशहर (दक्षिण)-अनूपशहर (दक्षिण)
१३६—देवनन्दन शुक्ल, श्री ... सलीमपुर (पश्चिम)
१३७—देवमूर्ति राम, श्री ... बनारस (पश्चिम)
१३८—देवराम, श्री ... सैदपुर
१३९—देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री ... गोरखपुर (पश्चिम)
१४०—द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री ... मुजफ्फरनगर (मध्य)
१४१—द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री .. मड़ियाहूं (उत्तर)
१४२—द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री ... फरेंदा (दक्षिण)
१४३—धनुषधारी पाण्डेय, श्री .. खलीलाबाद (दक्षिण)
१४४—धर्म सिंह, श्री ... बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)
१४५—धर्मदत्त वैद्य, श्री ... बहेड़ी (दक्षिण-पश्चिम)—बरेली (पश्चिम)
१४६—नत्थू सिंह, श्री .. आगरा (पूर्व)—फरीदपुर
१४७—नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री ... हाथरस
१४८—नरदेव शास्त्री, श्री ... पश्चिमीय दून—दक्षिण—पूर्वीय दून
१४९—नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री ... पिथौरागढ़—चम्पावत
१५०—नरोत्तम सिंह, श्री ... दातागंज (दक्षिण)—बदायूं (दक्षिण-पूर्व)
१५१—नवल किशोर, श्री ... आंवला (पश्चिम)
१५२—नागेश्वर द्विवेदी, श्री ... मछलीशहर (उत्तर)
१५३—नाजिम अली, श्री ... मुसाफिरखाना (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर)।
१५४—नारायणदत्त तिवारी, श्री .. नैनीताल (उत्तर)
१५५—नारायण दास, श्री ... फैजाबाद (पूर्व)
१५६—नारायणदीन, श्री ... पवायां—शाहजहांपुर (पूर्व)
१५७—निरंजन सिंह, श्री ... पीलीभीत (पूर्व)—बांसलपुर (पश्चिम)
१५८—निहालुद्दीन, श्री ... बदायूं (उत्तर)
१५९—नेकराम शर्मा, श्री ... सिकन्दराराव (दक्षिण)
१६०—नेत्रपाल सिंह, श्री ... सिकन्दराराव (उत्तर)—कोइल (दक्षिण-पूर्व)।
१६१—नौरंगलाल, श्री ... नवाबगंज
१६२—पद्मनाथ सिंह, श्री ... मुहम्मदाबाद—गोहना (दक्षिण)
१६३—परमानन्द सिन्हा, श्री ... सोरांव (दक्षिण)
१६४—परमेश्वरी राम, श्री ... केराकत—जौनपुर (दक्षिण)
१६५—परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री ... महाराजगंज (उत्तर)
१६६—पहलवान सिंह चौधरी, श्री ... बांदा
१६७—पार्तीराम, श्री ... छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)
१६८—पुत्तूलाल, श्री .. एतमादपुर-आगरा (पूर्व)
१६९—पुद्दनराम, श्री ... बांसी (उत्तर)
१७०—पुलिनविहारी बनर्जी, श्री ... लखनऊ नगर (पश्चिम)
१७१—प्रकाशवती सूद, श्रीमती ... हापुड़ (उत्तर)
१७२—प्रतिपाल सिंह, श्री ... शाहजहांपुर (पश्चिम)—जलालाबाद (पूर्व)
१७३—प्रभाकर शुक्ल, श्री ... हरैया (उत्तर-पश्चिम)

१७४—प्रभुदयाल, श्री ... बस्ती (पश्चिम)
१७५—प्रेमकिशन खन्ना, श्री ... पवायां—शाहजहांपुर (पूर्व)
१७६—फजलुल हक़, श्री ... रामपुर नगर
१७७—फतेह सिंह, श्री ... जलेसर—एटा (उत्तर)
१७८—फतेह सिंह राणा, श्री ... सरधना (पश्चिम)
१७९—फूल सिंह, श्री ... देवबन्द
१८०—बद्रीनारायण मिश्र, श्री ... सलीमपुर (दक्षिण)
१८१—बनारसी दास, श्री .. बुलन्दशहर (मध्य)
१८२—बलदेव सिंह, श्री ... बनारस (मध्य)
१८३—बलदेव सिंह आर्य, श्री ... पौड़ी (दक्षिण)—चमोली (पूर्व)
१८४—बलवीर सिंह, श्री ... गाजियाबाद (दक्षिण)
१८५—बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री ... उतरौला (उत्तर)
१८६—बलवन्त सिंह, श्री ... मुजफ्फरनगर (पूर्व)—जानसठ (उत्तर)
१८७—बशीर अहमद हकीम, श्री ... सीतापुर (पूर्व)
१८८—बसन्तलाल, श्री ... कालपी—जालौन (उत्तर)
१८९—बसन्तलाल शर्मा, श्री ... नानपारा (उत्तर)
१९०—बाबूनन्दन, श्री ... शाहगंज (पूर्व)
१९१—बाबूराम गुप्त, श्री ... कासगंज (पश्चिम)
१९२—बाबूलाल कुसुमेश, श्री ... रामसनेहीघाट
१९३—बाबूलाल मीतल, श्री ... आगरा नगर (उत्तर)
१९४—बालेन्दुशाह, महाराजकुमार ... टेहरी (दक्षिण)—प्रतापनगर
१९५—बिशम्भर सिंह, श्री ... सरधना (पूर्व)
१९६—बेचनराम, श्री ... ज्ञानपुर (उत्तर—पश्चिम)
१९७—बेचनराम गुप्त, श्री ... ज्ञानपुर (पूर्व)
१९८—बेनीसिंह, श्री ... कानपुर तहसील
१९९—बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री ... बांसडीह (मध्य)
२००—बैजूराम, श्री ... सिधौली (पश्चिम)
२०१—ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री ... कानपुर नगर (दक्षिण)
२०२—भगवतीदीन तिवारी, श्री ... जौनपुर (उत्तर)—शाहगंज (पश्चिम)
२०३—भगवतीप्रसाद दुबे, श्री ... बांसगांव (पूर्व)—गोरखपुर (दक्षिण)
२०४—भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री ... प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०५—भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री ... फतेहपुर (दक्षिण)
२०६—भगवानदीन मिश्र, श्री ... केसरगंज (उत्तर)
२०७—भगवानदीन वाल्मीकि, श्री ... फतहपुर (दक्षिण)—खागा (दक्षिण)
२०८—भगवान सहाय, श्री ... तिलहर (दक्षिण)
२०९—भीमसेन, श्री ... खुर्जा
२१०—भुवरजी, श्री ... फूलपुर (पूर्व)—हंडिया (उत्तर—पश्चिम)
२११—भूपाल सिंह खाती, श्री ... अल्मोड़ा (उत्तर)
२१२—भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री .. बांसगांव (दक्षिण—पूर्व)
२१३—भोला सिंह यादव, श्री .. गाजीपुर (दक्षिण—पश्चिम)
२१४—मकसूद आलम खां, श्री ... पीलीभीत (पश्चिम)
२१५—मंगलाप्रसाद, श्री ... मेजा—करछना (दक्षिण)
२१६—मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री ... फर्रुखाबाद (पश्चिम)—छिबरामऊ
२१७—मथुराप्रसाद पान्डेय, श्री ... बांसी (उत्तर)
२१८—मदनगोपाल वैद्य, श्री ... फैजाबाद (पूर्व)
२१९—मदनमोहन उपाध्याय, श्री ... रानीखेत (उत्तर)

२२०—मन्नीलाल गुरुदेव, श्री ... महोबा–कुलपहाड़–चरखारी
२२१—मलखान सिंह, श्री .. कोइल (मध्य)
२२२—महमूद अली खां, श्री ... सुमर–टांडा–बिलासपुर
२२३—महमूद अली खां, श्री ... सहारनपुर (उत्तर–पश्चिम)–नकुड़(उत्तर)
२२४—महाजन, श्री सी० बी० ... आगरा नगर (पश्चिम)
२२५—महादेव प्रसाद, श्री ... गोरखपुर (उत्तर–पूर्व)
२२६—महाराज सिंह, श्री ... शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२७—महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री ... हंडिया (दक्षिण)
२२८—महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री ... मोहनलाल गंज
२२९—महीलाल, श्री ... बिलारी
२३०—मान्धाता सिंह, श्री ... रसरा (पूर्व)–बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
२३१—मिजाजी लाल, श्री ... करहल (पूर्व)–भोगांव (दक्षिण)
२३२—मिहरबान सिंह, श्री ... विधूना (पश्चिम)–भरथना (उत्तर)–इटावा (उत्तर)
२३३—मुजफ्फर हसन, श्री ... चायल (उत्तर)
२३४—मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री ... पूरनपुर–बीसलपुर (पूर्व)
२३५—मुन्नूलाल, श्री ... बिसवां–सिधौली (पूर्व)
२३६—मुरलीधर कुरील, श्री ... बिल्हौर–अकबरपुर
२३७—मुश्ताक अली खां, श्री ... सहसवान (पश्चिम)
२३८—मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री ... डुमरियागंज (दक्षिण)
२३९—मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री ... बिजनौर (उत्तर)–नजीबाबाद (पश्चिम)
२४०—मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री .. बनारस नगर (उत्तर)
२४१—मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज ... नगीना (दक्षिण-पश्चिम)-धामपुर (उत्तर-पूर्व)
२४२—मुहम्मद तक़ी हादी, श्री ... अमरोहा (पश्चिम)
२४३—मुहम्मद नबी, श्री ... बुढ़ाना (पूर्व)–जानसठ (दक्षिण)
२४४—मुहम्मद नसीर, श्री ... टांडा
२४५—मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री ... देवरिया (उत्तर–पूर्व)
२४६—मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री ... सहारनपुर नगर
२४७—मुहम्मद रऊफ जाफ़री, श्री ... मछलीशहर (दक्षिण)
२४८—मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री ... उतरौला (मध्य)
२४९—मुहम्मद सआदत अली खां, राजा नानपारा (दक्षिण)
२५०—मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री ... डुमरियागंज (उत्तर–पूर्व)–बांसी (पश्चिम)
२५१—मोहनलाल, श्री ... सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)
२५२—मोहनलाल गौतम, श्री ... खैर-कोइल (उत्तर–पश्चिम)
२५३—मोहन सिंह, श्री ... बुलन्दशहर (उत्तर–पूर्व)
२५४—मोहन सिंह शाक्य, श्री ... अलीगंज (दक्षिण)
२५५—यमुनाप्रसाद, श्री ... बहराइच (पश्चिम)
२५६—यमुना सिंह, श्री ... गाजीपुर (मध्य)–मुहम्मदाबाद (उत्तर–पश्चिम)
२५७—यशोदा देवी, श्रीमती ... बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
२५८—रघुनाथप्रसाद, श्री ... मेजा–करछना (दक्षिण)
२५९—रघुराज सिंह, श्री ... तरबगंज (पश्चिम)
२६०—रघुवीर सिंह, श्री ... बागपत (दक्षिण)
२६१—रणञ्जय सिंह, श्री ... अमेठी (मध्य)
२६२—रतनलाल जैन, श्री ... नजीबाबाद (उत्तर)–नगीना (उत्तर)
२६३—रमानाथ खैरा, श्री ... महरौनी

२६४—रमेशचन्द्र शर्मा, श्री ... मड़ियाहू (दक्षिण)
२६५—रमेश वर्मा, श्री ... किराउली
२६६—राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा .. उतरौला (दक्षिण-पश्चिम)
२६७—राजकिशोर राव, श्री ... बहराइच (पूर्व)
२६८—राजकुमार शर्मा, श्री ... चुनार (उत्तर)
२६९—राजदेव उपाध्याय, श्री ... हाटा (उत्तर)
२७०—राजनारायण, श्री .. बनारस (दक्षिण)
२७१—राजनारायण सिंह, श्री ... चुनार (दक्षिण)
२७२—राजवंशी, श्री ... पडरौना (दक्षिण-पश्चिम)-देवरिया (दक्षिण-पूर्व)
२७३—राजाराम, श्री ... अतरौली (दक्षिण)-कोइल (पूर्व)
२७४—राजाराम किसान, श्री ... प्रतापगढ़ (पश्चिम)-कुण्डा (उत्तर)
२७५—राजाराम मिश्र, श्री ... फैजाबाद (पश्चिम)
२७६—राजाराम शर्मा, श्री ... खलीलाबाद (उत्तर)
२७७—राजेन्द्रदत्त, श्री .. मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
२७८—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री ... बिलग्राम (पूर्व)
२७९—राधामोहन सिंह, श्री ... बलिया (पूर्व)
२८०—रामअधार तिवारी, श्री .. प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)-पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२८१—रामअधीन सिंह यादव, श्री .. पुरवा (मध्य)
२८२—रामअनन्त पाण्डेय, श्री ... बलिया (मध्य)
२८३—रामअवध सिंह, श्री ... फरेंदा (उत्तर)
२८४—रामकिंकर, श्री ... प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)-पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२८५—रामकुमार शास्त्री, श्री .. बांसी (दक्षिण)
२८६—रामकृष्ण जैसवार, श्री .. मिर्जापुर (दक्षिण)
२८७—रामगुलाम सिंह, श्री ... जलालाबाद (पश्चिम)
२८८—रामचन्द्र विकल, श्री ... सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८९—रामचरनलाल गंगवार, श्री ... बरेली (पश्चिम)
२९०—रामजीलाल सहायक, श्री ... मवाना
२९१—रामजीसहाय, श्री ... देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)-हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
२९२—रामदास आर्य, श्री .. बुढ़ाना (पूर्व)-जानसठ (दक्षिण)
२९३—रामदास रविदास, श्री ... अकबरपुर (पश्चिम)
२९४—रामदुलारे मिश्र, श्री ... अकबरपुर (दक्षिण)
२९५—रामनरेश शुक्ल, श्री .. कुण्डा (दक्षिण)
२९६—रामनाथ तिवारी, श्री ... देवरिया (दक्षिण)
२९७—रामनारायण त्रिपाठी, श्री ... अकबरपुर (पूर्व)
२९८—रामप्रसाद, श्री .. रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
२९९—रामप्रसाद देशमुख, श्री .. खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
३००—रामप्रसाद नौटियाल, श्री .. लैन्सडाउन (पूर्व)
३०१—रामप्रसाद सिंह, श्री ... महाराजगंज (दक्षिण)
३०२—रामबली मिश्र, श्री ... सुल्तानपुर (पूर्व)-अमेठी (पूर्व)
३०३—रामभजन, श्री ... मोहम्मदी (पश्चिम)
३०४—राममूर्ति, श्री ... बहेड़ी (उत्तर-पूर्व)
३०५—रामरतन प्रसाद, श्री ... रसरा (पूर्व)-बलिया (दक्षिण-पश्चिम)

३०६—रामराज शुक्ल, श्री	...	पट्टी (पूर्व)
३०७—रामलखन, श्री	..	चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०८—रामलखन मिश्र, श्री	...	डुमरियागंज (उत्तर-पश्चिम)
३०९—रामलाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
३१०—रामवचन यादव, श्री	..	फूलपुर (दक्षिण)
३११—रामशंकर द्विवेदी, श्री	..	रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
३१२—रामशंकर रविवासी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
३१३—रामसनेही भारतीय, श्री	...	बबेरी (पश्चिम)
३१४—रामसहाय शर्मा, श्री	...	गरोधा-मोठ (उत्तर)
३१५—रामसुन्दर पाण्डेय, श्री	..	घोसी (पूर्व)
३१६—रामसुन्दरराम, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)
३१७—रामसुभग वर्मा, श्री	...	पडरौना (पश्चिम)
३१८—रामसुमेर, श्री	...	टांडा
३१९—रामस्वरूप, श्री	..	दूधी-राबर्ट्सगंज
३२०—रामस्वरूप गुप्त, श्री	...	भोगनीपुर (पश्चिम)-डेरापुर (दक्षिण)
३२१—रामस्वरूप भारतीय, श्री	..	कुण्डा (दक्षिण)
३२२—रामस्वरूप मिश्र "विशारद", श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)
३२३—रामहरख यादव, श्री	...	बीकापुर (पश्चिम)
३२४—रामहेत सिंह, श्री	..	छत्ता
३२५—रामेश्वरप्रसाद, श्री	...	महाराजगंज (पश्चिम)
३२६—लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	..	नैनीताल (दक्षिण)
३२७—लक्ष्मणराव कदम, श्री	..	मऊ-मोठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम)-ललितपुर (उत्तर)
३२८—लक्ष्मीदेवी, श्रीमती	..	संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
३२९—लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	...	माट-सादाबाद (पश्चिम)
३३०—लक्ष्मीशंकर यादव, श्री	...	शाहगंज (पूर्व)
३३१—लताफत हुसैन, श्री	...	हसनपुर (उत्तर)
३३२—लालबहादुर सिंह, श्री	...	केराकत-जौनपुर (दक्षिण)
३३३—लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री	...	बनारस (उत्तर)
३३४—लीलाधर अष्ठाना, श्री	...	उन्नाव (दक्षिण)
३३५—लुत्फअली खां, श्री	..	हापुड़ (दक्षिण)
३३६—लेखराज सिंह, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
३३७—वंशनारायण सिंह, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
३३८—वंशीदास धनगर, श्री	...	करहल (पश्चिम)-शिकोहाबाद (पूर्व)
३३९—वंशीधर मिश्र, श्री	...	लखीमपुर (दक्षिण)
३४०—वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	..	गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व)
३४१—वसी नकवी, श्री	...	महाराजगंज (पूर्व)-सलोन (उत्तर)
३४२—वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री	...	कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम)
३४३—विचित्रनारायण शर्मा, श्री	...	गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व)
३४४—विजयशंकर प्रसाद, श्री	...	मुहम्मदाबाद (दक्षिण)
३४५—विद्यावती राठौर, श्रीमती	..	एटा (पूर्व)-अलीगढ़ (पश्चिम)-कासगंज (दक्षिण)
३४६—विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री	..	गाजीपुर (पश्चिम)
३४७—विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, श्री	..	इलाहाबाद नगर (मध्य)
३४८—विष्णु दयाल वर्मा, श्री	...	जसराना

३४९—विष्णुशरण दुबिलश, श्री ... मवाना
३५०—वीरसेन, श्री ... हापुड़ (दक्षिण)
३५१—वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री ... बिलग्राम (पश्चिम)
३५२—वीरेन्द्रपति यादव, श्री ... मैनपुरी (दक्षिण)
३५३—वीरेन्द्र वर्मा, श्री ... कैराना (दक्षिण)
३५४—वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री ... नानपारा (पूर्व)
३५५—वीरेन्द्रशाह, राजा ... कालपी–जालौन (उत्तर)
३५६—व्रजभूषण मिश्र, श्री ... दूधी–राबर्टसगंज
३५७—व्रजरानी मिश्र, श्रीमती ... बिल्हौर–अकबरपुर
३५८—व्रजवासीलाल, श्री ... बीकापुर (मध्य)
३५९—व्रजविहारी मिश्र, श्री ... फूलपुर (उत्तर)
३६०—व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री ... घाटमपुर–भोगनीपुर (पूर्व)
३६१—शंकरलाल, श्री ... कादीपुर (मध्य)
३६२—शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री ... बाह
३६३—शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री . चकराता–पश्चिमी दून (उत्तर)
३६४—शिवकुमार पाण्डेय, श्री ... सिराथू–मन्झनपुर
३६५—शिवकुमार मिश्र, श्री ... तिलहर (उत्तर)
३६६—शिवकुमार शर्मा, श्री ... बिजनौर (दक्षिण)–धामपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३६७—शिवदान सिंह, श्री ... इगलास
३६८—शिवनाथ काटजू, श्री ... फूलपुर (मध्य)
३६९—शिवनारायण, श्री ... हरैया (पूर्व)–बस्ती (पश्चिम)
३७०—शिवपूजन राय, श्री ... मुहम्मदाबाद (उत्तर–पूर्व)
३७१—शिवप्रसाद, श्री ... हाटा (मध्य)
३७२—शिवमंगल सिंह, श्री ... बांसडीह (पश्चिम)
३७३—शिवमंगल सिंह कपूर, श्री ... डुमरियागंज (पश्चिम)
३७४—शिवराजबली सिंह, श्री .. खजुहा (पूर्व)–फतेहपुर (दक्षिण–पश्चिम)
३७५—शिवराज सिंह यादव, श्री ... बिसौली–गुन्नौर (पूर्व)
३७६—शिवराम पाण्डेय, श्री ... डोरापुर (उत्तर)
३७७—शिवराम राय, श्री ... सदर (आजमगढ़) उत्तर
३७८—शिववक्ष सिंह राठौर, श्री ... करहल (पूर्व)–भोगांव (दक्षिण)
३७९—शिववचन राव, श्री ... सलीमपुर (उत्तर)
३८०—शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री . बहराइच (पूर्व)
३८१—शिवस्वरूप सिंह, श्री ... ठाकुरद्वारा
३८२—शुकदेवप्रसाद, श्री ... महाराजगंज (दक्षिण)
३८३—शुगनचन्द, श्री ... रुड़की (पश्चिम)–सहारनपुर (उत्तर)
३८४—श्याममनोहर मिश्र, श्री ... मलिहाबाद–बाराबंकी (उत्तर–पश्चिम)
३८५—श्यामलाल, श्री ... उतरौला (उत्तर)
३८६—श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री ... नरैनी
३८७—श्रीचन्द, श्री ... बुढ़ाना (पश्चिम)
३८८—श्रीनाथ भार्गव, श्री ... मथुरा (उत्तर)
३८९—श्रीनाथराम, श्री ... मुहम्मदाबाद (उत्तर)–घोसी (दक्षिण)
३९०—श्रीनिवास, श्री ... उतरौली (उत्तर)
३९१—श्रीपति सहाय, श्री ... राठ
३९२—सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती .. कासगंज (पूर्व)–अलीगंज (उत्तर)
३९३—संग्राम सिंह, श्री ... सोरों (उत्तर)–फूलपुर (पश्चिम)

३९४—सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री ... सलीमपुर (पूर्व)
३९५—सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती ... गोंडा (पूर्व)
३९६—सत्यनारायण दत्त, श्री ... औरय्या-भरथना (दक्षिण)
३९७—सत्यसिंह राणा, श्री ... देवप्रयाग
३९८—सत्यानन्द, श्री ... सगरी (पूर्व)
३९९—सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती ... बरेली (पूर्व)
४००—सम्पूर्णानन्द, डाक्टर ... बनारस नगर (दक्षिण)
४०१—सावित्री देवी, श्रीमती ... मुसाफिरखाना (मध्य)
४०२—सियाराम गंगवार, श्री ... फर्रुखाबाद (मध्य)-कायमगंज (पूर्व)
४०३—सियाराम चौधरी, श्री ... कैसरगंज (मध्य)
४०४—सीताराम, डाक्टर ... देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)-हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
४०५—सीताराम शुक्ल, श्री ... हरैया (दक्षिण-पश्चिम)
४०६—सुखीराम भारतीय, श्री ... सिराथू-मन्झनपुर
४०७—सुन्दरलाल, श्री ... आंवला (पूर्व)-फरीदपुर
४०८—सुरजूराम, श्री ... सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
४०९—सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री ... हमीरपुर-मौदहा (उत्तर)
४१०—सुरेशप्रकाश सिंह, श्री ... बिसवां-सिधौली (पूर्व)
४११—सुल्तान आलम खां, श्री ... कायमगंज (पश्चिम)
४१२—सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री ... कानपुर नगर (उत्तर)
४१३—सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री .. हाटा (मध्य)
४१४—सेवाराम, श्री ... पुरवा (उत्तर)-हसनगंज
४१५—हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री ... सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)
४१६—हबीबुर्रहमान आजमी, श्री ... मुहम्मदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्षिण)
४१७—हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री ... शाहजहांपुर (मध्य)
४१८—हमीद खां, श्री ... कानपुर नगर (मध्य-पूर्व)
४१९—हरखयाल सिंह, श्री ... बागपत (पूर्व)
४२०—हरगोविन्द पन्त, श्री ... रानीखेत (दक्षिण)
४२१—हरगोविन्द सिंह, श्री ... जौनपुर (पूर्व)
४२२—हरदयाल सिंह पिपल, श्री ... हाथरस
४२३—हरदेव सिंह, श्री ... देवबन्द
४२४—हरसहाय गुप्त, श्री ... बिलारी
४२५—हरिप्रसाद, श्री ... बिसलपुर (मध्य)
४२६—हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री ... सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)
४२७—हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री ... लखनऊ (मध्य)
४२८—हरिसिंह, श्री ... हापुड़ (उत्तर)
४२९—हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री ... करछना (उत्तर)-चायल (दक्षिण)
४३०—होतीलाल दास, श्री ... एटा (दक्षिण)
४३१—[रिक्त] ... कैसरगंज (दक्षिण)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

श्री अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

श्री उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

सचिव

श्री कैलासचन्द्र भटनागर, एम० ए० ।

सहायक सचिव

श्री कृष्णबहादुर सक्सेना, बी० ए० ।

विशेषाधिकारी

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी० ।

अधीक्षक

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० ।

श्री देवकी नन्दन मिश्रल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

श्री भोलादत्त उपाध्याय ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १५ दिसम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२८)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख़्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज ख़ां, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख़यालीराम, श्री
ख़ुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्र भानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख़्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह, आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह, खाती, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामदप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लेखराज सिंह, श्री
बंशनारायण सिंह, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बशिष्ट नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिबराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरि सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश संसद

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

लगान वसूली की तिथि

*१—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस वर्ष के लगान की वसूली कब से होने जा रही है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—प्रदेश भर के लिये वसूली की कोई एक तिथि नियत नहीं है। जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई नियमावली के परिशिष्ट १ में प्रत्येक जिले की मालगुजारी वाजिब होने की तिथि नियत है और उन्हीं नियत तिथियों के अनुसार जिलों में वसूली होनी चाहिये। इस साल चूंकि पहला मामला था और कर्मचारियों की नियुक्ति समय से नहीं हो सकी, अतः प्रदेश में मालगुजारी की वसूली का काम आम तौर पर १५ नवम्बर के बाद से ही चालू हो सका।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सारे प्रान्त में जमाबन्दी की तैयारी का कार्य समाप्त हो गया है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी हां, जहां तक काश्तकारों की जमाबन्दी है वह पूरी बन चुकी है, मध्यवर्तियों की जमाबन्दी बन रही है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सारे प्रान्त में वसूली की अन्य व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी हां।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मालगुजारी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर की भी वसूली होगी ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—जो लोग जितना अब तक अबवाब देते रहे हैं वे उतना देते रहेंगे।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुछ जिलों में प्रधानों से भी लगान वसूली का काम लिया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह—कोई २८२ गालिबन ग्राम पंचायतों की तादाद है जिनके जरिये मालगुजारी वसूल करने का इन्तजाम हो रहा है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में भी किसी ग्राम सभा से यह कार्य लिया जायगा ?

श्री चरणसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

तारांकित प्रश्न

राज्य के मेकेनाइज्ड स्टेट फार्म्स

*१—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में कितने मेकेनाइज्ड स्टेट फ़ार्म्स (Mechanised State Farms) हैं और प्रदेश के किस किस जिले में स्थित हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)---११ हैं । आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७५ पर)

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह स्टेट फार्म्स कब से चल रहे हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत---ये स्टेट फार्म्स भिन्न भिन्न समय से चल रहे हैं । अगर किसी विशेष फार्म की बाबत आप जानना चाहें तो सूचना इकट्ठी की जा सकती है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह बात सही है कि जितने स्टेट मेकैनाइज्ड फार्म चल रहे हैं वे काफी घाटे पर चल रहे हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह बात सही नहीं है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन मेकेनाइज्ड फार्म्स पर इम्प्लीमेंट्स का भी तजुर्बा होता है?

श्री जगन प्रसाद रावत---इन मेकेनाइज्ड फार्म्स पर इम्प्लीमेंट्स का भी तजुर्बा होता है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन फार्म्स पर अब तक कितना खर्च हो चुका है?

श्री जगन प्रसाद रावत---अब तक कुल खर्चा जानने के लिये तो नोटिस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कोई फार्म बीस वर्ष से चल रहा है, कोई १५ वर्ष से चल रहा है। सब ब्योरा इकट्ठा करने के लिये कुछ समय की जरूरत होगी।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो ट्रैक्टर वहां पर इस्तेमाल होते हैं उनके अनुभव के आधार पर वे वहां पर मिडिल साइज के किसानों के लिये कौन से ट्रैक्टर उपयुक्त समझे गये हैं?

श्री जगन प्रसानद रावत---वहां पर जो ट्रैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं वे काफी क्षेत्रफल के लिये होते हैं। किसानों के लिये जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीन होती है दूसरे ट्रैक्टरों की जरूरत होती है। इसके लिये कि कौन से ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी यह तो एक लम्बा सवाल है और इसके लिये नोटिस की जरूरत पड़ेगी।

रोडवेज को स्वतंत्र संस्था बनाने की योजना तथा क्षेत्रीय यातायात परामर्शदात्री समितियों की स्थापना

*२---श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)---क्या परिवहन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेशीय रोडवेज विभाग को एक स्वतंत्र संस्था (Autonomous Body) बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)---जी नहीं, ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं हो रहा है।

*३---श्री रमेश वर्मा---क्या परिवहन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रोडवेज विभाग के किन क्षेत्रों में क्षेत्रीय यातायात परामर्शदात्री समितियां (Regional Transport Advisory Committees) स्थापित हो चुकी हैं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---सभी रीजनों में कमेटियां कायम कर दी गई हैं।

श्री रमेश वर्मा---इन क्षेत्रीय कमेटियों की स्थापना कब से हुई है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---इस सिलसिले में १४ नवम्बर को नोटीफिकेशन हुआ और १५ दिसम्बर, १९५२ ई० से कमेटियां कार्य करेंगी।

श्री रमेश वर्मा---कमेटियों का चुनाव सरकार ने किन्हीं नियमों के आधार पर किया है, यदि हां, तो वे आधार क्या हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---नियम कोई खास नहीं है, कोशिश यह की गई है कि सब किस्म की ओपीनियन इसमें रिप्रेजेंट हो सके।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अपोजीशन पार्टी के भी कोई मेम्बरान इन कमेटियों में रखे गये हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---कोशिश काफी की गई कि हर एक रीजन में कम से कम एक आदमी अपोजीशन पार्टी का लिया जाय और वह रखा गया है।

श्री हरि सिंह (जिला मेरठ)---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रीजनल ट्रांसपोर्ट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---आम तौर से १० होते हैं।

श्री हरि सिंह---क्या इन मेम्बरों में कोई परिगणित जाति के सदस्य भी हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---मुझे इल्म नहीं कि उनमें कोई आदमी परिगणित जाति के हैं लेकिन इस दृष्टि से नियुक्ति करते वक्त कोई ख्याल नहीं रखा गया है।

*४-५---श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ १०-११ पर।]

*६-८---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---[८ जनवरी, १९५३ के लिए संख्या १-३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

जूट की उत्पत्ति तथा खपत

*९---श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या कृषि मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश में जूट उत्पन्न करने के लिए कितने और कहां कहां केन्द्र हैं और इस वर्ष कितनी उत्पत्ति होने की आशा है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---उत्तर प्रदेश में जूट उत्पादन करने के ७० केन्द्र हैं जिनके नाम संलग्न सूची संख्या १ में दिये हैं। इस वर्ष लगभग ८ लाख मन जूट रेशा उत्पन्न होने की सम्भावना है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७६ पर)

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह जूट केन्द्र किस उद्देश्य से खोले गये हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह जूट केन्द्र इस उद्देश्य से खोले गये हैं कि जूट की पैदावार को बढ़ाया जाय ।

श्री गेंदा सिंह---यह जूट कहां की बाजारों में बिकता है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह कुछ तो जो यू० पी० में जूट मिलें हैं उनमें जाता है और कलकत्ता की जूट मिलों के लिये, कलकत्ता के व्यापारी यहां से जूट खरीद ले जाते हैं।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कितना यहां के प्रदेश की मिलों में जाता है और कितना बाहर जाता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---क़रीब क़रीब आधे से ज्यादा की खपत यहां हो जाती है और बाकी कलकत्ता जाता है।

*१०---श्री गेंदा सिंह---पिछले तीन वरषों से किन किन केन्द्रों पर कितनी कीमत का जूट उत्पन्न हुआ और इस वर्ष कितनी कीमत का उत्पन्न होने की संभावना कूती गयी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---हल्क़ेवाराना उत्पत्ति तथा कीमत विवरण पत्र संख्या में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७६ पर)

*११---श्री गेंदा सिंह---पिछले वर्षों में जूट की कीमत की क्या दर थी और इस वर्ष मे क्या है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---सन् १९४८ से १९५१ तथा इस वर्ष की जूट की दरें संलग्न विवरण पत्र ३ में दी हुई हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८० पर)

माधोगढ़ क्षेत्र (जालौन) में अति वृष्टि से उत्पन्न क्षति की पूर्ति

*१२---राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---क्या सरकार को यह मालूम है कि जिला जालौन की तहसील जालौन के माधोगढ़ क्षेत्र में पिछले वर्षा काल में कई दिन लगातार भीषण वर्षा होने के कारण आस पास के लगभग ५० ग्रामों में पानी भर गया, खरीफ की फ़सल नष्ट हो गयी और मकान गिर गये ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---जी हां, परन्तु अति वर्षा के कारण हानि केवल ४२ गांवों को ही हुई ।

*१३---राजा वीरेन्द्रशाह---यदि हां, तो क्या सरकार इन दुखी लोगों की सहायता करने के लिये उन की खरीफ की मालगुजारी माफ़ करेगी, और उनको मकान फिर से बनाये जाने के लिये सीमेंट और टीन तथा फसल बोने के लिये बीज और मवेशियों के लिये चारे का प्रबन्ध शीघ्र करेगी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---उक्त ग्रामों के पीड़ित लोगों के लिये निम्नलिखित सहायता दी गई या दी जा रही है---

१---मालगुजारी को स्थगित करने की कार्यवाही ४० गांवों में हो रही है और नक्शे तैयार किये जा रहे हैं।

२—मकान बनाने के लिये ११३१ बोरी सीमेंट बाटी गई है, और लोहे तथा टीन की चादरें बांटी जा रही है।

३—१४,७५० मन बीज तथा रू० २५,०००, नकद तकावी दी गई।

४—१,००० रू० अनुदान के रूप में बांटा गया।

५—मवेशियों के चारे के लिये आस पास के ग्रामों से प्रबन्ध किया गया।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि इस सहायता को पाने के बाद वहां के लोगों ने फिर प्रार्थना की है कि यह सहायता काफी नहीं है इसलिये और सहायता बढ़ायी जाय?

श्री चरणसिंह—गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई खबर नहीं आयी है।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि इस क्षेत्र में जो सहायता सरकार ने दी है वह नुकसान को देखते हुये काफी है या वहां के लोगों की दरख्वास्त और अधिक सहायता के लिये जिला मैजिस्ट्रेट के पास है?

श्री चरणसिंह—सरकार ऐसी तहकीकात कराना गैरमुनासिब समझती है।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार को यह भी मालूम है कि इस क्षेत्र में १९४९-५० में भी इस तरह की वर्षा के कारण नुकसान हुआ था और उस समय जो सहायता सरकार ने दी थी वह इससे कहीं अधिक थी?

श्री चरणसिंह—सन् १९४९-५० के मुताल्लिक इस तफ़सील से कोई इल्म नहीं है।

*१४—श्री नेकराम शर्मा—[१२ जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

दसगुना लगान अदा कर चुकने वालों से पूरे लगान की वसूली

*१५—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि भूमिधरी के संबंध में जिन काश्तकारों से १० गुना वसूल कर लिया गया है उनसे भी पूरा लगान वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी नहीं।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह सही है कि कुछ लोकल बाडीज एरिया में किसानों से दसगुना वसूल कर लिया गया है?

श्री चरण सिंह—जी हां, यह सही है।

श्री नेकराम शर्मा—तो क्या उस एरिया में अब भी सरकार उनसे पूरा लगान वसूल कर रही है?

श्री चरण सिंह—बहुत थोड़े ऐसे लोकल बाडीज के लोग थे जिन्होंने दसगुना जमा किया लेकिन वह गलती से जमा किया। वे लोग अपना रुपया वापस पाने के हकदार हैं और उनकी लगान देने की जिम्मेदारी वही है जो लगान वे पहले से देते आते थे क्योंकि उनकी लिमिट्स के अन्दर जमींदारी एबालिशन ऐक्ट लागू नहीं हुआ है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह जो नगर क्षेत्र जमींदारी विनाशक विधेयक आ रहा है उसके आने तक उसको स्थगित करने पर विचार कर रहे हैं?

श्री चरण सिंह--जी नहीं। क्योंकि यह जो दूसरा विधेयक आ रहा है उसके अधीन किसी को भूमिधर वगैरह बनने का अधिकार नहीं होगा।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार को यह मालूम है कि बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने दसगुना भी दे दिया है मगर उनको सनदें नहीं मिलीं और उनसे लगान भी पूरा वसूल किया जा रहा है?

श्री चरण सिंह--ऐसे कुछ किसान हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है और उनके हक के मुताल्लिक कोई झगड़ा होगा इसलिये उनको सनदें नहीं मिलीं और पहला लगान देने की जिम्मेदारी उनकी क़ायम है।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार हर जिले में इस प्रकार के आर्डर्स जारी करेगी कि जिन किसानों ने दसगुना दे दिया है या तो उनको सनदें मिल जायं या उनका रुपया वापस कर दिया जाय और इसके लिये कोई समय निश्चित कर देगी?

श्री चरण सिंह--जिन लोगों को ऐसी सनद पाने का अधिकार नहीं था और उनको सनदें नहीं मिली हैं वे कानूनन अपना रुपया वापस ले सकते हैं।

राजा वीरेन्द्रशाह--क्या सरकार इस बात को उचित समझती है कि काश्तकारों का रुपया जो भूमिधरी में जमा है उनको सनदें न देकर जो रुपया उनको वापस किया जा रहा है तो क्या सरकार उनको सूद देगी?

श्री चरण सिंह--मैंने यह अर्ज किया कि जिन लोगों को अधिकार नहीं है और सनद नहीं मिली हैं वह खुद अपना रुपया पाने के मुस्तहक हैं।

कानपुर क्षेत्र में राजनीतिक पीड़ितों को पब्लिक कैरियर के परमिट

*१६--श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि २० जून, सन् १९४९ से अब तक कितने राजनैतिक पीड़ितों ने पब्लिक कैरियर के परमिट हासिल करने के लिये कानपुर रीजन में दरख्वास्तें दीं? कितनों को परमिट दिये गये? कितनों को नहीं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इस प्रश्न के संबंध में आवश्यक सूचना इकट्ठा करने में जितनी मेहनत और समय का व्यय होगा उतने लाभ होने की संभावना नहीं है। सन् १९५० ई० में जबसे हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि आर० टी० ए० व एस० टी० ए० सेमी ज्यूडिशियल बाडीज (semi-Judicial Bodies) हैं सरकार परमिट के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। परमिट देना या न देना आर० टी० ए० या एस० टी० ए० के अधीन है और वे उसका फैसला करती हैं। राजनैतिक पीड़ित होने का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है।

* * * *

सिधौली (ज़िला सीतापुर) में बस स्टेशन की आवश्यकता

*४--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (अनुपस्थित)--क्या यह सत्य है कि सिधौली, जिला सीतापुर में बस स्टेशन बनाने के निमित्त जगह प्राप्त कर ली गयी है? यदि हां तो बस स्टेशन कब तक बन जाने की आशा है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी नहीं।

*५—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (अनुपस्थित)—क्या बस स्टेशनों के बनाने के लिये टेंडर आमंत्रित किये जाते हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी हां।

अतारांकित प्रश्न

१-२—श्री नेकराम शर्मा—[१२ जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

राज्य में उत्पन्न जूट का मूल्य

३—श्री राजवंशी (जिला देवरिया)—क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जूट बाजार में जंगली नाम से पुकारा जाता है और इस वजह से दूसरे स्थान के जूटों के मुकाबिले में कीमत में भारी कमी हो जाती है ?

श्री चरण सिंह—सन् १९४८ तक उत्तर प्रदेश का जूट जंगली जूट के नाम से पुकारा जाता था। परन्तु १९५२ से, जब से कि जूट विकास योजना प्रारम्भ हुई है, जंगली शब्द का प्रयोग बहुत कम हो गया है। इस प्रदेश के जूट के लिये जंगली शब्द के प्रयोग से इसकी कीमत में कोई खास कमी नहीं होती है।

४—श्री राजवंशी—सरकार ने जूट उत्पादन को बढ़ाने और उचित कीमत दिलाने के लिये अब तक क्या किया है और आगे क्या करने का इरादा रखती है ?

श्री चरण सिंह—जूट योजना जो कि सन् १९४८ में ६ जिलों में प्रारम्भ की गयी थी इस समय १९ जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत जूट का रकबा ५,००० एकड़ से १,२५,००० एकड़ हो गया है। इस योजना के अन्तर्गत किसानों को बीज तथा खाद रियायती दरों पर दी जाती है।

सरकार ने इस बात का ध्यान रखते हुये कि किसानों को सही कीमत मिले, प्रान्तीय मिलों की सहमति से दर निर्धारित कर दिये थे और भाव लगभग इन्हीं दरों के अनुसार रहा।

अगले सप्ताह का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष—अब मैं माननीय नेता सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह सदन को बतलायें कि अगले हफ्ते का क्या कार्यक्रम होगा।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—श्रीमन्, इस अगले हफ्ते के लिये तो जो कार्य क्रम एजेंडे में लिखा हुआ है वही इतना काफी है कि इसके सिवाय किसी और कार्यक्रम के लिये शायद जगह ही नहीं होगी।

पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक १९५२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २९ अगस्त, १९५२ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी २२ सितम्बर, १९५२ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति १४ नवम्बर, १९५२ को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का ३२ वां अधिनियम बन गया।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष निश्चित करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट में श्री जहीरूल हसनैन लारी के विधान सभा के सदस्य न रहने के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य निर्वाचित करे।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष निश्चित करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट में श्री जहीरूल हसनैन लारी के विधान सभा के सदस्य न रहने के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---इसके अनुसार में यह कार्यक्रम निश्चित करता हूं कि नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की तिथि तथा समय १८ दिसम्बर, १९५२ को एक बजे तक, नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा १८ दिसम्बर, १९५२ को २ बजे तक तथा नाम वापस लेने की तिथि व समय १९ दिसम्बर, १९५२ को २ बजे दिन तक। निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो उसकी तिथि तथा समय बाद में सूचित किया जायगा।

*उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२

**खंड ५ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, विचार जारी रहेगा।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन भवन के सामने पेश है.....

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---यदि आप उचित समझें कि इस संबंध में जो और संशोधन हैं स्त्रियों के रिजर्वेशन के सिलसिले में वे अगर इकट्ठे ले लिये जायं और उन पर एक साथ बहस हो जाय तो अच्छा होगा, वोटिंग उन पर अलग-अलग हो जायगी।

श्री अध्यक्ष---वह तो मैंने ले लिये हैं। श्रीमती सज्जन देवी से भी कह दिया था और उन्होंने अपनी राय भी दे दी थी।

श्री मोहनलाल गौतम---इसी तरह से श्री शिवकुमार शर्मा का संशोधन २८ नम्बर पर है।

श्री अध्यक्ष---और कौन-कौन हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---सिर्फ श्री शिवकुमार शर्मा ही का है।

श्री अध्यक्ष---तो मैं माननीय वीरेन्द्र शाह जी के बाद श्री शिवकुमार शर्मा को बुला लूंगा। अगर वह पेश करना चाहेंगे तो पेश कर देंगे।

राजा वीरेन्द्र शाह---श्रीमान् इस संशोधन के संबंध में मुझे यह कहना है कि जब सरकार शेड्यूल्ड कास्ट के लिये रिजर्वेशन रखना जरूरी समझती है तो मैं यह समझता हूं कि यह उचित है कि औरतों के लिये भी रिजर्वेशन होना चाहिये। क्योंकि अभी हमारे

---

* २ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही मे छपा है

* ११ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

भारतवर्ष में, मुझे बहुत अदब से यह कहना है, कि औरतें इतनी शिक्षित नहीं हैं कि वह जनरल इलेक्शन से आ सकें, इसलिये उनका रिजर्वेशन होना सरकार को उचित समझना चाहिये और इसको भी देखते हुये कि सेंटर और यहां की सरकार औरतों की उन्नति करना चाहती है और हिन्दू कोड बिल और इस तरह के दूसरे बिल लाने को तैयार है तो हम यह नहीं समझते कि म्युनिसिपिल बोर्ड में क्यों सरकार रिजर्वेशन से हटती है, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो मंत्री जी से कहूंगा कि जहां वह इतने उदार हैं, वह इस बात को समझते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लिये दस साल के लिये रिजर्वेशन कांस्टीट्यूशन में रखा है, इसी तरह से अगर स्टेट ऐक्ट्स में जहां-जहां जरूरी समझा जाय और औरतों को भी आगे बढ़ाने के लिये उनको रिजर्वेशन दिया जाय तो बहुत बेहतर होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रस्ताव को पेश नहीं करना चाहता।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि आज इस सदन में मेरे इस संशोधन पर बोलने वाले बहुत कम लोग निकले। मैं यह आशा करता था कि हमारी महिलाओं के काज को हमारे और भी माननीय सदस्य इस सदन के सामने रक्खेंगे। लेकिन कोई ज्यादा बोलने वाले लोग नहीं निकले इसलिये मुझे ही बहुत जोरदार शब्दों में इस संशोधन पर कुछ कहना है।

श्री मोहनलाल गौतम—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर (विधान का प्रश्न है) राइट आफ रिप्लाई में कोई नई बात कहना ठीक नहीं है जबकि कोई बात नहीं कही गई।

अध्यक्ष—यह तो आप सुन लीजिये कि आगे क्या आता है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने इसीलिये हक देने के बारे में कहा, उसी को मैं फिर जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं। हमारे विधान में उस दिन जो बहस चली थी तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इसमें एक वैधानिक अड़चन भी है जिसकी वजह से महिलाओं को हम कुछ सीट्स म्युनिसिपैलिटीज में नहीं दे सकते हैं। संविधान में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी महिलाओं को पुरुषों के साथ अधिकार मिला है। हमारे संविधान का मंशा यह था और होगा कि जहां पर जिस काम के लिये कोई महिला उपयोगी हो सकती है वहां उनको सब से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाय। अगर यह मन्शा नहीं होता तो जैसा कि हमारे यहां लखनऊ में क्वीन्स मैरी होस्पिटल है वहां पर बराबर का भाग दिया जाता। वहां पर ऐसा होना चाहिये था कि आधे मर्द हों और आधी महिला हों। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि संविधान का मन्शा सिर्फ यह था कि जिस काम के लिये जो उपयुक्त होगा उसको वही काम दिया जायगा। यह उद्देश्य संविधान का है। मैं यह समझता हूं कि म्युनिसिपैलिटीज के काम में जितनी सहायता हमारी महिलायें कर सकती हैं उतनी मर्द नहीं कर सकते हैं। तो मैं यह चाहता था कि जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब चुनाव का मौका आ जाता है तो आप खड़े हो जाते हैं। मैं तो यह समझता था कि जिस पद पर माननीय मंत्री जी विराजमान हैं उस पर अगर आज कोई महिला होती तो शायद हमारे प्रान्त की म्युनिसिपैलिटीज का प्रबन्ध कहीं ज्यादा अच्छा होता। मैं यह समझता हूं कि अनुभव के तौर पर श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने हमारे प्रान्त में एक प्रिसिडेंट कायम किया था और बहुत अच्छी तरह से इस विभाग को चलाया था। लेकिन आज यह बात नहीं है कि हमारे इस सदन में कोई महिला सदस्य नहीं हो जो इस भार को उठा न सके। लेकिन जब चुनाव लड़ा जाता है तो उस समय हमारी महिलाओं को कहा जाता है कि आप ही सब कुछ हैं और आप के बल पर ही देश आगे बढ़ सकता है लेकिन

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

उसके बाद उनको भुला दिया जाता है। मैं तो यह चाहता हूं कि प्रान्त में कुछ आइडियल म्युनिसिपैलिटी को छांटा जाय कि जहां पर महिला ही महिला सदस्य हों और एक ऐसी हो जहां पर पुरुष ही पुरुष हों और एक ऐसी छांटी जायं जहां पर आधे पुरुष हों और आधी महिला हों फिर आप देखें कि सब से अच्छा प्रबन्ध किस म्युनिसिपैलिटी का होता है। म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर जो हमारे पुरुष होते हैं उनको तो भांति-भांति के काम लगे रहते हैं। किसी को अपने बिजनेस का काम होता है और किसी को दूसरा काम लगा रहता है और वह इस काम को पार्ट टाइम काम समझते हैं। हमारी महिलाओं के सामने यह बात नहीं रहती है। उनको तो म्युनिसिपैलिटीज का काम छोड़कर दूसरा काम नहीं रहेगा। जैसे शिक्षा का काम है, सफाई का काम है और जितना सोशल सर्विस का काम है या कहीं पर चन्दा इकट्ठा करना होता है तो उसको महिलायें बहुत अच्छी तरह से कर सकती हैं क्योंकि उनको कोई बिजनेस या नौकरी का काम नहीं रहता है। अगर प्रान्त के अन्दर किसी चीज की मांग होती है तो उसके लिये महिलाओं को आगे किया जाता है और उनको कोई इन्कार नहीं करता है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि म्युनिसिपैलिटी के अन्दर महिलाओं के होने की बहुत आवश्यकता है। यह कहना कि महिलाओं को पूरा अधिकार है और वह किसी भी चुनाव के लिये खड़ी हो सकती हैं इसमें कोई सचाई नहीं मालूम होती है। जब हमारे प्रान्त में चुनाव हुआ तो सबको खड़ा होने का अधिकार था लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि ४३१ मेम्बरों में सिर्फ यहां पर ११ महिलायें ही आई हैं। श्रीमन्, अगर इन ४३१ मेम्बरों में से ११ महिलाओं को निकाल दिया जाय तो फिर हम लोग ४२० ही यहां पर रह जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे हरिजन भाई हैं जब तक उनका प्रान्त की असेम्बली में इतना प्रतिनिधित्व नहीं था तो बहुत कम लोग आते थे। जब उनको रिजर्वेशन आफ सीट्स मिला तभी आज यहां ८७ हरिजन भाई इस सदन में हैं। इसी तरह से म्युनिसिपैलिटी में भी हम कुछ कोटा स्त्रियों के लिये मुकर्रर कर दें तो शहरों में पढ़ी-लिखी महिलायें मिलना कठिन नहीं है और अब ज्यादा दिन तक उन से यह उम्मीद करना कि वह चुपचाप बैठी रहेंगी, गलत साबित होगा। अमरीका में १२ साल तक के बच्चों की शिक्षा केवल औरतों के ही हाथ में है और वहां की काउन्टी काउन्सिल्स में ज्यादातर औरतें ही हैं। तो फिर क्या कारण है कि हमारे प्रान्त में जहां औरतें काफी तादाद में हैं वहां उनको कोई स्पेशल रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है? इसकी कोई खास वजह नहीं मालूम होती है। अध्यक्ष महोदय, आदमी कुछ नेचर से ही गिडी होता है, कोट कहीं पड़ा,है कपड़े कहीं पड़े हैं, धोती कही है, जूते कहीं पड़े हैं, माननीय मंत्री महोदय को भी तजुर्बा होगा कि वह औरतें ही हैं जो सब चीजें घर में ठीक ठाक करती हैं। वह बाई नेचर बहुत एकनामिक होती हैं और इंतजाम करने वाली होती हैं। हम लोग चाहे सौदा महंगा लावें लेकिन वह सस्ता देख कर लाती हैं और म्युनिसिपैलिटी में इन्हीं क्वालिफिकेशन्स की जरूरत है। अगर हम सचमुच चाहते हैं कि औरतें भी तरक्की करें और हमारी म्युनिसिपैलिटीज भी तरक्की करें और महिलाओं और बच्चों की भलाई हो, वह तन्दुरुस्त रहें तो हमें अपनी महिलाओं को म्युनिसिपैलिटी में स्पेशल प्रतिनिधित्व देना चाहिये और कोई तरीका उनको म्युनिसिपैलिटीज में लाने का नहीं है। मैं तो और कुछ बातें भी कहता लेकिन उधर से किसी ने इस बारे में कुछ कहा ही नहीं, न विरोध किया और न माननीय मंत्री जी ही कुछ बतलाते हैं उनका चुप रहना भी कुछ तकलीफदेह सा हो रहा है लेकिन चूंकि विरोध नहीं हुआ है इसलिये मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय मेरे इस संशोधन को मान लेंगे और हमारी महिलाओं को म्युनिसिपैलिटीज में स्पेशल प्रतिनिधित्व देंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को पेश करने वाले को बड़ी हैरत हुई कि किसी ने इस का समर्थन या विरोध नहीं किया या कोई बोला ही नहीं। मेरे ख्याल में इस का उत्तर वह स्वयं अपने भाषण में दे चुके हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि बड़े हैन्डपेक्ड हैं स्त्रियों के बड़े असर में रहते हैं और यह भी पता नहीं कि सुबह को रात को हर

वक्त उनसे कहा जाता हो कि इस प्रकार से स्त्रियों के लिये हाउस में व्याख्यान देना और यह भी नहीं मालूम कि वह महिला गेलरी में बैठ गई होंगी और मुमकिन है कि वह प्लेइंग टु दि गैलरी कर रहे हों। तो अगर उनकी जैसी पोजीशन में दूसरे मेम्बर न हों और वह इस प्रकार न बोलें. . . . . ।

अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय उपाध्याय जी इसको आफ़ैंस तो नहीं लेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--बिलकुल नहीं।

श्री मोहनलाल गौतम--मैंने तो उन्हींके अल्फाज को पेराफ़्रेज किया है, कोई नई बात नहीं कही है।

प्रश्न यह है कि स्त्रियों के लिये कुछ रिजर्वेशन हो। जैसा कि मैंने किसी और अवसर पर निवेदन किया था कि हमारा जो विधान बना है उस की स्प्रिट के यह विरुद्ध होगा किसी को भी सिवा शिड्यूल्डकास्ट्स के, उन को भी दस साल तक, कोई रिजर्वेशन दिया जाय। उनको भी दस साल के बाद न रहे यह संविधान कहता है। एडल्ट फ़्रेन्चाइज के बाद सब को अपनी काब्लियत पर ही भरोसा कर के इस मैदान में आना चाहिये।

जब तक वोटिंग पावर थोड़े लोगों के हाथों में थी तब तक यह सवाल हुआ करता था लेकिन आज इस तरह का प्रश्न जितना कम उठाया जाय उतनी ही डैमोक्रेसी अच्छी चलेगी, ऐसा इस विधान की रूह को मैं देखता हूं। इसलिये जब-जब रिजर्वेशन की बात उठाई जाती है उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। शायद यह भी कहा जाय कि रिजर्वेशन स्त्रियों का उतना हो जितनी कि उनकी संख्या है और कई जगह हो सकता है कि ५० फ़ीसदी से उनकी संख्या अधिक हो। इस तरह की कई चीजें इस सिलसिले में कही जा रही हैं। यह तो बहस है नहीं कि स्त्रियां बहुत अच्छा काम करती हैं। यह भी ठीक है कि घर में जाकर जब हम कोट इधर फेंक देते हैं और टोपी उधर फेंक देते हैं तो वे हमारे सामान को ठीक करती हैं और यह भी हो सकता है कि जब हमारा स्वभाव जरा तितरबितर होने लगता है या इधर-उधर होने लगता हो तो उसे भी वे ठीक करदें। ये सब चीजें हो सकती हैं और इनमें किसी मतभेद की गुंजाइश नहीं है। बहुत से कामों को स्त्रियां पुरुष के बनिस्बत अच्छे तरह से कर सकती हैं और यह भी ठीक है कि कुछ काम पुरुष भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं बनिस्बत स्त्रियों के क्योंकि मैं फौज में शायद अभी तैयार नहीं हूं स्त्रियों के भेजे जाने के लिये। यदि ये चीजें होती हैं तो यह भी हो सकता है कि कुछ सीटें पुरुषों के लिये रिजर्व करदी जावें। क्यों नहीं यह रखा जाय कि म्युनीसिपैलिटीज में केवल स्त्रियां ही स्त्रियां जा सकें और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिये २-४ सीटें पुरुषों के लिये रिजर्व करदी जावें?

श्री मदन मोहन उपाध्याय--आप कहां जाने देते हैं, उन्हें?

श्री मोहनलाल गौतम--यह ठीक है, मैं नहीं जाने देता। तो मैं तो कुछ इकट्ठा करके, आप देखते हैं कि, कुछ चुनवा भी लाया हूं लेकिन मेरे कहने वाले दोस्त बतावें कि उन्होंने कितनी स्त्रियां खड़ी की थीं और कितनी को चुनवाकर लाये। आपने किसी सेफ़ सीट से किसी स्त्री को खड़ा नहीं किया। जहां से ये १८,-१९ सदस्य खड़े हुये यदि वहां से कोई स्त्री खड़ी की जाती तो मेरा विश्वास है कि वह जरूर चुनकर आ जाती। लेकिन जहां कमजोर सीटें थी उनको केवल वहीं खड़ा किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उनकी पार्टी से एक भी स्त्री चुनकर नहीं आई और फिर उसका दोष हमारे ऊपर देते हैं। यदि आज के विधान में आप स्त्रियों को रिजर्वेशन देंगे तो रिजर्वेशन का कहां अन्त होगा, इसका पता नहीं। इस तरह के भी अमेंडमेंट आये कि एजूकेशन, इंडस्ट्री, लेबर और दूसरे के लिये रिजर्वेशन रखा जाय। फिर और इंटैरेस्ट्स भी कहने

[श्री मोहनलाल गौतम]

लगे कि हमारे लिये भी रिजरवेशन हो। तो सबसे सरल और सीधा रास्ता यही है कि स्त्रियों का मामला पोलीटीकल पार्टीज के ऊपर ही छोड़ दिया जाय। जीतती या हारती तो पार्टी है न कि स्त्री या पुरुष। जहां जिस पार्टी का जोर होता है वहां वह चाहे स्त्री खड़ा करे या पुरुष वह जीतेगा। असल बात यह है कि हम कितनी स्त्रियां खड़ी करते हैं। यदि काफी संख्या में स्त्रियां खड़ी की जावें तो मेरा विश्वास है कि वे काफी संख्या में आजावें। केवल पैट्रोनाइज करने के लिये यह बात दिखाना उचित नहीं है। उनका बराबर का हक़ बना रहता है जहां स्त्रियों में जितनी काबिलियत होगी वहां उतनी स्त्रियां आ जायेंगी किसी शहर में ज्यादा स्त्रियां भी आ सकती हैं। रिजर्वेशन से यह हो जायगा कि "दस फार ऐण्ड नो फर्दर" यानी अगर ३ सीट रिजर्व की गई हैं तो ३ से ज्यादा नहीं ली जायेंगी। और बाकी सीट्स के लिये पुरुष ही खड़े किये जायेंगे। जब कि आजकल स्त्रियां अपने अधिकारों को पाने के लिये आन्दोलन कर रही हैं तब यह बहुत दिनों तक नहीं हो सकता कि पोलीटिकल पार्टीज स्त्रियों के अधिकारों की उपेक्षा कर सकें। इसलिये बिना रिजर्वेशन के ही स्त्रियों की अधिक उन्नति हो सकती है और वे अधिक अधिकार प्राप्त कर सकतीं हैं। जितना हम रिजर्वेशन से देने वाले हैं उससे कहीं अधिक वे जनरल इलेक्शन्स से प्राप्त कर सकती हैं। इसलिये रिजर्वेशन का तरीका गलत तरीका है। यह तरीका अगर रखा जायगा तो स्त्रियों को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है और न इससे समाज को ही फायदा होगा। इसलिये यह संशोधन न स्त्रियों के लिये उपयोगी है न समाज के लिये और न कांस्टीट्यूशन की स्पिरिट के अनुसार है। अतः मैं इसका विरोध करता हूं और आशा है सदन इसको नामंजूर कर देगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित नयी धारा 9-A की उपधारा (1) की पंक्ति १ में शब्द "for" के बाद व शब्द "Scheduled castes" के पहले शब्द "women and" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--२०
विपक्ष में--११९

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं--

खंड ५ में प्रस्तावित नयी धारा 9-A की उपधारा (2) की दूसरी पंक्ति में शब्द "bear as nearly as may be the same" के स्थान पर शब्द "be in direct" रख दिये जाय।

श्रीमन् 9-A की उपधारा (2) में इस प्रकार से लिखा गया है:

"The number of seats reserved under sub-section (1) shall bear as nearly as may be same proportion to the total number of seats on the board as the population of the Scheduled Castes in the municipality bears to its total population as determined at the last census held under the provisions of the Indian Census Act, 1950."

तो यहां पर ९--ए० की उपधारा ए० के अनुसार हर बोर्ड में शेड्यूल्ड कास्ट्स की सीट्स रिजर्व करने के लिये भी इसमें स्थान रखा गया है। लेकिन "shall bear as nearly as may be" से आज तक इस तरह की परिभाषा कहीं वैज्ञानिक परिभाषा नहीं मानी गयी है। "shall bear as nearly as may be" से स्पष्ट नहीं होता कि यह जो फ़्रैक्शन है, आबादी का १।४, १।३, २।३ या ३।४ तो क्या उसे एक भी स्थान बोर्ड में दिया जायगा? "shall bear as nearly as may be" से स्पष्ट नहीं होता है। मान लीजिये कि किसी

म्युनिसिपैलिटी के अन्दर पूरी जनसंख्या के अनुपात से देखते हुये आनुपातिक आधार पर वहां के हरिजन वर्ग की जो जनसंख्या होती है वह १/३ होती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि "shall bear as nearly as may be" में उस १/३ में कितने हिस्से के मेम्बरों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। आया उसको ज्यादा सीट्स मिलेंगी या ....

श्री अध्यक्ष--माननीय गेंदा सिंह जी का दूसरा संशोधन भी आप इसमें शामिल कर लें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--इसमें "bears" के स्थान पर "bore" करना है।

श्री अध्यक्ष--इसके लिये मैं आपको आगे मौका नहीं दूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--इसमें तो सिर्फ टेंस का मामला है। इसमें प्रेजेंट टेंस है लेकिन संशोधन में पास्ट टेंस "bore" रखने का सुझाव है। इसमें खाली शाब्दिक संशोधन है कि, अगर " bears " के स्थान पर " bore " रख दिया जाय तो अच्छा रहेगा। तो मैं इस संशोधन को भी पेश कर देता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित नयी धारा 9—A की उपधारा (२) की पंक्ति ५ में शब्द" bears " के स्थान पर शब्द " bore " रख दिया जाय।

"bear as nearly as may be the same" अगर आप पुराना म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट देखें तो उसमें कहीं भी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पुराना जो मूल अधिनियम है उसकी धारा ११ जिसको आगे चलकर आप डिलीट करना चाहते हैं उसकी उपधारा (२) की तरफ दिलाना चाहता हूं।

उपधारा (२) इस प्रकार है--

" For the purpose of allotment of elective seats on a board the population of the municipality shall be deemed to comprise of three classes, namely General, Muslim and Scheduled Castes. The elective seats shall be allotted to each class in direct proportion to its population in the municipality according to the last Government census held before the general election ; "

तो यहां "इन डाइरेक्ट प्रोपोर्शन" इस्तेमाल किया गया है और मैंने इतने ऐक्ट्स देखे कहीं पर भी मैंने इस प्रकार के 'इन डेफिनिट' और 'वेग' शब्द 'ऐज नियर ऐज मे बि' इस्तेमाल होते नहीं देखा। और मैं समझता हूं कि अगर कहीं हमने ऐसे इंडेफिनिट और वेग शब्द रखे तो जब वार्ड्स में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और हरिजनों के लिये सीट्स सुरक्षित रखी जायेंगी तो उस वक्त यह पूर्ण सम्भावना है कि किसी न किसी बोर्ड के अन्दर हरिजन जनसंख्या यदि आपत्ति करे तो शब्द 'ऐज नियर ऐज मे बि' के हिसाब से एक सदस्य मिलना चाहिये और कोई कहेगा ऐसा न हो और इंटरप्रिटेशन की दिक्कत स्टेट गवर्नमेंट के पास रोजाना आयेगी। इसलिये मैं कहता हूं कि इंडेफिनिट और वेग रखने के बजाय शब्दों को साफ कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। सीधे अनुपात में बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। किसी बोर्ड की जनसंख्या २० हजार है और उसमें शिडयूल्ड कास्ट्स की पापुलेशन ४ हजार है तो उसका अर्थ यह है कि २० हजार बटा ४ हजार अर्थात् एक बटा पांच सीटें हरिजनों के लिये सुरक्षित रह जायेंगी। हां, ऐसा जरूर है जैसा आगे चल कर हमारा संशोधन है कि अगर फ्रैक्शन आधे से कम है तो वह न माना जायगा और फ्रैक्शन आधे से ज्यादा है तो वह एक माना जाय। इस प्रकार इन डाइरेक्ट रखने से स्थिति और स्पष्ट हो जायगी और आगे चल कर म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव में हमारी सरकार को म्युनिसिपैलिटियों को और चुनाव प्राधिकारी को परेशानियां पड़ सकती हैं, वह दूर हो

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जायेंगी। मुझे आशा है कि इस सिद्धान्त की बात को देखते हुये माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे और 'ऐज़ नियर ऐज़ मे बि' के वर्ड को ज्यादा स्पष्ट कर देंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह भाषा रखी गई है वह बहुत नापतोल कर रखी गई है और जब इस भाषा को बदलने की बात कही जाती है और यह कहा जाता है कि 'इन डाइरेक्ट प्रोपोर्शन' रख दिया जाय तो उससे बहुत अन्तर तो नहीं होगा लेकिन एक बात जरूर हो जाती है कि उसमें लोच नहीं रहती। मुझसे पूछा गया है कि वन थर्ड का क्या होगा। मैं निवेदन करूं कि जो भाषा इस वक्त है 'ऐज़ नियर ऐज़ पासिबिल' से एक बात बहुत साफ है कि एक पूरी सीट मिल सकती है मगर हिसाब से तो वह कम नहीं होगी। अब सिर्फ सवाल रह जाता है कि फ्रैक्शन का क्या होगा। इसके हर्गिज यह माने नहीं हैं कि शिडिचूल कास्ट को अगर पांच सीट्स हैं उससे घट कर चार सीट हो जायेंगे ऐसा तो नहीं है। सवाल सिर्फ फ्रैक्शन का रह जाता है और उसमें आम तौर से जो माने हुआ करते हैं वह यह हैं कि आधे से जो ज्यादा होते हैं उसको एक सीट मिलती है और आधे से कम को नहीं मिलती। लेकिन जो भाषा है उसके यह भी माने हो सकते हैं कि ३० परसेंट, ३५ परसेंट और ४० परसेंट पर भी एक सीट मिल जाती है, और पिछली असेम्बली के एलेक्शन में भी ऐसा हुआ है। इसलिये यह भाषा ज्यादा लोचदार है और उसका इंतिजाम हो जाता है। लेकिन इस भाषा के रखने से जरा ज्यादा कड़ाई हो जाती है। इतना मैं साफ कह देना चाहता हूं कि अगर किसी के दिमाग में यह हो कि जो संशोधन पेश किया गया है उससे शिड्यूल्ड कास्ट्स का कोई फायदा होगा और जो भाषा है उसमें नुकसान होगा ऐसी बात नहीं है। इस ग़लतफहमी को मैं दूर करना चाहता हूं अगर किसी साहब के दिमाग में इस तरह की गलतफहमी हो तो उसे दूर कर लें। जो भाषा इस समय अमेंडिंग बिल में है उसमें शेडयूल कास्ट्स की किसी तरह से हकतलफी होगी और अगर संशोधन मंजूर कर लिया जायगा तो उनकी कुछ सुरक्षा होगी यह बात गलत है। इसलिये यह ड्राफ्ट ज्यादा अच्छा है और मैं प्रार्थना करूंगा कि तिवारी जी अपने संशोधन को वापस कर लें।

जहां तक "hears" और "bore" का सवाल है मैंने आज फिर जाकर सलाह मशविरा किया और मुझे यह बताया गया कि कानून बनाते वक्त प्रेजेंट टेंस ही इस्तेमाल होता है। अगर आप यह कहें कि डिटर्मिड क्यों है डिटर्मेन क्यों नहीं है, तो पिछले सेंसस में जितनी आबादी निकली थी उसके लिए तो डिटर्मिड ही होगा। लेकिन इसमें "bore" करने से आप कानून में एक नयी चीज करेंगे जो अब तक आमतौर से कानून बनाते वक्त नहीं होती। प्रेजेंट इनक्लूड्स पास्ट एंड फ्युचर। इसलिए बिअर्स ज्यादा अच्छा ड्राफ्ट है। इस पर वह ज़िद न करें। बाकी जहां तक वह सवाल किया गया था उसके लिये मैं आपको कांस्टीटयूशन के अनुच्छेद ३३२ की तीसरी उपधारा का हवाला देना चाहता हूं:

'The number of seats reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of any State under clause (I) shall bear, as nearly as ' may be, the same proportion to the total number of seats in the Assembly as the population of the Scheduled Castes in the State or of the Scheduled Tribes in the State or part of the State, as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to the total population of the State.'

[३३२ (३) खंड (१) के अधीन किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदमजातियों के लिए रक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस सभा

में के स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथास्थिति उस राज्य में को या उस राज्य के भाग में की, अनुसूचित आदिम जातियों की, जिनके सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार रक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है।]

तो यह चीज ऐसी नहीं है जो कि कोई नयी चीज हो। मैंने तो कांस्टीटचूशन से इस भाषा को लिया है और यह ज्यादा अच्छी है।

इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और मैं निवेदन करूंगा कि इसको पेश करने वाले माननीय सदस्य अगर इसको वापस ले लें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मेरे संशोधन के विरोध में यह स्पष्ट किया कि "shall bearas nearly as may be" में किसी प्रकार से कोई गड़बड़ होने की सम्भावना नहीं है, चूंकि यह स्पष्ट हो जाता है कि जितना प्रोपोर्शन मेम्बरों की संख्या का शेडचूल्ड कास्ट्स का होता है उतनी सीट्स मिलती ही हैं। फ्रैक्शन का सवाल आता है। लेकिन फ्रैक्शन के सवाल में भी अगर आप पिछले जमाने में देखें तो तीस फीसदी को भी सीटें मिली हैं। मेरा यही कहना है कि पिछले जमाने में जो हुआ है, या जिस बात की संभावना माननीय मंत्री जी अपने भाषण में बतलाते हैं अगर कानून में स्पष्ट कर दिया जाय तो कैसा हो। मैं तो माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने बतलाया कि जैसा कि पुराने ऐक्ट से यह जिस प्रकार लिया गया ड्राफ्ट ९ (ए) की उपधारा २ है, इससे कोई नुक़सान नहीं होता है मैं उनसे जानना चाहता हूं कि मेरे संशोधन के स्वीकार होने से सरकार का या शेडचूल्ड कास्ट्स का क्या नुक़सान होता है। मेरा संशोधन तो माननीय मंत्री जी के ड्राफ्ट को परिष्कृत करता है और जो माननीय मंत्री जी की यह भावना है कि तीस फीसदी के लोगों को भी किसी बोर्ड में हिस्सा मिल सके उसको और भी स्पष्ट करता है। अगर मेरा संशोधन मान लेते हैं तो स्पष्टतया और भी आ जाती है। उन्होंने कांस्टीटचूशन का हवाला दिया कि कांस्टीटचूशन में असेम्बली सीट्स के लिए शेड्चुल्ड कास्ट्स के मेम्बर्स के लिए 'शैल बिअर ऐज निअरली ऐज मे बी' है। कांस्टीटचूशन में इन शब्दों का जरूर इस्तेमाल हुआ है लेकिन वह असेम्बली और पार्लियामेंट के एलेक्शन के लिये हुआ है जहां पर कि एक कांस्टीटचूएंसी ७ लाख तक भी जा सकती है और जहां पर कि एक कांस्टीटचुएसी एक लाख, सवा लाख तक असेम्बली की परिभाषा के पापुलेशन के गिनने के माने में सवा लाख तक भी गयी है और जैसा कि स्वयं माननीय मंत्री जी ने कहा कि हर म्युनिसिपिल बोर्ड ने, अभी पिछले दिनों में मंजूर भी कर चुके हैं कि ५० सदस्यों से ज्यादा म्युनिसिपिल बोर्ड में नहीं होंगे और कम से कम १५ की गुंजायश रखी गयी है और यह भी माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि प्रदेश में तीन चार ही म्युनिसिपल बोर्ड ऐसे होंगे जहां पर सदस्य ३० और ४० के बीच में हों और बाकी ३०-४० से कम ही होने की सम्भावना है तो ऐसी हालत में 'डायरेक्ट' जैसे शब्दों का इस्तेमाल होना बहुत ही आवश्यक है, और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि कोई झगड़ा नहीं होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि शेडचूल्ड कास्ट को भी नुकसान नहीं होगा। तो यह उनके विश्वास दिलाने की बात नहीं है, क्योंकि उस वक्त मामला उनके हाथ में नहीं बल्कि डायरेक्टर आफ एलेक्शन के हाथ में होगा या रिटर्निंग आफिसर ऐक्ट का इंटरप्रेट करेंगे। वह माननीय मंत्री से या माननीय सदस्यों से पूछने नहीं आयेंगे। वह तो म्युनिसिपल ऐक्ट में जो विधान होगा उसको इंटरप्रेट करेंगे और उसके अनुसार जो नियम बनेंगे तो उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो 'ऐज नीयरली ऐज मे बी' का अधिकार उनको नहीं होगा। रिटर्निंग आफिसर या अधिकारियों को होगा जो उसको निश्चित करेंगे। यह हो सकता है कि माननीय मंत्री जी की भावना के विपरीत कोई स्थानीय अधिकारी उसके अर्थ का अनर्थ कर दे और उस अर्थ को न

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

माने जिसको माननीय मंत्री जी हमारे सामने रख रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि जिस अर्थ को माननीय मंत्री जी हमारे सामने रख रहे हैं उसी अर्थ को स्थानीय अधिकारी भी प्रयोग कर सकें, इस चीज को इम्प्रूव करने के लिये यह आवश्यक है कि मेरा संशोधन स्वीकृत हो जाय और माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि अगर उनके ड्राफ्ट में कोई नुक्सान नहीं है तो मेरे ड्राफ्ट के अभिप्राय में क्या नुक़सान है और उसको स्वीकार करने से ड्राफ्ट किस तरह बदल जाता है और उसका अर्थ परिष्कृत नहीं होता।

जहां तक दूसरे संशोधन का सम्बन्ध है अगर 'प्रेजेंट' में 'प्रेजेंट' पास्ट, फ्यूचर, सभी आ जाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जैसे चाहें वह रखें, लेकिन जहां तक पहले संशोधन का ताल्लुक है, जो मैंने पहले रखा, उस पर मैं अवश्य जोर देना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह अवश्य स्वीकार करें।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ इसमें बहुत निवेदन नहीं करना है। मैं पहले ही अर्ज कर चुका, कि यह ड्राफ्ट बेहतर है जो अमेंडिंग बिल का है और जो संशोधन है वह अच्छा नहीं है। बड़ी कांस्टीटयूएंसी सात, सवा सात लाख की हैं और छोटी कम की, तो उसमें मुझे कोई फर्क नहीं मालूम होता। जिसको मेरा इंटर प्रिटेशन बताया गया वह मैंने नहीं किया, बल्कि मैंने तो रिपोर्ट दी कि पिछले एलेक्शंस में ऐसा हुआ था और यह भी मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि मेरी राय यह है कि डायरेक्टर आफ एलेक्शंस वही हों जो कि पहले चीफ़ एलेक्टोरल आफिसर थे। तो जिन आथरिटीज ने अब तक ऐसा किया है मैंने सिर्फ उसको रिपोर्ट की थी वह इंटर प्रेटेशन नहीं था और उससे यह साबित होता है कि जो अब इंटरप्रेटेशन अमल में आता रहा है उसी के अनुसार आगे भी होगा। वही अथारिटी उसको वर्क आउट करेगी। इसीलिये न मेरा इंटर प्रिटेशन का सवाल है न बहस करने का।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि यह संशोधन अगर मंजूर किया जायगा तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा बल्कि ड्राफ्ट उससे घटिया हो जायगा। इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित नयी धारा 9--A की उपधारा (2) की दूसरी पंक्ति म शब्द "bear as nearly as may be the same" के स्थान पर शब्द "be in disrect" रख दिये जायं और पंक्ति ५ में शब्द "bears" के स्थान पर शब्द "bore" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--माननीय श्री कमला सिंह, आप अपने दोनों संशोधन एक साथ प्रस्तुत कर दीजिए क्योंकि पहले में आप प्राविजो बढ़ा रहे हैं और दूसरे में एक नयी उपधारा जोड़ रहे हैं। इसलिये आप दोनों को एक साथ प्रस्तुत कर दीजिए। मैं इन पर वोट अलग-अलग ले लूंगा।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ द्वारा प्रस्तुत नयी धारा 9--A की उपधारा (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय—

"Provided that in calculating the number of such seats fractions not less than half shall count as one and fractions less than half shall be disregarded."

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ द्वारा प्रस्तुत नयी धारा 9--A में नयी उपधारा (३) इस प्रकार जोड़ दी जाये—

(3) "The determination of seats reserved under sub-sections (1) and (2) for allotment to a ward shall bear the same proportion as the total Scheduled Castes' population of that ward bears to its total population."

जहां तक नं० २७ के संशोधन का ताल्लुक है हमारे माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि जहां कहीं भी जब बटवारे का प्रश्न उठेगा और उसमें कोई भी फ्रैक्शन ५० परसेंट और उससे ऊपर का आयेगा तब एक माना जायगा? लेकिन उससे नीचे के जो होंगे वह रिजेक्ट कर दिये जायेंगे। ऐसी हालत में यह जरूरी होता है क्योंकि जहां पर कैलकुलेशन का क्वेश्चन आयेगा। कैलकुलेशन में अधिकतर ऐसे फ्रैक्शन आते हैं जहां ५० परसेंट से अधिक का प्रश्न आता है। तो ऐसी हालत में चूंकि मंत्री जी ने अभी अपने भाषण में यह कहा है कि उन्हें एक मानना चाहिए चूंकि कोई डाइरेक्शन इस विधेयक में नहीं है और न कोई नियम ही बनाया गया है इसलिये यह जरूरी है कि इतना एक प्राविजन जोड़ दिया जाय इसके अन्दर जिससे हर एक आदमी जो फ्रैक्शन निश्चित करता है वह बाउंड हो जाय कि ५० या ५० परसेंट के ऊपर कोई भी फ्रैक्शन आये तो वह एक माना जाय। इन बातों के साथ मैं अपने संशोधन नं० २७ का समर्थन करता हूं।

अब जहां तक इस संशोधन नं० २९ का प्रश्न है इसमें एक परेशानी अवश्य होती है कि टोटल पापुलेशन जो किसी म्युनिसिपैलिटी की है अगर उसके मुताबिक ५० सीट में से १० सीट शिडयूल कास्ट को दी गई तो ऐसी हालत में यह हमारे लिए विचारने की चीज होती है कि हमें एक किसी वार्ड के जितने शिडयूल कास्ट के लोग हैं उनको एक ही वार्ड में स्थान देना चाहिए या भिन्न-भिन्न वार्डों में स्थान देना चाहिए। जितनी यह धारायें दी गई हैं उनके अन्दर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे यह मालूम हो सके कि इन लोगों के लिए डिफरेंट वार्ड में रखना जरूरी है। जो यह नया संशोधन मैं पेश कर रहा हूं इसके जरिये यह निश्चित हो जाता है कि एक वार्ड में अगर आप ५० में १० शिडयूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन रखते हैं तो दसों को एक वार्ड में नहीं रख सकते। बल्कि यह जरूरी है कि जिस वार्ड में मेजारिटी शिडयूल कास्ट की हो उनका प्रतिनिधित्व वही हो। साथ ही साथ यह जो नारायण दत्त जी का संशोधन नं० ५१ है उसमें भी यह तरीका है—

"Provided that the division into wards shall be made after consultation with the Board concerned, which will be on the basis of its populations so as to secure as far as possible an equal number of electors in them."

इस तरीके पर हम चाहते हैं कि शेडयूल्ड कास्ट के जो मेम्बर हों उनका ईकुअल डिस्ट्रिब्यूशन हर वार्ड में हो और इस चीज के लिये यह जरूरी है कि जो संशोधन मैंने रखा है उसको माना जाय।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, दो संशोधन इस समय सदन के सामने पेश किये गये हैं। एक यह है कि आधे से ज्यादा हो तो उसको

[श्री मोहनलाल गौतम]

एक मान लिया जाय और आधे से कम हो तो उसको डिसरिगार्ड कर दिया जाय यानी उसको न माना जाय। इसमें जैसा मैंने निवेदन किया, इस संशोधन के प्रस्तावक महोदय ने मेरी बात पूरी नहीं सुनी थी, मैंने यह भी कहा था कि कहीं-कहीं ३० फीसदी, ३५ फीसदी और ४० फीसदी को पूरी सीट मिल जाती है। उनके इस संशोधन के बाद इसका मतलब यह होगा कि ४९ फीसदी को भी एक सीट न मिल सके, शैल बी डिसरिगार्डेड। इसलिये उसमें रुकावट आ जाती है और जैसा मैंने निवेदन किया कि जो लोच पहले ड्रैफ्ट में है वह नहीं रहती। यह बात तो ठीक है कि आधे से अधिक हो तो उसको एक माना जाता है और यह सब जगह मानी हुई बात है और मानी जानी चाहिये लेकिन जो दूसरी मेरी आपत्ति है वह उसमें पूरी नहीं होती। इसमें दिक्कत आ जाती है, इसलिये सरकार इसको मानने में असमर्थ है। जहां तक सिद्धान्त का सम्बन्ध है कोई इसमें विरोध नहीं है कि आधे से ज्यादा है तो एक माना जाय और आधे से कम है तो न माना जाय और इसके मानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि अगर कहीं इस तरह की परिस्थिति आयें कि ४९ फीसदी को हम एक देना चाहते हैं ताकि शेडयूल कास्ट वाले यह न कहें कि हमारी एक सीट नहीं मानी गयी और अगर ५१ होते तो एक सीट मिल जाती, तो हमारे ड्राफ्ट में यह लोच है कि उनको एक सीट मिल सकती है। अगर कमला सिंह जी की बात मान ली जायगी तो उसमें ४९ फीसदी को यू शैल नाट गिव, इट शैल बी डिसरिगार्डेड, आप उसको दे नहीं सकते। जहां तक वार्ड के बारे में कहा गया कि वार्ड के अन्दर उतना ही शेडयूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन हो, जितनी उनकी पपुलेशन है उसमें दिक्कत पड़ेगी, इतना तो हमने साफ कर दिया कि दो चीजें हैं एक यह कि हर नगर में शेडयूल कास्ट की उतनी सीट होंगी जितनी कि उनकी आबादी है और उसके अनुसार 'ऐज नियरली ऐज' पासिबिल होंगी। दूसरी बात हमने यह कही कि हर वार्ड में उतनी सीट होंगी जितनी कि उनकी पपुलेशन है। यह नहीं हो सकता कि एक वार्ड की पापुलेशन वन सिक्स्थ है और उनको सीट दे दी जाय वन फोर्थ। हर एक वार्ड में उतनी ही जगहें होंगी जितना कि उनकी आबादी का प्रोपोर्शन है। जो प्रोपोर्शन एक वार्ड का टोटल पापुलेशन आफ दि सिटी से है और वही प्रोपोर्शन रहना चाहिये उसकी सीट्स से जो कि टोटल प्रोपोर्शन आफ सीट्स इन दि म्युनिसिपैलिटीज ऐंड दि सीट्स एलाटेड टू दैट वार्ड से है। यह दो चीजें साफ हैं। इन दो चीजों के बाद अगर तीसरी चीज आप यह और करते हैं कि वार्ड में उतनी जगहें दे दी जायं जितनी कि शेडयूल्ड कास्ट की वार्ड में आबादी है तो इसको वर्क आउट करना मुश्किल हो सकता है। इसलिये मैं नहीं समझता कि यह अमल में आ सकता है जो २९वां संशोधन है।

जहां तक २७वें संशोधन का सम्बन्ध है उसमें सिद्धान्त के प्रति कोई आपत्ति न होते हुये यह मालूम होता है कि कहीं-कहीं अगर यह जरूरत पड़ी कि ४९ फीसदी या ४० फीसदी शैडयूल्ड कास्ट को एक सीट देना चाहिये तो हम बिल के अनुसार दे सकते हैं लेकिन माननीय कमला सिंह जी के संशोधन को मंजूर करने के बाद वह हम नहीं दे सकेंगे क्योंकि हमारे हाथ बंध जायेंगे। इसलिये उसमें कुछ लोच कम हो जाता है गोकि उसके सिद्धान्त से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसलिये मैं दोनों को मानने में मजबूरी जाहिर करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, अगर आपकी आज्ञा हो तो माननीय कमला सिंह जी ने जो संशोधन पेश नहीं किया मैं उसे पेश कर दूं।

श्री अध्यक्ष—अब उसका समय निकल गया। मैंने पहले ही पूछ लिया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैंने उनकी अनुमति ले ली है।

श्री अध्यक्ष--लेकिन अपने दोनों के लिये कोई प्रस्ताव नहीं दिया। अब मैं उसकी इजाजत नहीं दे सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं आप की आज्ञा से माननीय कमला सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधनों के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह बतलाया कि वे पुरानी वाली धारा ९ (ए) में जो दो उपधारायें हैं उसके अन्त में संशोधन को जोड़ना इसलिये मंजूर नहीं करते क्योंकि वह व्यवहारिक नहीं है, बड़ी दिक्कतें आ जायेंगी। एक ओर वे मानते हैं कि शहर में हरिजनों की आबादी के अनुपात से ही उनकी मेम्बरी के लिये उनकी सीट्स रिजर्व की जायेंगी लेकिन वह वार्ड में इस सिद्धांत को नहीं मानना चाहते कि वार्ड में भी हरिजनों को उतनी ही सीटें दी जायंगी, उनके लिये रिजर्व की जायेंगी जितनी कि वार्ड में पूरी जन संख्या के अनुपात से वहां की हरिजन जन संख्या है। माननीय मंत्री जी ने अभी-अभी विधान पढ़ा और उसमें एक तारतम्य बतलाया। उन्होंने यह कहा कि विधान में यह है कि असेम्बली और पार्लियामेंट के लिये भी वही अनुपात होगा जो आबादी का है और वही हम ने सिटीज में रखा है। तो श्री कमला सिंह जी ने यही संशोधन किया है कि 'एज नीयरली' एज मेबी इन वार्ड' रख दिया जाय और यह व्यवहारिक है असेम्बली और पार्लियामेंट के लिये 'एज नियरली एज मे बी' व्यवहारिक है, शहर के लिये भी 'एज नीयर ली एज मे बी' व्यवहारिक है तो वार्ड के लिये भी हो सकता है, इस में कौन दिक्कत है। स्वयं माननीय मंत्री जी का यह विचार था और जहां तक मैं समझता हूं कि कम से कम पांच वार्ड या सात वार्ड से ज्यादा तो वे क्या शहरों में रखेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--हो सकते हैं ज्यादा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मान लिया इससे ज्यादा भी रखेंगे तो ऐसे शहरों में रखेंगे जिनकी आबादी तीन चार लाख से ऊपर है, यह तो नहीं कि आप हर बोर्ड में चार वार्ड से ज्यादा रखेंगे। अगर हर शहर में पांच वार्ड होंगे तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि फिर उनको क्या दिक्कत होगी कि अगर वे वार्ड के अन्दर हरिजन जन संख्या के अनुपात से सीटें रिजर्व करें। मान लीजिये किसी वार्ड की जन संख्या चार हजार है और उस चार हजार में से तीन हजार आबादी हरिजनों की हो तो आप क्या करेंगे। बहुत से ऐसे मुहल्ले हैं, लेबर के मुहल्ले हैं वालमीकि भाइयों के मुहल्ले हैं, शहर हलद्वानी के एक मुहल्ले में जहां हरिजनों की आबादी ज्यादा है, मान लीजिये किसी वार्ड की आबादी चार हजार हो और तीन हजार उसमें हरिजन हों और आप की चार सीटें वहां पर हैं तो माननीय मंत्री जी का जवाब क्या होगा, मैं स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हूं और वह जवाब दें कि क्या आप तीन सीटें हरिजनों को रिजर्व नहीं करेंगे। यह आप का मंशा है कि सारे बोर्ड में हम हरिजनों की आबादी के अनुपात से सीटें रिजर्व करें लेकिन वार्ड में आबादी के अनुपात से न करें। वहां पर दो सीटें जनरल करदें और दो हरिजनों की कर दें, मैं समझता हूं आप का ऐसा इरादा नहीं है और अगर ऐसा नहीं है तो हमें स्पष्टतया कानून के अन्दर यह साफ करना चाहिये ताकि वहां पर भी कोई गड़बड़ी न पड़े क्योंकि कल एलेक्शन पेटीशन्स होंगे और बहुत जगह नामिनेशन्स खारिज होंगे, बड़े झगड़े होंगे, वह कहेंगे कि साहब आबादी के अनुपात से नहीं हुआ। जिस चीज का जिक्र ही नहीं है वह चीज उनकी गुडविल के ऊपर होगी कि वार्ड में किस प्रकार मेम्बरशिप जेनरल और शेड्यूल्ड कास्ट के लिये रखी जाय। श्रीमन् माननीय मंत्री जी को कोई आपत्ति इस बारे में नहीं होनी चाहिये कि जिस 'एज नीयरली एज मे बी' के सिद्धांत को उन्होंने असेम्बली और शहर के बोर्ड के रिजर्वेशन के लिये स्वीकार किया उसे वार्ड के लिये क्यों न स्वीकार करें।

दूसरा प्रश्न उन्होंने यह उठाया और उन्होंने कहा कि माननीय कमला सिंह का जो पहला वाला २७ वां संशोधन है:

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

"Provided that in calculating the number of such seats fractions not less than half shall count as one and fractions less than half shall be disregarded."

उन्होंने कहा अगर हम मान लेते हैं तो फिर कैसे होगा। हमारा तो यह इरादा है, हमने तो पहले भी ऐसा कहा है तो मैं आपकी आज्ञा से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने कहा कि हमने पहले भी यह कहा है।

श्री मोहनलाल गौतम--हम ने सवाल नहीं उठाया क्योंकि इस गवर्नमेंट ने एलेक्शन नहीं कराये। जिस अथारिटी ने कराया, उसने ऐसा किया, ऐसा मैंने कहा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जिस अथारिटी ने एलेक्शन कराये उसने पहले भी ३० फीसदी शेड्यूल्ड कास्ट्स को प्रतिनिधित्व दिया।

तो इस ऐक्ट में, श्रीमन् जो धारा है मैं आपकी आज्ञा से उसे पढ़ना चाहता हूं ताकि माननीय मंत्री जी को मालूम हो जाय कि ऐक्ट में यह बात रहते हुये भी जो ३० पर्सेंट की बात माननीय कमला सिंह जी चाहते हैं वह पूरी हो सकती है। मैं आपकी आज्ञा से मूल ऐक्ट ११ की उपधारा (२) को पढ़ना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल गौतम--यह तो अभी पढ़ी जा चुकी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अभी तो तीन बार और पढ़ूंगा अगर जरूरत पड़ी रेफ़ेन्स के लिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से। तो वह इस प्रकार है--

"The elective seats shall be allotted to each class in direct proportion to its population in the Municipality according to the last Government's census held before the general elections;

Provided that in calculating the number of such seats fractions not less than half shall count as one and fractions less than half shall be disregarded."

तो लोकल अथारिटी ने कोई दूसरा ऐक्ट तो नहीं बनाया। इसी ऐक्ट के अनुसार एलेक्शन कराया और इस धारा के रहते हुये भी ३० फीसदी का उन्होंने हक़ दिया। तो यह हो सकता है रूल्स का इंटरप्रेटेशन हो। लेकिन पहले ऐक्ट में इसी धारा के रहते हुये भी उनको मौका दिया। इसलिये मैं समझता हूं, श्रीमन्, कि माननीय मंत्री जी की कोई दलील स्पष्ट नहीं हुई और मैं चाहूंगा कि वह हमको और कोई कारण बताएं जिसके कारण वह समझते हैं कि स्पष्टता नहीं आनी चाहिये। और कम से कम मैं अपने पुराने प्रश्न को फिर पूछना चाहूंगा कि अगर किसी वार्ड की आबादी ४ हजार है जिसमें ३ हजार हरिजन हैं और वहां ४ सीटें हैं। तो उन चार सीटों में से तीन सीटें आप हरिजनों को देंगे या नहीं?

श्री कमला सिंह --माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे संशोधन नम्बर २७ का प्रश्न है माननीय मंत्री जी ने अभी यह बतलाया है कि जहां पर ४९ या ४८ फीसदी है वहां पर भी यह रेजेक्ट कर दिया जायगा। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को आपके द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि इसमें फ़्रैक्शन के बारे में यह है --

"Fractions not less than half shall count as one and fractions less than half shall be disregarded"

तो फ़्रैक्शन मान लिया जाय कि ४८ है तो वह भी तो हाफ ही के बराबर है। तो ऐसी परिस्थिति में जब फ़्रैक्शन हाफ़ का करते हैं चाहे वह थोड़ा

करीब है चाहे ज्यादा करीब है लेकिन अगर १/३ से ऊपर है और हाफ के करीब आता है तो उसे तो फ़ैक्शन एक माना जाय। और इसी तरीके पर माननीय मंत्री जी ने जो बतलाया कि जहां पर ४८ परसेंट या ४३ परसेंट है वहां भी यह चीज एक ही मानी जायगी क्योंकि वहां भी फ़ैक्शन का सवाल है जो करीब-करीब हाफ के आता है। इसलिये जहां तक फ़ैक्शन का ताल्लुक है हाफ़ के करीब वह एक माना जाना चाहिये। और जैसा कि माननीय मंत्री जी के कहने से भी मालूम होता है यह डाइरेक्टरी चीज नहीं है या किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते कि वह मान ही लें इसलिये आपके विधेयक के अन्दर ऐसी चीज होनी चाहिये कि जो आबलीगेटरी हो। इसलिये ऐसे प्राविजन का आना बहुत जरूरी है।

जहां तक २९ नम्बर के संशोधन का ताल्लुक है, माननीय नारायणदत्त जी काफी इस पर बतला चुके हैं। इसलिये इन बातों को कहते हुये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मान लेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त जी ने शायद मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैंने म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट कोट नहीं किया था, मैंने म्युनिसिपैलिटीज के एलेक्शन का हवाला नहीं दिया था और जो फिर यहां पर दोबारा कोट किया गया वह गलत कोट किया गया। मैंने निवेदन यह किया था कि मैंने कांस्टीटयूशन की धारा कोट की थी और यह बताया था कि कांस्टीटयूशन आफ इंडिया में यह है "एज नियरली एज पसिबिल" और जनरल एलेक्शन्स का मैंने हवाला दिया था। वह जनरल एलेक्शन्स असेम्बली और पार्लियामेंट के थे। मैंने लोकल बाडीज के इलेक्शन्स का हवाला नहीं दिया था। इसलिये इस तरह की जो आपत्तियां उन्होंने उठाई हैं और कई आपत्तियां उन्होंने यह उठाई हैं कि गुडविल पर होगा तो उन सबका तो उत्तर दिया जा चुका है कि जिस अथारिटी ने जो पिछले पार्लियामेंट और असेम्बलीज के इलेक्शन्स कराये थे, मेरा इरादा है कि वह अथारिटी अब भी लोकल बाडीज का इलेक्शन करायें और जो भाषा कांस्टीट्यूशन में है वही हमने रखी है इस अमेंडिंग बिल में। इसलिये कोई गुंजाइश नहीं मालूम होती है गुडविल की बल्कि जो अथारिटी जिस ला को इंटरप्रीट करती रही है वही अथारिटी जब उसी तरह का ला होगा तो उसी तरह से इन्टरप्रीट करेगी। सिर्फ सवाल एक अर्थमेटिक का कर दिया गया है। अगर मेरे पुराने साथी श्री मलखान सिंह जो मेरी मदद करते तो बात शायद साफ हो जाती और वह यह है कि एक बात साफ कर दी गई है कि म्युनिसपैलिटीज में जितनी सीट्स होंगी उसमें शिड्यूल कास्ट्स के लिये उतनी सीट्स रिजर्व कर दी जायंगी जितनी आबादी है "As nearly as possible" आप चाहते हैं कि वार्डवाइज यह चीज कर दी जाय। अगर हर वार्ड में उसी तरह से उसी आबादी के हिसाब से सीट्स मुकर्रर कर दी जायं जिस तरह से कि आबादी वार्डवाइज है तब टोटल पौपुलेशन में उतनी सीट्स न रहें जितनी कि टोटल पौपुलेशन एक शहर की हों क्योंकि यदि श्री कमला सिंह का २७ वां संशोधन मान लिया जाय तो शायद उनको भी बदलने की आवश्यकता हुई।

"Provided that is calculating the number of such seats fractions not less than half shall count as one and fractions less than half shall be disregarded."

फिर कहा है कि हाफ के करीब हो तो एक सीट दे दी जाय तो भाई साहब दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती है। श्री कमला सिंह जी ने जो अपना भाषण दिया है उसमें कहा है कि हाफ के करीब हो तो एक मान लिया जाय यानी ४८ प्रतिशत को एक क्यों मान लिया जाय। इसमें अगर यह बात मान ली जाय जो उन्होंने कही है तो जो उनका संशोधन है उसके खिलाफ यह जाती है। अगर उनका संशोधन मान लिया जाता है तो ४९.९ प्रतिशत तक को सीट नहीं दी जा सकती है"

"Fractions not less than half shall count as one and fractions not less than half shall count as one and fraction less than half shall be disregarded and it is less than half so a seat cannot be given."

[श्री मोहनलाल गौतम]

मैं यही मतलब समझता हूं इसलिये वार्डवाइज करने में दिक्कत पड़ेगी। यदि ऐसा करते हैं तो शायद पूरे शहर में वह पौपुलेशन कायम न रहे जो शहर की आबादी के हिसाब से होनी चाहिये।

श्री नारायणदत्त जी तिवारा ने बार-बार जोर दिया है और इस सवाल को रखा है लेकिन यह एक मामूली सा सवाल है। उन्होंने एक सवाल किया है कि चार हजार की आबादी में से तीन हजार हरिजनों की आबादी है तो उनको तीन सीट्स मिलेंगी। यह भी हो सकता है कि चौथी सीट्स भी उनको मिल जाय क्योंकि यदि दो दो वार्डस में ३०-३० प्रतिशत है और एक जगह १० प्रतिशत है और एक जगह १० प्रतिशत है तो तीनों की ७० प्रतिशत हो जाती है तो एक और सीट्स उनको मिलेगी।

इसलिये वार्ड में बराबर की हैसियत से करना और लेस देन हाफ को डिसरिगार्ड करना इससे यह हो सकता है कि अगर ५ वार्ड हैं तो यह नामुमकिन नहीं है अगर इस तरह से बटवारा हो और ५ वां वार्ड्स में लेस देन हाफ ४९ परसेंट हों तो उन पांचों को एक भी सीट न मिले अगर श्री कमला सिंह जी के दोनों प्रस्ताव मान लिये जाते हैं। यह एक हाई-पाथिटिकल केस है लेकिन ऐसा होना नामुमकिन नहीं है। इस तरह से अगर पांचों वार्ड्स में लेस देन हाफ में ४९ परसेंट पापुलेशन रह गई तो इट शेल बी डिसरिगार्डेड और उनको एक भी सीट नहीं जायगी। लेकिन जैसा हमने रक्खा है उसके हिसाब से पांचों में ४९ परसेंट है यानी ढाई के करीब होते हुये भी कम से कम दो सीट्स जरूर मिल जायेंगी, हो सकता है कि तीन भी मिल जायं। यानी दो या तीन सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट्स को मिल जायेंगी। लिहाजा यह चीज वार्ड वाइज करना कहां तक मुनासिब है। यह मिसाल दी गई कि ४ हजार की आबादी है तो यह तो मोटी सी बात है कि उनमें ३ हजार शेड्यूल्ड कास्ट के हैं तो उनको तीन सीट्स तो मिलेंगी ही। यह तो बहुत मामूली बात है। यह भी हो सकता है कि चारों मिल जायं। इस तरह से आपने सारे शहर की आबादी के लिहाज से उनकी सीट्स रिजर्व कर दी, हरवार्ड में तीन सीट्स रिजर्व होंगी लेकिन जहां तक वार्ड की पापुलेशन का प्रोपोर्शन टु दी है टोटल पापुलेशन आफ दी सिटी, इन दोनों चीजों का रखना मेरी समझ में नहीं आता कैसे मुमकिन है। अगर दोनों संशोधन मान लिये जायं तो शेड्यूल्ड कास्ट को नुकसान हो सकता है, यह भी हो सकता है कि जहां वेल बैलेंस्ड आबादी हो, जहां शेड्यूल्ड कास्ट ५० परसेंट हो वहां उनको सीट्स ४० परसेंट ही मिलें। इसलिये वार्ड वाइज रिजर्वेशन रखना मैं फिजूल समझता हूं। यह चीज गलत है। यह कहा गया कि स्टेट में कैसे हक दिया गया। मैं कहता हूं कि स्टेट में ऐसा नहीं हुआ। स्टेट में हर कांस्टीट्यूएंसी में वह प्रोपोर्शन सीट्स का नहीं मिला है जो कि उनकी आबादी थी उनको कुल ८२, ८३ सीट्स मिलीं। बहुत सी कांस्टीट्यूएंसी ऐसी भी रहीं जहां उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। हालांकि वहां उनकी आबादी थी। और हिसाब लगाया जाय तो पता चलेगा कि जहां आबादी ज्यादा थी वहां जो रिप्रेजेंटेशन मिला लेकिन जहां कम थी वहां कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। इसलिये दोनों चीजों का मिलाना कंफ्यूजन पैदा करेगा। इतनी ही काफी है कि शेड्यूल्ड कास्ट की सीट्स उनकी पापुलेशन के प्रोपोर्शन से रिजर्व हो जायं। इस अमेंडिंग बिल के पास होने से उनको उतनी सीट्स मिल जायंगी जितनी कि उनकी पापुलेशन डिमांड करती है। इसलिये इन दोनों अमेंडमेंट का मंजूर करना फायदेमन्द नहीं होग नुकसान होगा। मुझे अफसोस है कि मैं इन दोनों को मंजूर नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ द्वारा प्रस्तुत नयी धारा 9-A की उपधारा (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय :

"Provided that in calculating the number of such seats fractions not less than half shall count as one and fraction less than half shall be disregarded."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ द्वारा प्रस्तुत नयीधारा 9—A में नयी उपधारा (३) इस प्रकार जोड़ दी जाय :--

"(3) The determination of seats reserved under sub-sections (1) and (2) for allotment to a ward shall bear the same proportion as the total Scheduled Castes' population of that ward bears to its total population."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

६--मूल अधिनियम की धारा १० के वर्तमान प्रतिबन्धात्मक वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय--

यू पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा १० का संशोधन।

"Provided that the provisions of this section shall not be applicable to a municipality which was already constituted under this Act on the day immediately preceding the commencement of the U. P. Municipalities (Amendment) Act, 1948, unless the municipality is one which, the State Government are satisfied, is subject to substantial seasonal variation of night population."

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन रखना चाहता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक वाक्य की चौथी पंक्ति में अंक "१९४८" के स्थान पर अंक "१९५२" रख दिया जाय।

माननीय मंत्री जी ने इस सदन में जो भाषण शुरू में दिया था उसमें उन्होंने यह कहा था कि हम नामिनेशन की प्रथा को म्युनिसिपिल बोर्ड से बिल्कुल हटा रहे हैं लेकिन हम यह चाहते थे कि, जो सीजनल म्युनिसिपैलिटी के रिप्रिजण्टेशन की बात कही कि नामिनेशन का जरिया जो है वह हटा दिया जायगा, परन्तु सन् १९४८ और १९५२ के बीच जो ऐसी बहुत सी म्यूनिसिपैलिटी बनी हैं इस प्राविजन के मुताबिक इस बीच में म्यूनिसिपैलिटी बनी हैं वह कायम हैं। हम चाहते हैं कि जब आप नामिनेशन की प्रथा को बिल्कुल हटा रहे हैं तो यह सौतेला व्यवहार इन म्यूनिसिपैलिटी के साथ क्यों किया जाय। इसलिये जो ४८ और ५२ के बीच म्यूनिसिपैलिटी बनी हैं उनमें भी नामिनेशन प्रथा न हो वहां भी यह हटा दी जाय। इतना हमारा मकसद है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--जो यह प्राविजो है इसका मतलब भी वही है जो कि माननीय उपाध्याय जी ने बतलाया है। जैसा मैंने कहा था कि हमारा इरादा कोई अगर इतने अरसे के बाद बनी हो तो नामिनेशन करने का वहां पर नहीं है। लेकिन अगर वह यह चाहते हैं और जिद करते हैं और इस बात को दूर करने के लिये कि अपोजिशन की कोई बात मानी नहीं जा रही है मैं इसको स्वीकार कर लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक वाक्य की चौथी पंक्ति में अंक "१९४८" के स्थान पर अंक "१९५२" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ७

पी० ऐक्ट १९१६ में धारा १०-का बढ़ाया ना ।

७---मूल अधिनियम की धारा १० के बाद निम्नलिखित नई धारा 10-A के रूप में रक्खी जाय :---

"10-A. (1) Except as provided in section 31, 31-A or 47-A every board shall continue for 4 years from the date of notification issued in pursuance of section 13-G that the board has been constituted :

"Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette* extend from time to time the term of all or any board, so however, that the total extension does not in the aggregate exceed two years."

(2) The term of a board shall begin from the date of notification issued in pursuance of section 13-G that the board has been constituted.

श्री नारायणदत्त तिवारी---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित नयी धारा 10-A की उपधारा (1) के प्रतिबन्ध की तीसरी पंक्ति में शब्द "board" के स्थान पर शब्द "of the board" रख दिये जायं ।

श्रीमन्, यह बिल्कुल शाब्दिक सा संशोधन है लेकिन फिर भी आवश्यक है कि इसको ठीक कर दिया जाय क्योंकि वैसे यह लगता है कि---

"Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette*, extend from time to time the term of all or any board, so however, that the total extension does not in the aggregate exceed two years."

वैसे जनरल क्लाजेज ऐक्ट में बोर्ड इनक्लूड कर सकते हैं लेकिन अगर ऐसा कर दिया जायगा तो यह जरा ग्रामेटिकली अच्छा लगेगा । सिन्गुलर प्लूरल की बात अलग है लेकिन यह साफ होना चाहिये । इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसे स्वीकार करने में आपत्ति न होना चाहिये ।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदत्त जी ने अपना संशोधन पेश करते वक्त ही अपना स्वयं जवाब दे दिया कि बोर्ड इन्क्लुड्स बोर्ड्स या सिन्गुलर इन्क्लुड्स. प्लुरल इसलिये कोई और बात कहने की आवश्यकता नहीं है । मेरे ख्याल में जो ड्राफ्ट है वह ठीक है और उसको इम्प्रूव करके बिगाड़ा न जाय । मुझे अफसोस है कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जो मैंने कहा था वही जवाब मंत्री जी ने ढूंढ़ लिया, वह तो ऐसा कहेंगे ही कि प्लुरल, इन्क्लूड्स सिन्गुलर, क्या ऐसा मंत्री जी का विश्वास नहीं है । "a board या any board" होता तब तो समझ में आ सकता था लेकिन जब all लिखा है तो प्लुरल होना चाहिए । हां, माननीय मंत्री जी जनरल क्लाजेज ऐक्ट को एप्लाई कर सकते हैं लेकिन अगर इसको यहीं साफ कर दें तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष---आप ग्रामर के जोर पर बात करें तो अच्छा होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं ग्रामर के जोर पर ही कह रहा हूं, जनरल क्लाजेज ऐक्ट तो बाद के लिए एप्लाई करता है। इसको श्रीमन् आप भी ठीक कर सकते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम--ग्रामर को ठीक करने का तो अधिकार आप को है, आप चाहें तो इसको ठीक कर सकते हैं, अगर इससे वह आप मुनासिब समझें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है आप ठीक कर दें।

श्री अध्यक्ष--"any of the boards" जो है वह "all or any board", से अच्छा मालूम होता है।

प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित नयी धारा 10-A की उपधारा (1) के प्रतिबन्ध की तीसरी पंक्ति में शब्द "board" के स्थान पर शब्द "of the board" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं :-

खंड ७ में प्रस्तावित नयी धारा 10-A की उपधारा (1) की पंक्तियां जो शब्द "Provided that the State Government" से आरम्भ होकर शब्द "in the aggregate exceed two years" से समाप्त होती हैं निकाल दी जायं।

धारा ७ में नयी धारा 10-A इस प्रकार है--

"10-A. (1) Except as provided in section 31, 31-A or 47-A every board shall continue for 4 years from the date of notification issued in pursuance of section 13-G that the board has been constitued :

Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette*, extend from time to time the term of all or any board, so however, that the total extension does not in the aggregate exceed two years."

अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का यह मतलब हुआ म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव के लिये माननीय मंत्री जी ने जो इस संशोधन विधेयक में यह रखा है कि वे दो साल तक एक्सटेंशन दे सकते हैं और मैं यह चाहता हूं कि जब कभी इलेक्शन ड्यू (वाजिब) हो तभी इलेक्शन करा दिया जाय। उस अवधि में ऐक्सटेंशन एक दिन का भी न दिया जाय। माननीय मंत्री जी स्वयं इस बात को मानते हैं कि समय बढ़ाना, जो कि कभी-कभी ८ और १० साल तक भी बढ़ाया गया है, जनहित में नहीं है। सरकार द्वारा यह संशोधन बिल लाना ही इस बात का सबूत है। इसमें ऐसी भी धारायें हैं जिनसे हम प्रेसीडेंट या किसी मेम्बर को ससपेंड कर सकते हैं। सरकार के सामने बहुत सी वैधानिक दिक्कतें थीं और इस मूल ऐक्ट को बदलना था और इसीलिये ४-५ साल की देर म्यूनिसिपिल चुनावों में हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि इस बीच में सरकार के सामने बड़ी-बड़ी कठिनाइयां आईं। बोर्डों को एक्सटेंशन दिया गया जिससे उन्होंने यह समझा कि जल्दी इलेक्शन होने वाला नहीं है। और वे धांधली करते रहे हैं। माननीय मंत्री जी को स्वयं अपने थोड़े से मंत्रित्वकाल में भी कुल मिला कर ६-७ बोर्ड म्युनिसिपैलिटीज को सुपरसीड करने पड़े हैं। उन्हें यह मालूम हुआ कि धांधलियां हो रही हैं और इस वजह से सुपरसीड करना पड़ा। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने यह कर दिया है कि २ साल से ज्यादा किसी म्यूनिसिपिल बोर्ड का टाइम एक्सटेंड नहीं होगा। मेरा संशोधन यह है कि जो २ साल की क़ैद जिस भावना से प्रेरित होकर रखी गयी है उसी भावना से दो साल भी न रखा जाय और

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

इलेक्शन्स जिस वक्त ड्यू (वाजिब) हों उसी वक्त करा दिये जायं। मैं समझता हूं सरकार को मेरे संशोधन को मान लेने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ४ साल की मियाद किसी भी आदमी की योग्यता को परखने के लिये काफी है इसलिये जहां हमने सिद्धान्ततः इस बात का विरोध किया है कि गवर्नमेंट को किसी भी हालत में यह ताकत नहीं होनी चाहिये कि वह जनता के चुने हुए किसी भी आदमी को हटा सके उस समय जब तक जनता स्वयं अपने मत से उसको न हटा दे। अगर सरकार ऐसा अमेंडिंग बिल पेश करती है कि २ साल का टाइम इसके लिये रखा जाय तो उन दो सालों में गड़बड़ी होती है उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आ जाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह प्राविजो हटा दिया जाय और सिर्फ ४ साल का ही समय रखा जाय। अगर यह रहेगा तो लोगों को यह डर रहेगा कि हमें इलेक्शन फेस (चुनाव का मुकाबला) करना है, इससे गड़बड़ी भी न हो सकेगी नहीं तो लोग यह समझते रहेंगे कि माननीय मंत्री के पास जाकर चुनाव को रुकवा सकते हैं, और दो साल के लिये तो टाल ही सकते हैं और हो सकता है इन दो सालों में जनता को बड़ी भारी हानि उठानी पड़े।

अध्यक्ष महोदय, यह मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। अमेरिका में सिनेट और प्रेसीडेंट के चुनाव होते हैं और जब वे चुनाव ड्यू (वाजिब) होते हैं तभी होते हैं। आपको याद होगा कि दूसरी बड़ी लड़ाई में जब कि सारी दुनिया तो दूसरे भीषण महायुद्ध में फंसी हुई थी उस समय अमरीका में चुनाव हो रहा था और उसी समय जब कि अमरीका एक बड़े सेनानी की हैसियत से जर्मनी और जापान का मुकाबला कर रहा था। सिद्धान्ततः इस बात को मान लेने से गवर्नमेंट की ओर से एक्सटेंशन नहीं दिया जायगा तो माननीय मंत्री के ऊपर भी जो लोग असर डालते हैं और उनको परेशान करते हैं, वह भी न होगा उससे मंत्री जी की मुसीबत टल जायगी और सारा सेटअप ही बदल जायगा और जनता को मौका मिलेगा कि अपना मन पसन्द प्रतिनिधि म्युनिसिपिल बोर्ड में भेजे। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन उपस्थित करता हूं और आशा है माननीय स्वशासन मंत्री इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस समय सदन के सामने है उसमें यह कहा गया है कि जो भी अवधि हो, जो भी म्युनिसिपैलिटी की लाइफ हो उसमें एक भी दिन का इजाफ़ा न किया जाय। मिसाल दी गयी है अमरीका और वर्ल्ड वार की और कहा गया कि अमरीका में कोई बात भी क्यों न हो वक्त पर चुनाव कर ही दिये जाते हैं। आपकी मार्फत अध्यक्ष महोदय मैं इतना सदन से निवेदन कर दूं कि अमरीका की हर एक चीज को हम अपने रिसोर्सेज के अनुसार ही अपना सकते हैं, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। हमारे सामने तो कई दिक्कतें आ जाती हैं जिनको हम पार नहीं कर सकते हैं। आज अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जनरल इलेक्शन कराये जायं और यह मान लिया जाय कि उसमें १ करोड़ रुपया खर्च होगा और उस समय पूर्वी जिलों में मान लिया अकाल पड़ा हुआ है तो इसी शहर के रहने वाले जिनका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से और उसके इलेक्शन्स से कोई ताल्लुक नहीं और न उनका सम्बन्ध उस अकाल से ही है लेकिन जो समझदार लोग हैं वे अवश्य ही यह कहेंगे कि जनाब क्या आपकी अक्ल मारी गयी है जो जनरल इलेक्शन में १ करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं जब कि अकाल से लोग भूखों मर रहे हैं और वैसा ही सदन में भी कहा जा सकता है कि इन इलेक्शन को रोक दीजिये और यह रुपया अकाल वालों के लिये दे दीजिये। इसी लेजिस्लेचर के दूसरे हिस्से के लोगों ने यह आवाज उठायी कि एलेक्शनबाजी में आप जल्दी करना चाहते हैं, यह यह जरूरी है, यह यह बात है। तो मौका आ सकता है जब हम सब लोग जितने विरोधी दल के लोग भी शामिल हैं, यह महसूस करें कि एलेक्शन एक छोटी चीज है, एलेक्शन का

मुल्तवी किया जाय और उससे ज्यादा जरूरी जो है उसको सामने रख कर उसे काम में लावें। एपिडेमिक हो सकती है या जेनरल एलेक्शन पार्लियामेंट और प्रान्तीय असेम्बली साथ होने पर टक्कर हो सकती है तो विरोधी दल के लोग चाहेंगे और इस सदन में बहुमत दल के जो लोग हैं वे भी चाहेंगे और जो दल इस सदन के बाहर हैं वे भी चाहेंगे कि म्यूनिसिपैलिटियों का चुनाव और जनरल एलेक्शन एक साथ न हो। हो सकता है कि मांग यह हो अलग-अलग कराये जायं। शहरों में कुछ ऐसी बीमारी हो, दो चार शहरों में ही एपिडेमिक फैला हो, जिससे शहर के रहने वाले शहर छोड़ कर भाग गये हों। शहर के माने कानपुर और लखनऊ जैसे शहर से ही नहीं है। दस-दस हजार की आबादी वाली म्युनिसिपैलिटियां भी शहर के अन्दर आती हैं। तो जब कि किसी शहर में प्लेग फैला हो और वहां के लोग भाग कर अपने रिश्तेदारों के यहां चले गये हों और फिर आप कहते हैं कि एलेक्शन कराया जाय। तो कम से कम मेरा अन्दाजा यह है कि उस शहर के लोग तो यह जरूर कहेंगे कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो एपिडेमिक हो सकता है, जनरल एलेक्शन हो सकता है, और भी दुनिया भर की नागहीनी की चीजें हो सकती हैं। या और भी कोई जरूरत की अवस्था में कोई म्युनिसिपैलिटी अपने यहां एलेक्शन नहीं करा सकती है। यह सम्भव नहीं मालूम होता है, इसमें दिक्कतें मालूम होती हैं।

अमेरिका के पास जितने साधन हैं, जिस तरह से उनके पास एक दूसरे के पास पहुंचने के लिये साधन हैं वोट डालना कितना सुगम होता है उससे यह एलेक्शन मामूली तौर पर हो सकता है। लेकिन हमारे यहां एक एलेक्शन करने में इतनी ताकत खर्च होती है, इतना रुपया खर्च होता है, इतने कार्यकर्ता लग जाते हैं और इतने आफिसर्स लग जाते हैं कि कई बार कोई और जरूरी चीजें आ सकती हैं। जिनको हम प्रीफरेंस दें और जिसका पहले करना मुनासिब समझें। और साल ६ महीना एलेक्शन को रोक दें। अभी तक म्युनिसिपैलिटियों की लाइफ एक्सटेंड करने के लिये कोई रुकावट नहीं है। गवर्नमेंट जब तक चाहे उसे एक्सटेंड करती रहे लेकिन मैंने स्वयं दो वर्ष रखा है।

जो अमेंडमेंट यहां रखा गया है उसमें कुछ लोगों ने लाइफ को बढ़ाने की बात चाही, कुछ लोगों ने कहा कि यह बात जरूरी हो सकती है, कुछ लोगों ने कहा कि ४ साल कम है, ५ साल क्यों न कर दिया जाय। फिर कुछ लोग यह कहते हैं कि बोर्ड की लाइफ जिस तारीख को खत्म हो उस तारीख के भीतर ही एलेक्शन करा लिया जाय, कुछ लोग कहते हैं कि एक साल मियाद बढ़े, दो साल न रहे। हो सकता है कि जो लोग यह समझते हैं कि दो साल मियाद बढ़ायी जाय वे मेरी दलीलों को मानते हों जो मैंने दीं। चार साल के समाप्त होने पर फौरन एलेक्शन हो जाय और कोई मियाद बढ़े वे सब लोग इस दलील को मानते हैं कि हां, बोर्ड की मियाद बढ़ाना जरूरी हो सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं, मुश्किलें आ सकती हैं। एक साल बढ़ा दें तो सिद्धान्त की कोई बात नहीं रहती। मैं समझता हूं कि दो साल मियाद बढ़ायी जाय तो उसका मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा के लिये ही हो जाना चाहिये। मेरा मतलब यह है कि चार साल की लाइफ के अन्दर एलेक्शन हो जाना चाहिये जब तक कि कोई विशेष कारण न हो एलेक्शन मुल्तवी न हो। चार साल का अन्त होने के पहले ही नया बोर्ड चुना जाय और जब पुराने बोर्ड की लाइफ खत्म हो तो नया बोर्ड तुरत चार्ज ले ले। लेकिन अगर जरूरत महसूस हो तो लाइफ बढ़ायी जाय उसके लिये यह विधान रखा गया है। इसमें दो साल के लिये बढ़ाने की बात नहीं है। ६ महीने के लिये बढ़ सकता है, तीन महीने के लिये बढ़ सकता है साल भर के लिये बढ़ सकता है लेकिन कुल जोड़ जितना कि म्युनिसिपैलिटी को एक्सटेंशन मले वह दो साल से अधिक न हो, भले ही उसको चार, पांच बार एक्सटेंशन मिला हो।

[श्री मोहनलाल गौतम]

तो जरूरी नहीं है कि दो साल के लिये ही बढ़ा दिया जाय, तीन महीने के लिये भी बढ़ सकता है, ६ महीने के लिये भी बढ़ सकता है और साल भर के लिये भी बढ़ सकता है लेकिन कुल मिलाकर दो साल से ज्यादा नहीं बढ़ सकता यह इसमें रखा गया है। मेरा ख्याल है यह बहुत सोच विचार करके रखा गया है और इसमें पहले तो यह कोशिश करना कि पीरियड बिलकुल बढ़ाया न जाय और फिर यहां तक मान लेना कि एक साल के लिये बढ़ाया जा सकता है कुछ उचित नहीं है। फिर यह भी कहा जा सकता है कि मंत्री जी पर प्रेशर पड़ेगा। मंत्री के लिये कुछ न कुछ कहना और हर एक स्पीच में दो एक हमले मंत्री की नियत पर किये बिना तो कुछ मजा आता नहीं इसलिये मैंने तो अब उसके बारे में बोलना छोड़ दिया है। लेकिन प्रेशर जायज भी हो सकते हैं वर्ल्ड फोर्सेज और लोकल फोर्सेज दोनों के प्रेशर्स ऐसे हेल्दी भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एलेक्शन कराया जा रहा है और उसमें १ करोड़ रुपया खर्च होने वाला है और इतने में फैमिन आया तो यह कहा जायगा कि एक करोड़ को फैमिन पर खर्च कर दो और वह प्रेशर हेल्दी प्रेशर होगा और ऐसे हेल्दी प्रेशर को चाहे वह अपनी पार्टी की तरफ से हो या विरोधी पार्टी की तरफ से हो मानना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं यह दिक्कत महसूस करता हूं कि अगर इसको माना जायगा तो दिक्कतें बढ़ जायेंगी और बजाय फायदे के नुकसान होगा। मुझे आशा है कि इसके मूवर साहब इसको वापस कर लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय राम नारायण त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी को यह शिकायत रही है कि हम तो हमेशा मंत्रित्व या उनकी नीति के खिलाफ कुछ मुखालिफत करते ही रहते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—मैंने तो मुखालिफत की बात नहीं कही। खिलाफत तो मर गई, मैंने यह कहा था

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं भी तो यही कहता हूं कि खिलाफत तो मर गई लेकिन मुखालिफत तो आपके सामने जिन्दा है। तो श्रीमन्, मैं तो माननीय मंत्री जी की थोड़ी बहुत तारीफ करता हूं और वह इसलिये कि उन्होंने पहले प्राविजन को कुछ हल्का कर दिया। पुराने ऐक्ट में जैसा था अगर वह देखा जाय तो उसमें था कि सरकार जितना चाहती उतना बढ़ाती जाती। केवल एक साल को बढ़ाने की बात थी। जितने मरतबे चाहे बढाती चली जाय। दफा २९ इस प्रकार है :—

"That the state Government may, by notification in the official Gazette :

(*a*) (i) extend from time to time the term of all boards generally and postpone the general elections in the State for a period not exceeding one year at a time,"

इसके मुकाबिले में अब जो प्राविजन माननीय मंत्री जी ने रखा है वह ज्यादा अच्छा है और मैं इस माने में उनकी तारीफ करता हूं। लेकिन फिर आपने, माननीय मंत्री जी ने, विधान की परम्पराओं का पालन नहीं किया। मैं अर्ज यह करना चाहता हूं कि आपने कहा कि ऐसी इमर्जेंसीज पड़ जायेंगी एलेक्शन्स के वक्त और उसके लिये यह चीज रखना जरूरी था। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि इमरजेंसी का नाम कहीं आपके इस संशोधन में है। जो संशोधन के शब्द हैं वह मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं :

"Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette*, extend from time to time the term of all or any board, so however, that the total extension does not in the aggregate exceed two years."

यह तो आप किसी हालत में कर सकते हैं इमरजेंसी हो या न हो। अगर इस प्रतिबन्धात्मक वाक्य में कहीं भी ऐसा होता कि जब इमरजेंसी आयेगी या अनफोरसीन सरकमस्टांसेज आ जायेंगे तभी एलेक्शन्स के समय को बढ़ाया जा सकेगा तब तो मैं त्रिपाठी जी से निवेदन करता कि माननीय मंत्री जी का मंशा बहुत स्पष्ट है और उसको चैलेंज नहीं करना चाहिये। लेकिन इसमें अनफोरसीन या नैशनल इमर्जेंसी की बात है ही नहीं। यह आपके बिलकुल डिस्क्रिशन पर है कि आप चाहें तो बढ़ा दें। सिर्फ आपने दो साल का एक प्रतिबन्ध रखा है। मैं विधान की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसको आपने कोट किया। अनुच्छेद १७२(१) में दिया हुआ है:

"Every Legislative Assembly of every State, unless sooner dissolved, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer and the expiration of the said period of five years shall operate as a dissolution of the Assembly:

Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency is in operation, be extended by Parliament by law for a period not exceeding one year at a time and not extending in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate."

[प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा, यदि पहले ही विघटित न कर दी जाये तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियुक्त तारीख से पांच वर्ष तक चालू रहेगी और इससे अधिक नहीं तथा पांच वर्ष की उक्त कालाविधि की समाप्ति का परिणाम विधान सभा का विघटन होगा:

परन्तु उक्त कालाविधि को, जब तक आयात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, संसद् विधि द्वारा, किसी कालाविधि के लिये बढ़ा सकेगी, जो एक बार एक वर्ष से अधिक न होगी तथा किसी अवस्था में भी उद्घोषणा के प्रवर्तन का अन्त हो जाने के पश्चात् ६ मास की कालाविधि से अधिक विस्तृत न होगी।]

तो पार्लियामेंट और असेम्बली के विधान में इतने स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि किसी हालत में भी अगर प्रेसीडेंट प्रोक्लेम नहीं करेगा तो पांच साल से ज्यादा असेम्बली का टर्म नहीं माना जायगा। और अगर कोई नैशनल इमर्जेंसी हो तो पार्लियामेंट के कानून के जरिये टर्म बढ़ेगा और वह भी प्रोक्लेमेशन के खत्म होने के छः महीने के बाद समाप्त हो जायगा। तो नैशनल इमर्जेंसी होने के बाद फिर भी डेढ़ साल के अन्दर चुनाव हो जायगा। तो विधान इतना स्पष्ट है। हमने इसमें यह भी नहीं लिखा है कि कानून द्वारा असेम्बली म्युनिसिपैलिटी के टर्म को बढ़ायेगी। अगर ऐसा होता, कि जब नेशनल इमर्जेंसी हो तो प्रेसीडेंट प्रोक्लेम करे और असेम्बली कानून के जरिये से म्युनिसिपैलिटी की अवधि बढ़ाती तो भी हम यह सोचते कि यह संशोधन न रखें। लेकिन जब आप विधान की परम्परा से बाहर जायेंगे तब हमें विचारना पड़ता है कि जो धारा आपने रखी है उसको हम स्वीकार करें या न करें। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वह हमारे संशोधन को स्वीकार करें या अपने ओर से संशोधन लाकर जो भावना विधान के अनुच्छेद १७२ (१) में है उसका अनुसरण करें।

एक बात मैं और निवेदन करूं। हमने अखबारों में पढ़ा था कि काउंसिल में जिस समय प्रेसीडेंट की शिक्षा संबंधी योग्यता निर्धारित करने का प्रश्न आया तो वहां पर इसी दलील को मान करके कि चूंकि विधान के अन्दर पार्लियामेंट और असेम्बली के सदस्यों के लिये कोई शिक्षा संबंधी योग्यता नहीं रखी गयी है इसलिये म्युनिसिपैलिटी के प्रेसीडेंट की शिक्षा संबंधी योग्यता को डिलीट कर दिया जाय।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अगर माननीय मंत्री जी ने काउंसिल में इस प्रेसीडेंटी शिक्षात्मक योग्यता संबंधी प्रस्ताव को वापस ले लिया था विधान की परम्परा को देखकर तो आज भी उसी परम्परा के अनुसार यह दो साल की जो धारा रखी गयी है उसको भी या तो संशोधित करें या बिलकुल निकाल दें।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो संशोधन श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें कहीं गई एक भी बात से संतोष नहीं हुआ। कानून के अन्दर जब हम कानून बनाने बैठे हैं तो उसमें हम इतनी लचक क्यों रखें कि जो मेम्बर चुने जायं उनको ऐसी भावना रखने का ख्याल भी पैदा हो जाय कि उनकी मियाद गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपने डिस्क्रीशन पर दो साल बढ़ा सकती है।

मैं समझता हूं कि यह कमजोरी है कानून की। कानून सख्त होना चाहिये और कानून में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं होनी चाहिये कि किसी भी गवर्नमेंट को यह कहने का मौका हो कि कोई अकाल पड़ जाय पूर्वी जिलों में जिसके लिये सरकार को करोड़ों रुपया खर्च करना पड़े। अगर कोई ऐसी इमर्जेंसी आ जाय तो आपके हाथ बंधे नहीं है उसके लिये आप कानून बना सकते हैं और गवर्नमेंट के जरिये आर्डिनेंस भी निकाल सकते हैं। लेकिन कोई मौका तो आने दीजिये। लेकिन आप तो पहले से ही यह बनाये दे रहे हैं। जैसा कि नारायणदत्त जी तिवारी ने कहा अगर ऐसा ही है तो इमर्जेंसी टाइम के लिये ऐसी प्रोविजो आप रख सकते थे लेकिन वह भी आप ने नहीं रखा। आपने तो पहले से ही अपने डिस्क्रिशन पर रखा है, आप क्यों ऐसी लचक कानून में रखते हैं। इसके अलावा आपने दो साल का ऐग्रीमेंट रखा है। ३ महीने अब बढ़ा दिया और फिर एक साल छोड़ करके ४ मास फिर बढ़ा दिया। यह क्या मजाक सा कर रखा है। एक बार होना चाहिये। अगर आपको मौका मिला है, अगर कोई इमर्जेंसी है तो तीन महीने के लिये बढ़ा दिया फिर बन्द कर दीजिये लेकिन आप यह करते हैं कि तीन महीने बढ़ा दिया और फिर ३ महीने के लिये बढ़ा दिया और ऐग्रीगेट ले जा करके दो साल कर दिया। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी लम्बी कहानी हो जायगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि कानून जहां बनाने जा रहे हैं उसमें इस तरह की लचक और गुंजायश न रखें कि जिस से लोगों को यह जरा सी भी भावना हो कि हमारा चुनाव का जो वक्त है जरा सा भी बढ़ेगा।

यदि कोई इमर्जेंसी भी आती है तो मैं फिर दोबारा दोहराता हूं कि हमारे हाथ कोई जेब में नहीं रहेंगे। आप कानून बना सकते हैं और कानून के जरिये से टाइम को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप गुंजायश रखें और सब कुछ अपने हाथ में रखें और उसे भी कानून में नहीं, तो मैं उसे मुनासिब नहीं समझता और मैं यह समझता हूं कि यह प्रस्ताव बहुत सही है और स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामनारायण जी के संशोधन का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने इस संशोधन का विरोध करते हुये अपने भाषण में यह दलील दी कि हो सकता है कि अकाल पड़ जाय और उस समय हमें यह एलेक्शन बन्द करना पड़े। ठीक है, जहां तक मंत्री जी का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि कुछ मानों में उनकी दलील ठीक है और इसलिये ठीक है कि अकाल की बात सोचना इस हुकूमत में जायज है। क्योंकि जबतक यह हुकूमत रहेगी अकाल की संभावना हमेशा है और यही चीजें सोच कर माननीय मंत्री जी ने जो दलील दी कि हां अकाल आयेगा और वह भी ऐसा वैसा नहीं आयेगा, वह ऐसा कि जो मुतवातिर दो दो साल तक प्रदेश में रहेगा और दो दो साल तक चुनाव को रोकना पड़ेगा। इस किस्म की बा सोचते हैं इस हुकूमत के मंत्री महोदय ! उनका सोचना जायज है। फिर भी मैं

आपसे दूसरी चीज अर्ज करूं, जो कि मुझे दुख है, उस रोज मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था, एक दलील दी थी कि "गोबध बन्द करो, ऐसा लिखना ही बहुत खराब मालूम होता है ।" इसी तरह से अगर यह कहा जाय कि अकाल पड़ेगा, और वह भी एक मंत्री के मुख से वह उससे भी ज्यादा खराब मालूम होता है। तो नाजायज बात नहीं होगी । मैं तो मंत्री जी से कहूंगा कि इस किस्म की दलीलें ठीक दलीलें नहीं हैं।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।

एक मनुष्य जा रहा था। उसके सिर पर दरख्त जम गया था, लोगों ने कहा कि उसे देखो उसके सिर पर दरख्त जमा है और वह वैसे ही बिना लज्जा के चला जा रहा है। उसने कहा कि चलो दरख्त जम जाने से इतना तो हुआ कि साया तो हो गई। तो इस तरह की, इस किस्म की दलीलें माननीय मंत्री जी न दें इसको मानने के लिये और अपने हाथ में इतना अधिक अधिकार न रख लें कि जब चाहा तब चुनाव टाल दिया। कभी हो सकता है कि पहले यह चुनाव आये उस समय बोर्ड के सदस्यों द्वारा कौंसिल का चुनाव भी हो सकता है तो उसको आप टालते जायं। मैं इन शब्दों के साथ में श्री रामनारायण जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अधिष्ठाता महोदय, यह अमेंडमेंट जो आया है श्री रामनारायण त्रिपाठी का मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्री मलखान सिंह जी ने कहा था कि वेस्ट आफ टाइम है और यह लचर है लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के हाथ यहां बंधे जा रहे हैं। जैसा आप ने कहा कि तीन-तीन महीने पर प्रतिबन्ध लगता है, गवर्नमेंट खुद अपने सामने रुकावट रख रही है। अब गवर्नमेंट अपने सामने एक पीरियड लिमिट कर रही है और उसका आप विरोध कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि जब हम एक लिमिट करते हैं तो आप क्यों विरोध करते हैं। जब हम पीरियड लिमिट करते हैं तो आप उसका विरोध करते हैं और अगर हम लिमिट नहीं करते हैं तो आप कहते हैं कि साहब लिमिट कर दीजिये, आप मनमानी कर रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि हम मनमानी नहीं कर रहे हैं। जहां तक इमर्जेंसी का प्रश्न है एमर्जेंसी म्युनिसिपैलिटी में लागू नहीं होगी। एमर्जेंसी तब लागू होगी जब कोई वाइड क्वेश्चन होगा। प्रेसीडेंट को एमर्जेंसी पावर यूज करने का अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट एमर्जेंसी पावर नहीं यूज करेगी। इन शब्दों के साथ मैं यह बता देना चाहता हूं कि त्रिपाठी जी ने जो दो वर्ष का विरोध किया है यह ठीक नहीं है और उनका जो अमेंडमेंट है वह बिलकुल गलत है और जो सरकारी बिल है वह बिलकुल दुरुस्त है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय चेयरमैन महोदय, जो प्रस्ताव माननीय रामनारायण जी ने इस सदन के समने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा था कि जब कोई एमर्जेंसी हो जाती है तो एलेक्शन्स का होना मुमकिन नहीं होता है और उसके लिये कुछ टाइम की जरूरत होती है। मेरा कहना यह है कि हमें जरा सरकार की इन बातों पर विश्वास कम आता है। सरकार तो हमेशा एमर्जेंसी क्रिएट करवाती रहती है, अकाल अगर बम्बई में पड़ता है तो यहां म्युनिसिपैलिटीज में अकाल की बात कर दी जाती है। आज मिसालन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव ड्यू हैं लेकिन अभी उसकी कोई बात नहीं आ रही है यद्यपि न इस प्रान्त के अन्दर अकाल है और न कोई और ऐसी चीज है। पंचायत राज हमारे प्रान्त की एक बहुत बड़ी चीज समझी जाती है और उसका चुनाव ओवर ड्यू हो गया है, लेकिन उसका एक्सटेंशन होता चला जा रहा है। जब आप की तबियत होगी तब आप उसका चुनाव करायेंगे। पहले जेनरल

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

एलेक्शन्स की बात कही जा रही थी और अब एमर्जेंसी की बात आ रही है और जब कभी गवर्नमेंट चाहे एमर्जेंसी क्रिएट कर सकती है। हम चाहते हैं कि इसका निश्चय कर दिया जाय। अगर कोई कभी लड़ाई की बात होगी तो हरएक दल चाहेगा कि मिल करके अपने मुल्क की रक्षा करें। अगर शहरों में आग लग रही हो और कागजात जलाये जा रहे हों तब भी हम साथ देने के लिये तैयार हैं कि हां साहब एलेक्शन्स पोस्टपोन किये जायं। अगर कागज जल रहे होंगे तो हमारा भी नाम नहीं निकलेगा। जो कार्य गवर्नर आर्डिनेंस निकाल कर के कर सकता है उसको कानून में रख देना और फिर यह कहना कि हम बड़ी भारी बात कर रहे हैं, ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर यह इस से निकाल दिया जाय तो हर म्युनिसिपैलिटी यह समझेगी कि अगर इस पीरियड तक हमारा काम ठीक रहा तो ठीक है, और अगर काम ठीक नहीं रहा तो निकाल दिये जायेंगे। माननीय मंत्री जी ने कहा कि मुझे सलाह देने वाले और लोग होते हैं। माननीय मंत्री जी को सलाह देने के लिये जितने लोग आते हैं वे यही चाहते हैं कि एक आध साल का एक्सटेंशन हो जाय।

श्री मोहनलाल गौतम---ताल्लुक अलग-अलग होता है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---इसलिये मैं चाहता था कि अगर इस पर कुछ नियम फिक्स हो जायं तो कोई गड़बड़ी म्यूनिसिपैलिटीज के अन्दर नहीं हो सकती है। जिस वक्त चुनाव ड्यू होता है उस वक्त म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हो जाय तो हमारे प्रान्त की म्यूनिसिपैलिटीयों का ऐडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। कोई वजह नहीं कि सिवाय इमर्जेंसीज के ऐसी चीज की जाय, मैं समझता हूं कि कांस्टीटयूशन में भी ऐसा नहीं है कि चुनाव पांच साल के बाद होगा ही, वार हो या कोई ऐसी इमर्जेन्सी हो तो चुनाव न किया जाय। अगर कोई इमर्जेन्सी होगी उस वक्त हमारे प्रेसीडेंट कोई आर्डिनेंस निकाल सकते हैं कि ऐसी चीज हो गई है इसलिये एलेक्शन नहीं होगा, इसलिये जो गवर्नर साहब कर सकते हैं उसका कानून बनाया जाय, यह ठीक नहीं है। अगर चार साल का समय है तो मेम्बर यह समझेंगे कि कम से कम ६ साल तो रहने को मिलेगा ही। मैं भी चाहता हूं कि अगर चुनाव १५ साल तक न हों तो मैं इस असेम्बली में बैठा रहूंगा, मगर हमारी पार्टी नहीं चाहती है। हम तो चाहते हैं कि बहुत जल्दी नया चुनाव हो ताकि हम इन्हें बाहर निकालें और हम खुद बैठें लेकिन हर एक आदमी चाहता है कि कण्टीनुएशन काफी रहे। तो मैं चाहता हूं कि इस को अगर बन्द किया जाय और नियत टाइम पर चुनाव किया जाय तो उससे हमारी म्यूनिसिपैलिटीज की ठीक व्यवस्था हो सकती है, इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---चेयरमैन महोदय, यह संशोधन जो प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। माननीय त्रिपाठी जी का, जिन्होंने इस संशोधन को पेश किया है, यह कहना है यह २ ईयर्स (दो सालों) की अवधि बढ़ाने का जो अधिकार दिया जा रहा है, इस संशोधन के द्वारा, वह निकाल दिया जाय। वह समझते हैं कि इसका प्रयोग ठीक नहीं होगा। माननीय नारायणदत्त जी ने यह कहा कि इसका इमर्जेन्सी के केसेज में प्रयोग किया जाना उचित होगा लेकिन वैसे इसका प्रयोग नहीं होना चाहिये। माननीय नारायणदत्त जी ने संविधान की धारा १७२ का हवाला दिया और यह कहा कि पार्लियामेंट या असेम्बली के लिये जो मियाद बढ़ाने का प्रश्न आता है उसका बिल प्रस्तुत किया जाना चाहिये संविधान की धारा के अनुसार। इस तरह से अगर म्युनिसिपैलिटी की मियाद बढ़ाने का प्रश्न आता है तो इसका अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को ही दे देना उचित नहीं होगा बल्कि जहां तक मैंने समझा उनका यह मतलब था कि इसकी मियाद बढ़ाने का जब प्रश्न आवे तो वह भी असेम्बली

में आना चाहिये, यह उनका एतराज था। माननीय मलखान सिंह जी ने कहा की ऐसा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है और उसमें जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, यह एक तरह का मजाक है। माननीय उपाध्याय जी का यह कहना था कि अगर ऐसा समय आ जाय जैसा उन्होंने इसको स्वीकार किया कि लड़ाई का अवसर आये तब तो वे सहर्ष स्वीकार करेंगे कि अवधि बढ़ा दी जाय। माननीय जगन्नाथ मल्ल को बड़ा एतराज था और यह अकाल पड़ जाने की जो बात माननीय मंत्री जी के मुंह से निकल गई उस पर उनको बड़ा एतराज़ था और उन्होंने यह कहा कि इस हुकूमत में अकाल पड़ना अवश्यम्भावी है, यह उन्होंने इसका निष्कर्ष निकाला था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर एक नियम का अपवाद रखना आवश्यक होता है। क्या आप समझते हैं कि जब इसकी आवश्यकता पड़े तो मंत्री महोदय अवधि बढ़ाने के लिये कोई विधेयक यहां पर लावें। अगर ऐसा करते रहें तो जैसा यह मामूली सा विधेयक म्युनिसिपैलिटी का है जिस पर क़रीब-क़रीब इस रोज़ से हम संशोधनों पर बहस कर रहे हैं। तो अगर अवधि बढ़ाने का विधेयक आया और हम बहस करना शुरू कर दें तो एक महीना बहस में ही ख़त्म हो जायगा। यह तो एक तात्कालिक प्रश्न है कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाय तो म्युनिसिपैलिटी की अवधि को बढ़ाने का अधिकार सरकार को होना चाहिये। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जब यह जनता की सरकार है जनता ने चुन कर इसे भेजा है तो फिर हर बात में शंका करते रहें, जैसे कि जब यहां ब्यूरोक्रैटिक गवर्नमेंट थी, विदेशी हुकूमत थी तब हम अक्सर शंका किया करते थे कि गवर्नमेंट को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिये, मेरी समझ में यह उचित नहीं है। गवर्नमेंट को अधिकार देना चाहिये कि तात्कालिक कोई ऐसा प्रश्न आ जाय तो वह अवधि बढ़ा सके। इसमें आप देखेंगे, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, कि पहले तो कोई मियाद नहीं थी, चाहे जब तक अवधि बढ़ाते चले जायं लेकिन अब उन्होंने अन्तिम अवधि नियत कर दी है कि दो वर्ष तक हम बढ़ा सकते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ायेंगे। तो बजाय इसके कि विरोधी पक्ष को इससे प्रसन्नता होती कि जो अनलिमिटेड पावर गवर्नमेंट की थी उसको कम करके मंत्री महोदय ने केवल दो वर्ष कर दिये, वह इसका विरोध करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नियमों में क्या है? सन् १९३५ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एलेक्शन्स हुये थे। परिस्थितियों ने हमको वाध्य किया तो सन् १९४८ में कहीं जाकर, १३, १४ वर्षों के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एलेक्शन्स हुये। उसी प्रकार म्युनिसिपल बोर्ड के एलेक्शन्स मेरे खयाल में सन् ४५ में हुये थे और अब ५२ हो गया। तो सात वर्ष तक हम उनकी अवधि बढ़ाते चले गये। तो ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं। इस विधेयक में आप देखेंगे कि इसमें शब्द may आया है, shall का शब्द नहीं है जिसका अर्थ यह हो कि जरूर ही अवधि बढ़ायी जाय। तो ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, अकाल को आप छोड़ दीजिये यदि मंत्री जी ने अकाल शब्द का प्रयोग कर दिया और आपको बुरा लगा और हम भी उसका प्रयोग करना नहीं चाहते हैं अगर उसके प्रयोग से माननीय जगन्नाथ मल्ल जी को एतराज है। मैं उनसे सहमत हूं, ठीक है, नहीं प्रयोग होना चाहिये ताकि इस अकाल के कष्ट से हम लोग बरी रहें। लेकिन और परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे कि माननीय उपाध्याय जी ने बताया, लड़ाई हो सकती है, लड़ाई के वे बादल तो आज कल आकाश में मंडरा ही रहे हैं। तो मैं यह समझता हूं कि इसके लिये सरकार को अधिकार देना सर्वथा उचित है और इसका प्रयोग अति आवश्यक परिस्थितियों में होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय त्रिपाठी जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे और यह सदन जैसा कि मंत्री जी ने विधेयक प्रस्तुत किया है उसे पास करेगा।

श्री कमला सिंह—महोदय, मैं श्री रामनारायण त्रिपाठी जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे मिश्र जी ने बहुत सी बातें बतलायीं और

[श्री कमला सिंह]

माननीय मंत्री जी ने भी बहुत सी बातें बतलायीं लेकिन अगर इस सेक्शन को पढ़ा जाय तो इसके अन्दर कोई ऐसा स्थान नहीं आता जहां पर इमरजेंसी शब्द हमें मिले। मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं---

"Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette*, extend from time to time the term of all or any board, so however, that the total extension does not in the aggregate exceed 2 years."

इसके अन्दर कहीं भी "in case of emergency" आया होता तो मैं मान सकता था कि माननीय मंत्री जी का कहना ठीक था लेकिन यह शब्द कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। दूसरे आप यदि देखें और इसकी डैफीनेशन्स को देखें तो कहीं भी आपको इमर्जेन्सी शब्द नहीं मिलेगा, जिससे मालूम हो कि यह किस हालत में माना जायगा या इमर्जेन्सी का प्रयोग किस समय में हमारी सरकार तथा हमारे मंत्री जी इसका प्रयोग करेंगे।

माननीय मंत्री जी के मुख से कुछ शब्द निकले हैं। जहां उन्होंने अकाल शब्द कहा है तो मुझे तो ताज्जुब होता है क्योंकि अकाल तो हमेशा देहातों में पड़ता है और किसी म्युनिसिपैलिटी में अकाल सुनाई नहीं देता है और अब आगे पड़ने की सम्भावना हो तो मैं नहीं कह सकता हूं। फिर भी मैं यह कहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी का चैलेंज है कि हमारे प्रदेश में कभी भी अकाल नहीं पड़ सकता है और हमारे गुप्ता जी के रहते हुये यदि अकाल पड़े तो बड़े ही आश्चर्य की बात है और साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि स्वशासन मंत्री जी की समझ में कैसे आया कि अकाल पड़ेगा और इमर्जेन्सी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि शायद वह गुप्ता जी या मुख्य मंत्री जी को अयोग्य मानते होंगे लेकिन मैं कहता हूं कि इस भावना को दूर रखा जाय। अगर यह कहा होता कि म्युनिसिपैलिटी के अन्दर किसी किस्म की गड़बड़ी होती है जिससे इमर्जेन्सी लाई जाये तो शायद ठीक होता।

मैं श्री मिश्रा जी की इस बात को तो मानने के लिये तैयार हूं कि हां, लड़ाई वगैरा की वजह से काम में गड़बड़ी हो सकती है तो वह मानी जा सकती है। लेकिन जहां तक अकाल का सवाल है तो मैं समझता हूं कि कोई भी म्युनिसिपैलिटी ऐसी नहीं है कि जहां अकाल पड़ता हो। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि म्युनिसिपैलिटी के अन्दर कहीं भी अकाल पड़ नहीं सकता है। हां, बिहार क्षेत्र में या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में यह चीज आ सकती है। यह एक ऐसा सवाल है कि दुनिया भर का सामान ढोकरके यहां आता है और फिर यहां से वितरण होता है और सप्लाई आफिस भी यहीं से वितरण करता है। ऐसी हालत में मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं होऊंगा कि किसी भी म्युनिसिपैलिटी में अकाल पड़ेगा। ऐसी हालत में मैं उम्मीद करता हूं कि इमर्जेन्सी का बहाना लिया गया है वह इस सेक्शन में कहीं नहीं है? इसलिये मालूम होता है कि पावर गेन करने का यह एक तरीका है। ऐसी हालत में जब काम सुचारुरूप से चल रहा हो तो गवर्नमेंट को एक विशेष ताकत का दे देना ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर इमर्जेन्सी केसेज में रखा जाता तब तो ठीक था लेकिन इमर्जेन्सी शब्द इसमें नहीं है। ऐसी हालत में मैं प्रार्थना करूंगा माननीय सदस्यों से कि वह त्रिपाठी जी के संशोधन को सपोर्ट करें।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)---माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि श्री रामनारायण त्रिपाठी जी का संशोधन बहुत उचित है और ऐसा माना जाय कि जब कहीं गड़बड़ी होती है तो अवधि के भीतर ही

चेयरमैन को अलग किया जा सकता है परन्तु अगर चेयरमैन या बोर्ड अच्छा काम कर रहा है तो अवधि बढ़ने की कोई कानूनन या मौरल ग्राउंडस पर किसी तरह से आवश्यकता नहीं होती है। अगर बोर्ड अच्छा काम कर रहा है और चेयरमैन अच्छा काम कर रहा है तो दूसरे इलेक्शन में वह आ जायगा। अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो जनता को यह मौका मिलता है कि अपने चेयरमैन को, अपने मेम्बरान को अपने नये तरह से जिनमें सेवा का भाव हो उनको लेकर उन कुर्सियों पर बैठावें। इसलिये यह खास जरूरत के लिये एक साल के लिये होना तो बहुत ही काफी है उसको और बढ़ाने के मानी यह होंगे कि बोर्ड से या किसी चेयरमैन से गवर्नमेंट किसी तरह से खुश है तो उसको लीज लाइफ ज्यादा दे दे। तो मैं इन शब्दों के साथ यह प्रार्थना करूंगा कि रामनारायण त्रिपाठी जी का संशोधन बहुत ही अच्छा है उसको मानना चाहिये।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--माननीय अधिष्ठाता जी, मैं सदन के सामने प्रस्तुत संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। संशोधन की ताईद में माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार रक्खे हैं उनमें ज्यादातर माननीय स्वशासन मंत्री की इस बात पर आश्चर्य तथा अफसोस जाहिर किया है कि साहब माननीय स्वशासन मंत्री पहले से ही यह कैसे सोच सकते हैं कि अकाल जैसी कई प्रकार की रोक भी आ सकती है जिनके कारण चुनाव कराने में कोई अकस्मात दुर्घटनायें घटित हो सकती हैं जिनके कारण से निश्चित समय पर चुनाव कराना कठिन हो जाय। माननीय कमला सिंह जी ने अपने प्रस्ताव में यह कहा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी या माननीय गुप्ता जी के होते हुए हमारे प्रान्त में अकाल की बात सोचना एक अनोखी बात है। बात उनकी ठीक है। कोई भी माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में यह बात नहीं सोच सकता परन्तु हमारा देश खेतिहर देश है और ऐसा खेतिहर देश है जहां के किसान बहुत कुछ प्रकृति के सहारे हैं। वर्षा समय पर होती रहे हमारी खेती-बाड़ी अच्छी होगी, वर्षा समय पर नहीं होती देश में और हमारे प्रान्त के कई जिलों में अकाल की नौबत आ जाती है। या वर्षा अधिक हो जाती है या इसी प्रकार से खेती पर दूसरे प्रकार की आपत्तियां आती हैं जैसा कि इस वर्ष कुछ जिलों में टिड्डी दल आया, बहुत ही अच्छा हुआ कि हमारी सरकारी मशीनरी ने उस टिड्डी दल पर काबू पा लिया और वह हमारे प्रान्त की फसल को नष्ट नहीं कर सका, लेकिन ऐसा भी संभव हो सकता है कि इस प्रदेश में जहां लोगों की जीविका खेती-बाड़ी पर ही निर्भर हो और खेती-बाड़ी प्रकृति के नियमों पर निर्भर हो तो अकाल की बात कह देना और उस पर इस प्रकार की आपत्ति करना कि इस प्रकार की बात सोचना यह तो हमारे प्रान्त के लिये बड़े दुर्भाग्य की बात होगी और यह तो ऐसी सरकार की बात होगी जो सरकार एक जनतंत्र की सरकार है। यह बात तो मानी हुई है कि इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। मैं यदि यह कहूं कि कल को जिसकी मुझे आशा नहीं है सोशलिस्ट पार्टी की सरकार हो सकती है तो उसके समय में भी ये चीजें आ सकती हैं। तो माननीय विरोधी दल के सदस्यों के सामने भी यह चीज आ सकती है।

अब जहां तक अकाल का सम्बन्ध है उसका प्रश्न गुप्ता जी या मुख्य मंत्री जी से सम्बन्ध रखता है। सरकार का जो आदमी भी होगा वह इसके लिये प्रयत्नशील रहेगा कि हमारे प्रान्त की जनता दुखी न हो। अब ऐसी स्थिति में जब कि लगातार वर्षा न हो या अधिक वर्षा हो जाय और लगातार फसल नष्ट होती चली जाय तो मैं पूछना चाहूंगा कि मेरे माननीय मित्र जिन्होंने अकाल शब्द पर आपत्ति की है वह क्या करेंगे जब कि ऐसा समय आयेगा जब कि लगातार हमारी कई फसलें नष्ट हो जायें। मैं यह समझता हूं कि इस तरह की बातें माननीय जगन्नाथ जी ने कहीं। जैसा सभी जानते हैं कि मृत्यु हमारे सर पर है लेकिन देहात में जब किसी

[श्री महीलाल]

अनपढ़ स्त्री के सामने उनकी सन्तान के लिये कोई मृत्यु शब्द कह दे तो उसको बुरा मालूम हुआ करता है और वह उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होती और कहने वाली किसी पड़ोसिन के लिये वह झुंझलाकर अपशब्द कहने लगती है। इसी प्रकार का उदाहरण हमारे श्री जगन्नाथ जी ने पेश किया। हमारे माननीय मंत्री जी ने एक बात कही और एक समस्या रखी कि यदि ऐसा समय हो। उस पर इस तरह की बात कहना मैं तो समझता हूं कि माननीय सदन का समय नष्ट करना है।

जहां तक २ वर्ष का सम्बन्ध है यह तो निश्चित नहीं किया जा रहा है कि यह केवल इसी सरकार के लिये है। यह तो जो भी सरकार होगी, जो भी जनता की चुनी हुई सरकार होगी उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है। जिस सरकार के ऊपर हम हर प्रकार के भले बुरे की जिम्मेदारी डाल रहे हैं हमें उस सरकार को शक्ति देना जरूरी है और शक्ति देना होगा तभी सरकार का काम चल सकता है। एक बात श्री नारायणदत्त जी ने इसी सम्बन्ध में कही कि यदि इस प्रकार का संकट आता है तो उस संकट के लिये इसके अन्दर प्राविजन होना चाहिये था कि असेम्बली को अधिकार है कि वह इसके लिये तय करे, जैसा कि असेम्बली के लिये पार्लियामेंट ने व्यवस्था हमारे विधान में की है। उनकी बात सुन्दर है और यह एक जनतन्त्र राज्य के लिये ठीक है लेकिन मैं श्री नारायणदत्त जी से पूछना चाहूंगा कि यह असेम्बली जनता की चुनी हुई है और उसी असेम्बली की नुमायन्दा हमारी सरकार है तो हमारा यह बहुमत , जनता का बहुमत उसको एक शक्ति देने जा रहा है और इस प्रकार की छोटी-छोटी बातों के लिये हम असेम्बली पर ही निर्भर रखें कि उसके ऊपर असेम्बली ही निश्चय करे और उसके बाद कोई क़दम उठाया जाय तो फिर यह सरकार क्या हुई। इस बात का जैसा कि वयोवृद्ध श्री मलखान सिंह जी ने कहा कि यह मजाक है उसी तरह से जो बातें उधर से कही गईं वह भी मजाक हैं। यदि हम सरकार के हाथ में शक्ति देंगे तभी हमारी सरकार का काम सुचारुरूप से चल सकता है और ठीक रह सकता है। इन शब्दों के साथ जो मूल प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करता हूं और उधर से जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसका विरोध करता हूं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—चेयरमैन साहब, हमारे साथी रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्यों ने जो इसके विरोध में दलीलें दी हैं और माननीय स्वशासन मंत्री जी ने जो दलील दी है कि अकाल वगैरह का ऐसा वक्त आ जाता है जब कि चुनावों को टालना पड़ता है। चेयरमैन महोदय, माननीय सदस्यों का भाषण सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है उसमें म्यूनिसिपैलिटी के चुनावों का जितना खर्च है वह म्युनिसिपैलिटी के जिम्मे ही रक्खा गया है। मैं इसको महसूस करता हूं कि जिस तरह से असेम्बली और पार्लियामेंट वगैरा के चुनाव में हुआ है कि उसका सारा खर्च शासन को अपने जिम्मे लेना पड़ा है वैसे ही म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव में भी शासन पर ही खर्च की जिम्मेदारी होती तब तो कहा जा सकता है कि उस समय शासन के सामने खर्च का और अकाल रोकने का सवाल आयेगा, लेकिन जब खर्च का भार म्युनिसिपैलिटी के जिम्मे है तब तो यह तर्क बिल्कुल निरर्थक है कि अकाल को रोकने के कारण चुनाव करना वांछनीय न होगा। एक चीज जरूर समझ में आती है और वह यह है कि अगर अकाल कहीं पड़ा होगा तो शायद हमारे मंत्री लोग और कांग्रेस के कर्णधार म्यूनिसिपैलिटियों के चुनाव का दौरा न कर सकें लेकिन मैं समझता हूं कि कोई पार्टी जो शासनारूढ़ है वह अगर जनता की आवश्यकता का अहसास न करे और टालने की बात सोचे केवल इसलिये कि मंत्रीगण को चुनाव का दौरा करने का मौका न मिलेगा तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। अगर यह खर्च सरकार के बजट से

होता तब तो यह दलील किसी हद तक ठीक कही जा सकती थी कि सरकार के सामने अकाल का सवाल है और ऐसे वक्त में चुनाव को टाला जा सकता है, लेकिन जब म्युनिसिपल बोर्ड ही का खर्च होगा तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि एलेक्शन को टाला जाय।

इसके अलावा जिस तरह से गवर्नर महोदय ने आगरा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आर्डिनेंस निकाल दिया उस तरीक़े पर भी ऐसी असाधारण परिस्थिति में चुनाव पोस्टपोन किए जा सकते हैं। इसके अलावा जिन १२ जिलों में अकाल पड़ा है उनमें से शायद ही कोई म्युनिसिपैलिटी ऐसी हो कि जहां सरकार को अकाल के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करनी पड़ी हो, जो कुछ भी किया गया है वह देहाती रक़बों में किया गया है। चेयरमैन महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन १२ जिलों में अगर कोई म्युनिसिपैलिटी ऐसी हो कि जहां उसे अकाल के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करना पड़ी हो तो वह बतावें। अगर वह बता सकते हैं तो मैं मान लूं कि यह संशोधन अव्यावहारिक है। लेकिन अकाल पड़ता है देहातों में न कि शहरों में। देहातों की जनता ग़रीब होती है और वह अकाल के समय साधनहीन होती है इसलिये उसी पर अकाल का ज्यादा प्रभाव पड़ता है लेकिन शहर और कस्बों की जनता को अकाल में इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती है।

चेयरमैन साहब, जहां तक मेरा अनुभव है, इस सरकार को संकटवाद का नारा लगाकर चाहे तो कानून बनाने का अधिकार मालूम होता है। संकट इसके सामने कब आजावेंगे, यह नहीं कहा जा सकता। जब चाहे तब संकटवाद का नारा देकर वह चुनाव को भी रोक सकती है। इस संशोधन का विरोध सरकारी बेंचों से इसलिये किया जा रहा है कि इससे संकटवाद का नारा लगाने की गुंजाइश नहीं रहती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटियों का सारा खर्चा चुनाव का म्युनिसिपैलिटियों पर ही है। सरकार के अधिकारियों को केवल देखरेख करनी है। सरकार की ओर से माननीय स्वशासन मंत्री जी ही काफी हैं। अकाल के जमाने में खाद्य मंत्री और मुख्य मंत्री ही काफी दौरा कर सकते हैं। चुनाव के लिये तो स्वशासन मंत्री ही काफी हैं। वह अपने नीचे के अधिकारियों द्वारा इसे चला सकते हैं। मैं समझता हूं कि मंत्री जी ऐसे कमजोर नहीं हैं कि वे चुनाव न करा सकें। मेरी राय में यह संशोधन बहुत ही सामयिक है और सबसे बड़ी कसौटी इसकी यह है कि यह सरकार के संकटवाद के नारे को खत्म करता है। मैं पुनः स्वशासन मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अधिष्ठाता महोदय, मेरे संशोधन पर कई माननीय सदस्यों ने और माननीय मंत्री जी ने अपने विचार प्रकट किये। मैंने यह संशोधन एक बुनियादी उसूल पर रक्खा है क्योंकि इस अमेंडिंग बिल के जरिये से जनता के सामने स्पष्टतः यह बात घोषित की जायगी कि ४ साल के लिये म्यूनीसिपैलिटियों का चुनाव होने जा रहा है। उसके बाद अगर माननीय मंत्री जी को या उनकी सरकार को या माननीय गवर्नर महोदय को यह अधिकार हो जाय कि वह कुछ न कुछ बहाना करके २ साल के लिये और बढ़ा दें। तो बुनियादीतौर से यह गलत बात है जो कि डैमोक्रेसी के लिये उचित नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा था, अगर माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को मान लेंगे तो उनकी भी सारी दिक्कतें दूर हो जायेंगी। चेयरमैन और मेम्बर उनके पास आते हैं और मंत्री जी पर असर डालते हैं कि हमारी म्युनीसिपैलिटी को २ साल के लिये और रोक दिया जाय। अगर यह धारा नहीं रहेगी तो इस चीज़ से वह बरी हो जावेंगे। मैंने उनकी नीयत पर हमला नहीं किया। जैसा उन्होंने स्वीकार किया, रोज उन पर असर डाले जाते हैं और हर तरह के लोग आते हैं और कभी-कभी, जहां तक मंत्रिमंडल के लोगों का तजुर्बा है, मुझे यह मालूम भी हुआ है कि बहुत सा गलत असर मंत्री लोगों पर पड़ जाता है और वे गलत काम कर जाते हैं, जो कि हमारे राज्य और प्रदेश के नियमों के विरुद्ध हैं।

श्री मोहनलाल गौतम---मैं इस लफ्ज पर आपत्ति करता हूं कि माननीय मंत्री गलत असर में आकर गलत काम कर जाते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---श्रीमान्जी, मैंने किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं लिया। सरकार पर चार्ज लगाने का मेरा काम है।

अधिष्ठाता---मैं श्री रामनारायण जी त्रिपाठी से अनुरोध करूंगा कि यदि इस प्रकार से एक्सप्रेशन्स न हों तो ज्यादा अच्छा है।

श्री मोहनलाल गौतम---मैं यह कहता हूं कि यह डिफ़ेमेटरी है और रूल्स के खिलाफ है। इसलिये इसे एक्सपंज किया जाय। यह मेरी प्रार्थना है। सिर्फ यह कि न किया करें तो अच्छा है, इससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। यह वह नहीं कह सकते कि मैं गलत काम करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मैं यह जानना चाहूंगा कि विधान की किस धारा के अनुसार माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह डिफेमेटरी है। उनको खुला है कि यदि यह डिफेमेटरी है तो इसे प्रिविलेज कमेटी में ले आवें और वह कमेटी उसका निर्णय करेगी।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ रामनारायण जी ने कहा उसमें क्या चीज डिफेमेटरी है यह मेरी समझ में नहीं आया?

श्री मोहनलाल गौतम---यह कहना कि मिनिस्टरों पर गलत असर पड़ता है और वे उस असर में आकर गलत काम करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि वह एक भी बात ऐसी बता दें जिसमें मैंने ऐसी गलती की हो। इसलिये यह कहना कि गलती करते हैं, बेईमानी करते हैं, ठीक नहीं है।

श्री राजनारायण---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं सुन रहा था उससे मैं यह नहीं जानता कि माननीय रामनारायण जी ने माननीय मंत्री जी को बेईमान कहा हो। किसी भी रूल या किसी भी धारा में माननीय मंत्री जी यह नहीं दिखा सकते कि कोई यह न कहे कि माननीय मंत्री जी गलत काम करते हैं। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बहुत सी गलतियां की हैं और यह चीज उनको बता भी सकता हूं, उसके लिये क्वोटेशन रखने के लिये तैयार हूं। अगर आप इजाजत दें तो एक नहीं ५० बातें मैं उनको ऐसी बता सकता हूं।

अधिष्ठाता---कृपया आप बैठ जायें तो अच्छा हो।

मेरे खयाल से जो कुछ रामनारायण जी ने कहा वह डिफेमेटरी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैंने माननीय रामनारायण जी से निवेदन किया है कि हाउस में वे ऐसी बातों को न कहें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अधिष्ठाता महोदय, जो दूसरी बात माननीय मंत्री महोदय जी ने उठाई वह यह है कि समय बढ़ाने के कारणों में ऐपीडेमिक्स हो सकते हैं, अकाल पड़ सकता है। अकाल और लड़ाई के बारे में तो हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों ने जवाब दे ही दिया है। ऐपीडेमिक की बात कह कर क्या माननीय मंत्री जी यह मेरे कहने का मतलब समझते हैं कि जिस दिन मियाद समाप्त होने वाली हो उसी दिन के शाम के पांच बजे नये बोर्ड का चुनाव समाप्त हो जाना चाहिये? माननीय मंत्री जी इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं कि अगर मियाद ३१ मार्च को खत्म होने वाली है तो चुनाव जनवरी में किये जा सकते हैं और बोर्ड की मियाद खत्म होने पर, चुनाव का नतीजा निकल आने पर नये अधिकारी चार्ज ले सकते हैं।

कांग्रेस पार्टी की ओर से यह भी कहा गया कि सरकार भी तो जनता की ही है, वह बिना किसी कारण के चुनाव को दो साल के लिये नहीं टालेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार भी तो जनता की ही सरकार है और इससे पहिले भी जनता की सरकार थी। लेकिन उसने इन्हीं म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव सन् ४८ से ५२ तक रोक रक्खा, होने नहीं दिया। क्या कोई लड़ाई हो रही थी। क्या कोई ऐपीडैमिक फैला हुआ था या कहीं अकाल पड़ रहा था ? फिर मैं पूछना चाहता हूं कि इन्हीं परिस्थितियों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव कैसे किये गये और वह लिमिटेड फ्रैंचाईज से किये गये। केवल चुनाव संयुक्त निर्वाचन प्रणाली से किये गये; वह चुनाव भी तो साढे बारह फीसदी वोट से के आधार पर किया गया था। जिला बोर्डों का चुनाव कर दिया गया और म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव रोक दिया गया। इसमें आपकी क्या मजबूरी थी ? अधिष्ठाता महोदय, असलियत यह थी अपनी लोकप्रियता को देखते हुये सरकार को यह विश्वास नहीं था कि शहरों के पढ़े-लिखे लोग उसको वोट देंगे। अब जब उसने देख लिया कि देश में बहुत सी पार्टीज की वजह से, दलबंदी की वजह से ४४ फीसदी वोट मिलने पर भी वह जीत गयी है, तो अब इसको फिक्र पड़ी कि म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव जल्द ही शुरू होने चाहिये। तभी सरकार कहती है कि अब सेलेक्ट कमेटी में भी उसका जाना ठीक नहीं है। अगर सचमुच सरकार असलियत देखना चाहती थी तो उसको चुनाव ४८ में कराने चाहिये थे। अब भी अगर सरकार समझती हो कि इस तरह से आज उसको अधिक वोट मिल सकेगें तो यह उसकी दुराशामात्र है। और अगर सरकार यह समझती है कि जो कुछ वह कर रही है वही ठीक है तो यह सरकार के लिये घातक है और ऐसी सरकारें जनता द्वारा उखाड़ कर फेंक दी गयी हैं, यह सरकार को अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। और अगर विधान सभा में ३९१ सदस्यों का फख्र सरकार को रहा तथा जनता की रोटी और कपड़े का सवाल हल नहीं किया गया तो यह कह देने से कि ये ३९१ सदस्य जनता के बल पर चुन कर आये हैं, सरकार आप समस्या को हल नहीं कर सकेगी। हम तो यह देखते हैं कि पंचायतों का एलेक्शन भी बढ़ाया गया है। अभी माननीय मंत्री जी ने घोषणा की कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव भी बियोण्ड १९५३ चले जायेंगे। इसकी सन् ५३ तक गुंजाइश नहीं है बल्कि सन् ५३ के बाद भी चले जायेंगे; ५४, ५५ में संभवता कहीं हो सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में प्रायः सरकार का बहुमत है, सरकार चाहती कि वहां बहुमत को जब तक संभव है कायम रक्खा जाय। अगर माननीय मंत्री जी सचमुच चाहते थे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव हों, म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव हों तो जिस वक्त बजट के बाद असेम्बली का सेशन चल रहा था उसी वक्त ये बिल लाये जा सकते थे। और दूसरे बिलों को सरकार बाद में ला सकती थी। आखिर पंचायतों का चुनाव क्यों रोका गया है ? वहां कौन सा फैमिन, एपिडेमिक पड़ा हुआ है सारे प्रदेश की जनता, देहाती जनता इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि पंचायतों का चुनाव कब होगा ? लेकिन माननीय मंत्री जी कोई न कोई बहाना निकाल कर कि कहीं फेमिन है, तो कहीं एपिडेमिक है, कहीं स्टेट आफ एमर्जेन्सी है, कहीं यह दिक्कत है तो कहीं वह दिक्कत है इस तरह से चुनाव रोकने की चेष्टा कर रहे हैं। तो सरकार की इस बहानेबाजी को रोकने के लिये ही हम यह कह रहे हैं कि ४ साल के बाद एक दिन का भी एक्सटेंशन न हो। तीन-चार महीने पहले ही सरकार चुनाव करवा लें। जब चुनाव की कार्यवाही शुरू हो और कहीं एपिडेमिक वगैरह की शिकायत हो तो १०–१५ दिन के लिये चुनाव मुल्तवी हो सकता है लेकिन फाइनल टर्म जो ४ साल का है उसके खत्म होने पर दूसरे टर्म वाले उन पदों को संभालें। माननीय मंत्री जी ने दो साल एक्सटेंशन की जो मियाद रखी है उसके लिये हमारी तरफ से उनकी काफी तारीफ की गयी कि एक चीज जो पहले नहीं थी कम से कम उसे तो माननीय मंत्री जी ने महसूस किया। लेकिन जो वह भावना थी वहीं दो साल में रुक गयी। वे दो साल का लिमिटेशन चाहते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि मेरा जो संशोधन है वह उचित है और मुनासिब है। इस बात को उन्होंने भी महसूस किया तभी दो साल की लिमिट रखी।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

माननीय मंत्री जी ने फेमिन, एपिडेमिक और लड़ाई की बात कही। अगर माननीय मंत्री जी सचमुच अपोजीशन का कोआपरेशन चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि वे इन शब्दों को अपने प्रोविजन में जोड़ लें तो मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिये तैयार हूं। अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उन शब्दों को पढ़ना चाहता हूं।

अधिष्ठाता--ये तो संशोधन में नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--"But that will be done only in cases of state of emergency declared by the State Legislature by law."

मैं समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी इन शब्दों को जोड़ लें तो मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा। अभी स्टेट एमर्जेन्सी, फेमिन और एपिडेमिक के सिलसिले में जो दलीलें दी गयी हैं अगर वे सचमुच चाहते हैं कि इन्हीं कारणों से चुनाव रुकेगें तो हमारी आशंकाओं को निर्मूल सिद्ध करने के लिये इन शब्दों को जोड़ लें। मैं अपना संशोधन वापस करने के लिये तैयार हूं। मैं एक बार फिर उन शब्दों को पढ़ देता हूं:

"But that will be done only in cases of state of emergency declared by the State Legislative by law."

श्री मोहनलाल गौतम--चेयरमैन साहब, असल में जो यह विचारधारा चल रही है इसके पीछे, उसको एक माननीय सदस्य ने बहुत सफाई से कह दिया जब उन्होंने यह कहा कि हुकूमत की बात का हमें विश्वास नहीं है। यह असल चीज है जो एक माननीय सदस्य ने स्पष्ट रूप से कह दी। ठीक है, अगर नहीं है तो न रहे लेकिन हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को छोड़ नहीं सकती। उसको अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना है जब तक एलेक्टोरेट ने उसको हुकूमत पर बैठा दिया है और जब तक वह है तब तक महसूस करती रहेगी, दो चार लोगों को विश्वास हो या न हो। और अगर वह उसको एलेक्शन को फोरम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं उनको मुबारिक हो, यह अधिकार है लोगों को कि इस भवन को अपने पोलिटिकल कामों के लिये इस्तेमाल करें, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। वह यह समझते हैं कि म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में हम बड़े जीतने वाले हैं। अगर जनरल एलेक्शन के पहले यह बात कहते तब तो शायद लोगों को भ्रम हो जाता लेकिन अब इस फोरम को लेना कि कांग्रेस में ही म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव में हारने वाली है और हम जीतने वाले है यह चीज अब चलने वाली नहीं है, यह सिक्का खोटा हो चुका और यह सिक्का अब चलने वाला नहीं है और अब इसमें कुछ तथ्य रहा नहीं और हारने वालों को अब दुनिया की ठेकेदारी करने का अधिकार नहीं रहा।

डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के एलेक्शन्स के बारे में पूछा गया है। मैं साफ कह चुका हूं और कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डस एक मुसीबत के जमाने से गुजर रहे हैं, एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, पास फाइनेंसेज की सबसे बड़ी दिक्कत है और बहुत ज्यादा तादाद में तो बोर्डस ऐसे हैं जिनके सामने जितने जरूरी काम हैं वे भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वे मास्टरों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे ह, उनकी सड़कें ठीक नहीं हैं, उनके पास पूरा स्टाफ तक नहीं है। यह तमाम दिक्कतें हैं जो आज हल करनी हैं। जो सवाल आज तय करने हैं वह यह हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डस की शक्ल क्या हों, उनकी ड्यूटीज और फंक्शन्स क्या हों, उनके क्या फाइनेंशल रिसोर्सेज हों, क्या सोर्सेज उनके टैक्सेज के हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्डस और पंचायतों के क्या रिलेशन्स हों इस-लिये कि गांवों में पंचायतों को क्रियेट कर दिया गया है। पंचायतों के और बोर्डस के टैक्सेशन रिलेशन्स क्या हों, क्या वह सिंगिल हों, अलग-अलग हों या दोनों मिलकर टैक्सेज लगावें और आपस में बांट लें। इस सारे सवालों को हल करना है और अगर एलेक्शंस में एक करोड़ रुपया खर्च होता है तो वह भी उन्हींकी जेब से आता है और इस तरह से बिना मामलों को हल किये एलेक्शंस को करा देना उनकी मुसीबतों को बढ़ा देना होगा। और यह बिलकुल

गलत बात है कि कांग्रेस चूंकि मेजारिटी में है इसलिये टाइम एक्सटेंड होता चला जा रहा है। कैबिनेट की एक कमेटी बैठी हुई है और मैं इन मसलों को बगैर तय किये हुये डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के एलेक्शंस करा देना बिलकुल गलत समझता हूं। जहां तक पंचायतों के एलेक्शंस का सवाल है पंचायत राज्य ऐक्ट में कुछ अमेंडमेंट जरूरी है, वे आयेंगी और उनके आने के बाद ही पंचायतों के एलेक्शंस होने चाहिये और इसीलिये वे रुके हुये हैं। पंचायत राज्य ऐक्ट के अमेंडमेंट तैयार हो रहे हैं और ज्योंही सदन से पास हो जायेंगे पंचायतों के एलेक्शंस कराने का इंतजाम होगा। हमारी ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी हो सके पंचायतों के एलेक्शंस करा दिये जायं लेकिन एलेक्शंस सिर्फ एलेक्शंस कराने के लिये ही एलेक्शंस न करायें जायं बल्कि अच्छी तरह से उनको चलाने के लिये कराये जायं।

जहां तक इस अमेंडमेंट का सवाल है वह असल में अकाल अमेंडमेंट हो गया और उस पर बहस होने लगी और चैलेंज दिये जाने लगे कि साहब म्युनिसिपैलिटियों में अकाल नहीं होने लगा। अगर अकाल के माने यह हैं कि खेती नहीं हुई और अकाल हुआ तो यह वाकया है है कि म्युनिसिपैलिटियों में अकाल कैसे होगा जहां ऐग्रीकल्चर होता ही नहीं। गल्ले की कमी की वजह से और किसी वजह से अगर आदमी भूखों मरते हैं तो अकाल म्युनिसिपैलिटियों में में होता है और लोग मरते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले कलकत्ते में १० लाख आदमी मरे थे जिनको मैंने आंखों से देखा था, जिनमें अपने ऊपर से मक्खी हटाने की भी ताकत नहीं थी, जिनके ऊपर कुत्ते पेशाब करते थे और सड़कों पर मरे हुये पड़े थे। क्या वह अकाल नहीं था? अगर अकाल के माने यह है कि अन्न की कमी की वजह से परचेजिंग पावर की वजह से खाना नहीं पाते और मर जाते हैं। कलकत्ता ही नहीं अगर बंगाल के उन तमाम शहरों के जरा फिगर्स लें जिनमें ४३---४४ में लाखों आदमी म्युनिसिपिल स्ट्रीट्स में मरे पड़े थे तो आपको पता चलेगा कि वाकया क्या है। कहा गया है कि मंत्रियों को दौरा करने का मौका नहीं मिलेगा। यह सब बेकार की चीजें हैं जिनका मैं जवाब नहीं देना चाहता। और अकाल की बात यह है कि उसमें तमाम फोर्सेज को कंसेंट्रेट करना पड़ता है फिर हमें यह भी याद रखना है कि म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव में सिर्फ एक आध म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव ही नहीं है बल्कि इस वक्त जो चुनाव सोचे जा रहे हैं वह ११९ म्युनिसिपैलिटियों में तीन चार को छोड़कर बाकी ११५ म्युनिसिपैलिटियों में, ३६ और ३७ नोटीफाइड एरियाज हैं और २६४ टाउन एरियाज हैं तो अगर म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव होंगे तो इतनी संख्या में होंगे।

इतनी युनिट्स हैं। इतनी युनिट्स में कितने मेम्बर होंगे और कितने उम्मीदवार होंगे, कितना बड़ा चुनाव होगा इसको जरा सोचिये। अकाल की बात जो मैंने कही थी वह जरा लम्बी बात कही थी। अगर शहर में अकाल न भी हो तो भी अकाल पर नियंत्रण करने के लिये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी लगानी पड़ती है। अकाल के मानी यह नहीं है कि दो चार मंत्रियों ने दौरा कर दिया और सब ठीक हो गया। सारे डिप्टी कलेक्टर और जिले की मशीनरी इसके लिये लगानी पड़ेगी। तो दो-चार महीने अगर म्युनिसिपैलिटी के चुनाव रुक जायं तो क्या मुसीबत हो जायगी?

अब एक बड़ी बुनियादी और उसूली बात कही जाती है, लेकिन मेरा मसला तो उन्होंने ही हल कर दिया जिन्होंने बुनियादी उसूल रखा था जो साहब समझते हैं कि इमर्जेंसी डिक्लेअर कर दी जाय। तो ठीक है। इमर्जेन्सी प्रेसीडेण्ट डिक्लेअर कर सकता है, दफा ३५२ में यह लफ्ज है:---

"If the President is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or of any part of the territory thereof is threatened, whether by war or external aggression or internal disturbance, he may, by Proclamation, make a declaration to that effect."

[यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि गम्भीर आपत्ति विद्यमान है जिससे कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या आभ्यन्तरिक अशांति से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा उस आशय की घोषणा कर सकेगा।

[श्री मोहनलाल गौतम]

इमर्जेंसी प्रेसीडेण्ट डिक्लेअर करेगा। हमारे यहां इमर्जेंसी का लफ्ज लिखने में दिक्कत पड़ सकती है। वह इमर्जेंसी नहीं होगी तो यह स्टेट डिक्लेअर करे। वह इमर्जेंसी जो डिक्लेअर कर सकता है। इस इमर्जेंसी के लिये विधान में प्राविजन रख दिया गया है। यह विजुलाइज किया गया है कि मामूली तौर पर ज्यों ही टर्म खत्म होगा चुनाव हो जायगा। लेकिन कोई भी विधान बनाने वाले लोग होंगे वह यह समझेंगे कि इस तरह से नहीं हो सकता कि कभी भी ऐसी हालत न हो जिसमें कोई इमर्जेंसी हो। मुझे यह समझाने की बड़ी कोशिश की गयी है कि उसी दिन एलेक्शन हो जायेंगे। इस तरह की बातों को मैं जानता हूं और शायद जानता हूं। उसी दिन इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। एलेक्शन पहले हो जाते हैं। उसके मतलब यह होते हैं कि जिस दिन आउट गोइंग बोर्ड का टर्म खत्म होगा उस दिन दूसरा बोर्ड चार्ज लेगा।

इसके समझाने के लिये वक्त लेने की जरूरत नहीं थी। इस विधान में भी यह दिया गया है कि जितना टर्म है उसी में उसको खत्म हो जाना चाहिये और दूसरे नये लेजिस्लेचर का चुनाव हो जाना चाहिये। लेकिन उनको फिर भी यह खयाल था कि हालत ऐसी हो सकती है, ऐसी अवस्था उत्पन्न हो सकती है कि जब चुनाव करना असंभव हो। उसके लिये उन्होंने प्राविजन रखा है। वह प्राविजन १७२(१) में है।

"Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency is in operation, be extended by Parliament by law for a period not exceeding one year at a time and not extending in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate."

[परन्तु उक्त कालावधि को जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है संसद विधि द्वारा, किसी कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार एक वर्ष से अधिक न होगी तथा किसी अवस्था में भी उद्घोषणा के प्रवर्तन का अन्त हो जाने के पश्चात् ६ मास की कालावधि से अधिक विस्तृत न होगी।]

इसके अगर यह मानी किसी साहब ने लगाये हैं कि सिर्फ डेढ़ साल का अधिकार है तो ग़लत है। ऐट ए टाइम एक साल है। और जब तक वह प्रोक्लेमेशन जारी रहे तबतक कई साल तक हो सकता है और इस प्रोक्लेमेशन के खत्म हो जाने के बाद ६ महीने के अन्दर हो जाना चाहिए। इसके मानी तीन-चार साल भी हो सकते हैं। डेढ़ साल की बात जो साहब समझते हैं वह ग़लत समझते हैं। जब प्रोक्लेमेशन खत्म हो जायगा उसके छः महीने के बाद तक एक्सटेंड हो सकता है। उसके आगे नहीं कर सकते। सिर्फ इसमें यह कहा गया है। इसमें जो विजुलाइज किया गया है, जब तक इमर्जेन्सी होगी तब तक दो साल से ज्यादा तक भी हो सकता है। और हमने जिस तरह से रखा है इस अमेंडिंग बिल में वह सिर्फ दो साल रखा है। विधान में दो साल से ज्यादा भी हो सकता है। अब वह लफ्ज क्यों नहीं रखे गये वह मैं आपसे कहूं कि हर गवर्नमेंट को यह जरूरत होती है और होना चाहिए जो भी डेमोक्रैटिक सेटअप में गवर्नमेंट है कि अगर वह कोई काम करे जो उसकी स्पेशल पावर्स में हो तो उसका एक्सप्लेनेशन संतोषजनक होना चाहिए। अब कहा यह जाता है कि, बड़ा कनफ्यूजन है, बड़े कांट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, कि कोई एक्सटेंशन न हो। क्योंकि हुकूमत पर विश्वास नहीं है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि अगर जरूरी हो तो आर्डिनेंस क्यों नहीं निकाल देते। तो हमको आर्डिनेंस निकालने का अधिकार देते हैं इसको एक्सटेंड करने के लिए, ऐसी बात भी कुछ व्यक्तियों ने कही।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इमर्जेन्सी में आर्डिनेंस की बात कही।

श्री मोहनलाल गौतम---आर्डिनेंस निकालने की बात इमर्जेंसी से अलग भी कही गयी है। इमर्जेंसी के साथ नहीं बल्कि बग़ैर इमर्जेंसी के भी अगर जरूरत हो तो कहा गया कि आप आर्डिनेन्स निकाल दें। इमर्जेंसी, अगर सिर्फ उन मानों में जिनमें कि प्रेसीडेंट डिक्लेयर करे वह एक है और जिसमें हम जरूरत महसूस करें वह दूसरी तरह का अधिकार हमको आर्डिनेन्स निकालने का देते हैं। तो मैं कहता हूं कि यह ला डिफेक्टिव है। आप गवर्नमेंट को फोर्स कीजिये कि वह आर्डिनेन्स निकाल कर हुकूमत करे बजाय इसके कि वह लेजिस्लेशन से कुछ अख्तियार हासिल करके अपनी डिस्क्रेशनरी पावर इस्तेमाल कर सके वह चीज़ ठीक नहीं मालूम होती। यह ग़लत तरीक़ा है कि आर्डिनेन्स से रूल करते रहो। इसलिये मुझे यह मंजूर नहीं है कि आर्डिनेन्स निकाल कर मजबूर करें या ऐसा अधिकार हमें दिया जाय। मैं इतना ही चाहता हूं कि जितना अधिकार है उतना ही काफी है। दो साल लाइफ एक्सटेंड होगी तो दो साल एक साथ नहीं है, ऐग्रीगेट दो साल से ज्यादा नहीं होना चाहिये और वह केवल एक, या दो या तीन दफा में हो। दो साल एक दफा में नहीं होता है। इसके मुताबिक जब गवर्नमेंट को अधिकार दिये जाते हैं तो गवर्नमेंट को यह साबित करना चाहिये कि इस वजह से नहीं चुनाव हो सके, इस वजह से हम पोस्पोन करते हैं या लाइफ़ एक्सटेंड करते हैं।

इन शब्दों के साथ मुझे अफसोस है कि जो यह कहा गया वह कोई सुधार नहीं है बल्कि उससे दिक्कत पैदा होती है और वह मुझे मंजूर नहीं है।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित नयी धारा 10-A की उपधारा (१) की पंक्तियां जो शब्द "Provided that the State Government" से आरम्भ होकर शब्द "in the aggregate exceed two years" से समाप्त होती हैं निकाल दी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव रखता हूं---

खंड ७ में प्रस्तावित नयी धारा 10-A की उपधारा (१) के प्रतिबन्ध की अन्तिम पंक्ति में शब्द "two years" के स्थान पर शब्द "one years" रख दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता महोदय, मेरे पहले संशोधन के वादविवाद के ऊपर जो बहस मैंने सुनी तो उसमें माननीय स्वशासन मंत्री को तो इधर कनफ्यूजन के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हम मजबूर हैं। कनफ्यूजन उधर है या इधर है यह तो कोई और ही फैसला करेगा, लेकिन जो संशोधन मैंने पहले उपस्थित किया था कि म्युनिसिपल बोर्डों के चुनावों की अवधि एक्सटेंड न की जाय उसमें माननीय मंत्री जी की तरफ से जो दलीलें आईं उन पर मैंने ग़ौर किया। जो माननीय मंत्री जी ने दलीलें दीं उनमें खास तौर से यह थी कि इमर्जेंसी तो प्रेसीडेंट ही डिक्लेयर कर सकता है, अगर हम शब्द कि स्टेट बाई ला इमर्जेंसी डिक्लेयर करें...

अधिष्ठाता---माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि मंत्री जी ने जो दलील दी है उसका प्रत्युत्तर देने का प्रयत्न न करें, बल्कि अपने संशोधन पर बोलें जो आपके सामने है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---यह भूमिका में तो कहा ही जा सकता है। पहले तो बिल्कुल समय नहीं दिया था अब एक साल का समय है। इसलिये दोनों सम्बन्धित हैं। उस वक्त उनको काफी दिक्कतें थीं और उनकी हमारी तरफ कन्फ्यूजन

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

ही कन्फ्यूजन दिखाई देता था। यह बात हमारी समझ में नहीं आई कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर इमर्जेंसी डिक्लेयर करे तो वह विधान की धाराओं के किस प्रकार खिलाफ पड़ता है। जैसे असेम्बली एलेक्शंस के लिए, पार्लियामेंट एलेक्शंस के लिए प्रेसीडेंट स्टेट आफ़ इमर्जेंसी घोषित कर सकता है उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर इमर्जेन्सी डिक्लेयर (घोषणा) कर सकता है अपने सूबे के एलेक्शंस के लिए। मेरी राय में स्टेट लेजिस्लेचर को भी हक है कि वह इमर्जेन्सी डिक्लेयर करे। इमर्जेन्सी लड़ाई वग़ैरह की बात तो हुई और हम थोड़ी देर के लिए एक बात को मान लेते हैं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी ने जो दलीलें दीं या सरकारी दल के और लोगों ने जो दलीलें दीं वह सही हैं। यह हो सकता है कि चार छ महीनों के लिये एपिडेमिक हो जाय या फेमिन हो जाय, ऐसी जरूरत पड़ जाय। अब हम यह देखना चाहते हैं कि सचमुच स्वशासन मंत्री या उनकी सरकार हठ पर ही तुली हुई है कि विरोधी दल की बात न मानी जाय या सचमुच वह सहयोग चाहते हैं। माननीय मंत्री जी के संशोधन में और हमारे संशोधन में फर्क इतना ही है कि वह दो साल के लिए चाहते हैं और हम एक साल का एक्सटेंशन चाहते हैं। उनकी दिक्कतों को थोड़ी देर के लिए समझते हुए और उनकी परेशानियों को हल करते हुए हम यह नहीं समझते कि दो साल ही क्यों जरूरी है। माननीय स्वशासन मंत्री जी ने खुद कहा था कि सरकार का कतई मन्शा नहीं है कि वह दो साल तक एक्सटेंशन करना चाहेगी बल्कि साफ लिखा है कि अमेंडिंग धारा में दो साल से ज्यादा ऐग्रीगेट न होगा। उसमें ६ महीने, ९ महीने, १५ महीने भी हो सकते हैं तो हमारी आशंका भी अपनी जगह पर है और हम नहीं चाहते कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार या प्रसीडेंट को उनके कार्यकाल को न हटाने का., न रिमूव करने का, अधिकार किसी को न होना चाहिए। इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो दिक्कतें पेश की उसको मानते हुये हम यह उनसे निवेदन करेंगे कि कम से कम वे इतना तो मान लें। दो साल की बात आप चाहते हैं, एक साल आपको हम देते हैं। हमारी आशंका भी निर्मूल हो जायगी और कोई दिक्कत आपको पेश होगी तो वह भी दूर हो जायगी। माननीय स्वशासन मंत्री जी ने जो कहा कि ऐसी आपत्तियां आ सकती हैं अकाल हो सकता है तो एक साल तक अकाल भी नहीं रहेगा। और अध्यक्ष महोदय, जब हमारी तरफ से यह कहा गया कि म्युनिसिपैलिटीज में अकाल नहीं पड़ता, माननीय स्वशासन मंत्री ने कलकत्ते के अकाल का जिक्र किया और हम इसको तसलीम करते हैं कि कलकत्ते में अकाल पड़ा लेकिन सारी दुनिया कहती है और माननीय स्वशासन मंत्री जी को यह तसलीम करना चाहिए वह मुसलिम लोग की मिनिस्ट्री का बनाया हुआ अकाल था। वह नेचुरल कैलामिटीज की वजह से नहीं था। यह उन्होंने और उनकी सरकार ने भी स्वीकार किया है। हम भी उनकी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस सूबे में मैन-मेड फेमिन हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार ऐसा फेमिन क्रियेट करना चाहे तो एक साल का लेजर उसको काफी है कि वह एक साल फेमिन बतला कर के म्युनिसिपैलिटीज के टर्म्स को एक्सटेंड करे। दूसरी बात माननीय स्वशासन मंत्री ने यह कही थी कि दिक्कत तो यह है कि ११४ म्युनिसिपैलिटियों में चुनाव करना है, ३७ नोटीफाइड एरियाज में और २६७ टाउन एरियाज में चुनाव करना है। मैं यह नहीं समझा कि इस विधेयक के पास होने के बाद ही टाउन एरियाज और नोटिफाइड एरियाज सब पर यह कैसे लागू होगा? टाउन एरियाज का बिल अलग रखा गया है और माननीय स्वशासन मंत्री उसको अभी पेश करेंगे और तभी उसका भी चुनाव करायेंगे। अगर यह हमें मालूम होता कि सिर्फ म्युनिसिपैलिटीज का ही विधेयक पास कर लिया जाय और कोई विधेयक नहीं आयेगा, नोटीफाइड एरियाज के बारे में, या टाउन एरियाज के बारे में और वह सब पर लागू हो जायगा

और इतना बड़ा काम हो जायगा, तो हम माननीय मंत्री जी की बात मान लेते। परन्तु माननीय मंत्री जी शायद यह समझते हैं कि चुनावों में अगर हर स्पाट पर वह मौजूद रहें और उनकी निगरानी में काम हो तो बहुत अच्छा होगा और इसीलिये उन्होंने यह कहा है कि इतनी संस्थाओं का चुनाव एक साथ कैसे होगा। वह भूल जाते हैं कि ११४ म्युनिसिपैलिटियों में ३७ नोटीफाइड एरियाज में और २६७ टाउन एरियाज में हर जगह चुनाव उनके संरक्षण में नहीं होगा बल्कि वहां के लोकल रिटर्निंग आफिसर्स, सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट्स उसको करायेंगे। अगर इस तरह की दलीलें देकर चुनाव को मुल्तवी किया जाय तो हमारा एलेक्शन कमीशन जो कि पार्लियामेंट और असेम्बली के एलेक्शन का है इन एलेक्शन को चार साल तक मुल्तवी कर सकता है यह कह कर कि इतना बड़ा काम है, हिन्दुस्तान की १९ करोड़ जनता वोट डालने जायगी, ३२ लाख बैलेट बाक्सेज की जरूरत होगी, यह कोई दलील नहीं हो सकती। माननीय मंत्री जी शायद अपनी देख-रेख में इसीलिये चुनाव कराना चाहते हैं कि अब उनको सरकारी कर्मचारियों पर विश्वास नहीं रहा। यह बात मुझे बिल्कुल निःसार मालूम हुई। एमर्जेंसी के बारे में बतलाया गया कि इसमें दलीलें उसी किस्म की हैं, जो कि पहले संशोधन के सिलसिले में हैं। इसलिये मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। यह जो संशोधन है इसमें पचास-पचास का मामला है। आधी बात मैं उनकी मान लूं और आधी बात वे मेरी मान लें। इसलिये इस संशोधन को तो माननीय स्वशायन मंत्री जी को मान ही लेना चाहिये।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय चेयरमैन महोदय, पहला प्रश्न तो एक बुनियादी प्रश्न था और जब बुनियादी बात नहीं रही, फंडामेंटल्स की बात नहीं रही तो सिर्फ एक्सपीडिएंसी की बात है कि एक साल रहे या दो साल रहे और उसकी कोई गुंजायश नहीं है। मेरी किन-किन दलीलों का क्या-क्या जवाब दिया गया मैं उस बहस में नहीं पड़ता। मैं समझता हूं कि यह अमेंडमेंट जो है अब यह चूंकि बुनियादी नहीं है, सिर्फ एक्सपिडिएंसी का है कि दो साल मान लिये जायं लेकिन मैं इसको नहीं मान सकता हूं।

श्री राजनारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामनारायण जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह सही है कि जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जब पहले ही संशोधन उनका गिर गया और जब बुनियादी चीज की पूर्ति नहीं होती तो एक या दो वर्ष का झगड़ा क्यों किया जाय। इसलिये अब माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जब बुनियादी सवाल किया जाता है तो वह भी किसी अनुभव के आधार पर बुनियादें बनती हैं। बुनियाद बन जाय और उसके पीछे कोई आधार न हो, ऐसी बात दुनिया में कहीं नहीं पायी गयी, सुनने में तो माननीय मंत्री जी जैसे लोग सुनाया ही करते हैं। एक बात इस दलील में बार बार माननीय मुख्य मंत्री जी के मुखारबिन्दु से प्रकट होती रही है कि माननीय मंत्री जी विरोधी पक्ष के संशोधन को मानने के लिये तैयार हो जायं बशर्ते कि माननीय मंत्री जी के और सरकार के जो गैरजनतांत्रिक कदम हैं उनके प्रमाण में एक भी बात की नजीर रख दी जाय। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी की खिदमत में एक बार नहीं हजार बार मुक्त कंठ से यह कहने के लिये तैयार हूं कि इस सरकार की गति विधि गैरजनतांत्रिक है। जब मैं यह कहता हूं कि इस सरकार की गतिविधि गैरजनतांत्रिक है तो यह नहीं है कि यह मेरी बौद्धिक कोई कल्पना है बल्कि तथ्य के आधार पर ये बातें मैं कहता हूं। मैं, श्रीमन्, आप के जरिये अभी-अभी जो श्री त्रिलोकी सिंह जी के केस में हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसको रखना चाहता हूं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि राजनैतिक बातों से प्रभावित होकर सरकारी कर्मचारियों को

[श्री राजनारायण]

काम नहीं करना चाहिये। श्रीमन्, मैं फैसले की कुछ लाइनें आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं:—

"This conduct clearly supports the allegations that Sri Triloki Singh is being victimised because at that time he was the Leader of the Opposition. The courts of law are not meant to help the achievement of political objectives. They must be kept aloof entirely from party politics whether those of the Government in power or those of the opposition. This is a rule which should apply not only to the courts of law but also to all permanent officials of Government who in democratic Constitution have to carry out one day the policy of one particular party and the next day the policy of perhaps the opposition."

[इस आचरण से ऐसे आरोप को समर्थन मिलता है कि श्री त्रिलोकी सिंह को तंग किया जा रहा है क्योंकि वह उस समय विरोधी दल के नेता थे। न्यायालयों का ध्येय यह नहीं है कि वे राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करें। दलबन्दी से उनको सर्वथा विलग रहना चाहिये चाहे वे दल शासनारूढ़ सरकार के हों या विरोधी दल के हों। यह एक ऐसा नियम है जो केवल न्यायालयों पर ही नहीं अपितु सरकार के उन सभी स्थायी कर्मचारियों पर लागू होना चाहिए जिनको जनतंत्रात्मक संविधान के अन्तर्गत किसी समय किसी दल विशेष की नीति के अनुसार कार्य करना पड़ता है तथा अगले अवसर पर सम्भवतः विरोधी दल की नीति को मानना पड़ता है।]

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि अंग्रेजी भाषा माननीय मंत्री जी अच्छी तरह से समझते होंगे मगर इस सम्मानित सदन के जो सदस्य हैं उनमें से बहुतों के लिये इसका अनुवाद भी कर देना मेरे लिये आवश्यक हो गया है। यह सम्मानित जज अपने फैसले में यह कहता है साफ-साफ कि श्री त्रिलोकी सिंह जी के ऊपर जो मुकदमा चलाया गया वह मुकदमा राजनैतिक द्वेष-भाव से चलाया गया था। उसको राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति ही के लिये चलाया गया था। श्रीमन्, अगर मैं सब फैसला पढ़ दूं तो इसकी एक-एक लाइन आज यह पुकार-पुकार कर चिल्ला रही है कि इस सरकार की गति-विधि गैर-जनतांत्रिक है। इस सरकार की गति-विधि कांग्रेस पार्टी ही को बढ़ाने के लिये है न कि उसके सामने और जनतांत्रिक प्रणाली को विकसित करने का उद्देश्य है। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी की खिदमत में फैसले की कापी अभी भेजने के लिये प्रस्तुत हूं वे चाहें तो इसकी लाइनों को पढ़ लें और इसके बारे में जो उन्हें जवाब देना हो उसको भी कहें। श्रीमन्, इस फैसले में माननीय मंत्री जी पायेंगे कि जब कि एक सप्लाई आफिसर स्पष्ट तरीके से कहता है कि मुकदमा अगर चलाया जाय तो जितने डाइरेक्टर्स हैं सबके ऊपर चलना चाहिये और जो रजिस्ट्रेशन का इन्सट्रूमेंट है उसमें तमाम डाइरेक्टरों की बराबर लाइबिलटीज (जिम्मेदारी) मानी गई है उस फैसले में माननीय जज ने यह भी संकेत किया है कि सभापति हो जाने मात्र से किसी की लाइबिलाटी विशेष नहीं हो जाती। तो केवल एक सभापति के ऊपर मुकदमा चलाना या एक दो के ऊपर मुकदमा चलाना यह कौन जनतांत्रिक व्यवस्था की बात है। इसमें यहां तक भी संकेत किया है कि जब सेक्रेटैरियट में यह मामला गया और सेक्रेटेरियट में जब मुकदमा चलाने की बात आई तो उसमें त्रिलोकी सिंह जी का नाम और वहां का जो सेल्समैन है उसका नाम रखा गया। श्रीमन्, तो एक बात आपके जरिये इस सदन के सम्मानित सदस्यों की खिदमत में और माननीय मंत्री जी की बार-बार इच्छा की पूर्ति के लिये मैंने रखी, क्या यह बात काफी नहीं है, यह समझने के लिये, यह संकेत देने के लिये, यह कन्क्ल्यूजन ड्रा करने के लिये कि इस सरकार की गति-विधि गैरजंतांत्रिक है, इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? माननीय मंत्री जी के सामने ऐसी कौन सी बात रखी जाय जिससे माननीय मंत्री जी की जो बुद्धि है वह खुले, उनकी दृष्टि विकसित हो और वे यह समझ पायें कि इस सरकार की गति-विधि प्रजातांत्रिक है या गैरप्रजातांत्रिक है। मैं आप ही की

इजाजत से माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट, १९५०–५१, जो अपने साथ लाया हूं पढ़ना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जरा अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें और वे समझें कि इतने बड़े-बड़े फैसले सम्मानित जज के हो जाते हैं ।

अधिष्ठाता—मैं यह जानना चाहता हूं कि संशोधन से इन शब्दों का क्या वास्ता है ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जो संशोधन समय बढ़ाने के लिये किया गया है, दो वर्ष के लिये, हमारे मित्र श्री रामनारायण जी त्रिपाठी उस अवधि को एक साल के लिये रखना चाहते हैं । तो मैं, श्रीमान्, आप के जरिये सम्मानित सदन के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी सरकार को एक साल का समय देना भी बहुत ही काफी है ।

श्री मोहनलाल गौतम—क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप अपोज कर रहे हैं ? क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक साल का समय भी देना गलत है, तो क्या आप रामनारायण जी के संशोधन का विरोध कर रहे हैं ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा कि एक साल का समय काफी है ।

श्री राजनारायण —श्रीमन्, यह स्पष्ट है कि हमारी भावना यह थी कि माननीय मंत्री जी के हाथ में कतई अधिकार न जायं, एक दिन का भी समय बढ़ाने का । तो जब हमारी उस भावना की पूर्ति नहीं हुई, हमारा वह संशोधन माननीय मंत्री जी की असीम अनुकम्पा से इस सदन ने ठुकरा दिया तो हमने दो वर्ष के बजाय एक वर्ष रखा क्योंकि जितनी ही कम आर्बिट्रेशन निरंकुश शक्ति इस्तेमाल करने की पावर माननीय मंत्री जी के हाथों में जाय उतना ही अच्छा होगा । इसलिये एक वर्ष का जो संशोधन माननीय मित्र रामनारायण जी ने रखा है वह काफी है, इससे ज्यादा तो किसी हालत में सरकार के हाथ में म्युनिसिपिल बोर्ड की अवधि बढ़ाने का अधिकार सरकार के हाथ में नहीं जाना चाहिये और ऐसी सरकार के हाथ में जिसके काले कारनामों की एक लड़ी है और उस लड़ी की एक कड़ी ही मैंने अभी आपके सामने रखी है । इस गवर्नमेंट का तो यह एलान है कि एवरी थिंग इज एबव बोर्ड (प्रत्येक बातें स्पष्ट हैं)। इस सरकार की गति-विधि गैर जनतांत्रिक है । श्रीमन्, पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एक बार नहीं पचासों बार कहा है, यहां पर मैं थोड़ा सा आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं—

"शिक्षा संचालक ने गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद, में ट्रेंड ग्रेजुएट्स १२० से ३०० रु० वेतन क्रम में सहायक सुपरवाइजर के पद पर बुलाये । सन् ४६ में एक उम्मीदवार की नियुक्ति की । अक्टूबर सन् ५० में, अर्थात्, चार वर्ष से भी अधिक समय के पश्चात् उसका मामला उपर्युक्त ग्रेड में स्थायी नियुक्ति के लिये कमीशन के पास भेजा ।" श्रीमन्, चार वर्ष के बाद मामला भेजा जाता है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जरा इस गति-विधि को देखें और बतायें कि सरकार को किस कसौटी पर कसते हैं । रिपोर्ट में फिर कहा गया है । "सन् ४६ में जब उस व्यक्ति की नियुक्ति की गयी थी उस समय वह एल० टी० पास नहीं था और उसकी आयु निर्धारित आयु से कम थी । शिक्षा संचालक ने इस मामले को कमीशन के पास भेजने के पहले ही शासन से पूर्वोक्त पूर्व योग्यता से मुक्त करने का आदेश प्राप्त कर लिया था । "

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर संशोधन से और जो माननीय विरोधी दल के नेता पढ़ रहे हैं उसका क्या संबंध है ।

अधिष्ठाता—वह तो उन्होंने पहले ही एक्सप्लेन किया । कुछ संबंध हो जाता है ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, फिर कमीशन ने इस अनियमितता पर बड़ी अप्रसन्नता प्रकट की कि उक्त उम्मीदवार चार वर्ष से भी अधिक समय से बिना कमीशन की अनुमति से शिक्षा विभाग में काम कर रहा है, और कहा कि ऐसी अनियमिततायें बराबर प्रकाश में आ रही हैं, केवल खेद प्रकट कर देने से कोई लाभ नहीं होता। इस नियुक्ति का कमीशन ने अनुमोदन नहीं किया और सुझाव रखा कि इस पद के लिये भर्ती सार्वजनिक प्रतियोगिता के आधार पर यथाविधि की जाय। श्रीमन्, यह उस काले कारनामे की जो लड़ी है उसकी एक कड़ी हमने रखी है। अब, श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं एक और उदाहरण पेश करना चाहता हूं।

अधिष्ठाता---मैं समझता हूं कि जितना आपने पढ़ा वह काफी है।

श्री राजनारायण---मैं समझ गया, श्रीमन्। यह सही है कि किसी भी सरकार के लिये जो लज्जा और मर्यादा को समझती है और जनतंत्रात्मक प्रणाली की पद्धति को समझती है इतनी बातें काफी हैं, मगर माननीय मंत्री जी जब बार-बार बड़े गर्व के साथ इस सदन में उठ कर कहा करते हैं कि एक भी उदाहरण बतला दीजिये इसीलिये, श्रीमन्, मुझे शंका होती है कि कहीं इतने उदाहरण माननीय मंत्री जी के लिये काफी न हों। और अभी इसी पर जब मौका मिलेगा तो दूसरी बातें भी इस सदन के सामने आयेंगी जिनसे माननीय मंत्री जी की दृष्टि खुलेगी और तब शायद वह समझ पायें। तो अब मैं जानना चाहता हूं, श्रीमन्, कि ऐसी कौन सी बात को ला कर विरोधी पार्टी इस सदन में रख दे जिससे माननीय मंत्री जी यह समझ जायें कि हां, यह काम इस सरकार ने ऐसा किया जो कि गैर-जनतांत्रिक है।

पहले ही, श्रीमन्, मैंने अर्ज कर दिया था कि आडिट रिपोर्ट आई तो आडीटर ने कहा था कि सन् १९५०-५१ में १९६४५ आपत्तियां पेश हुई थीं जब कि सन् १९४२ में कुल ६ आपत्तियां पेश हुई थीं जब कि अंग्रेजी राज्य था और सन् १९५०-५१ ई० इन आपत्तियों के ऊपर १४ करोड़ रुपया इस तरीके से खर्च किया गया था जो उन्होंने नाजायज माना था यानी इसका उचित तरीके से खर्चा नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी क्या बात कहा करते हैं; हमारे पास तो काले कारनामों की पिटारी भरी पड़ी है।

मंत्री जी म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव की बात करते हैं। जब सरकार ने देखा कि अगर म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव हो जाते हैं और उसमें कांग्रेस हार जाती है तो उसका जनरल इलैक्शन्स पर बहुत बुरा असर पड़ेगा तो चुनाव न कराये। क्या यह बात सही नहीं है? श्रीमन्, मैं आपके जरिये से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि विरोध, विरोध के लिये हो रहा है, ऐसी अगर वह एक बात भी साबित कर दें तो हम अपने को कंडेम करने के लिये तैयार हैं। फिर भी उन्होंने कभी भी यह नहीं सोचा है कि हमने अपने अनुभव के आधार पर जो नई जन-तांत्रिक शासन प्रणाली विकसित होती चली जा रही है उसको मद्देनजर रखते हुये जितने संशोधन हमने पेश किये हैं वह इसी कसौटी पर कस कर किये हैं। केवल यह कह देना कि यह विरोधी पार्टी का काम है। मैं चाहता हूं कि इस तरह की बातें सदन में न हों। इसको मना कर दिया जाय क्योंकि बहुत सा समय इस तरह से नष्ट हो जाता है। ट्रेजरी बैंचेज के लोग उठते हैं और एक नाटकीय ढंग से कह देते हैं कि यह तो विरोधी पार्टी है और उसका काम ही विरोध करना है, वह धारा को ठीक तरह से नहीं समझते तो इस तरह की बातें सदन में कहना ठीक नहीं है।

मैं, श्रीमन् आपके जरिये से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब से यह बिल सदन में प्रस्तुत है और माननीय मंत्री के मुखारबिन्द से सुन्दर वाणी सुनते-सुनते हमारे कर्ण परेशानी में पड़ गये हैं। मैं सोचता हूं कि ऐसे मंत्री जो इतनी मुद्दत तक जन-तांत्रिक प्रणाली के माननीय नेताओं के साथ रहे उनके साथ अपना जीवन व्यतीत किया है, ऐसे मंत्री के रहते

हुये यह बिल कैसे प्रस्तुत हुआ, यह इतना उल्टा और गलत तरीके का बिल उनके रहते हुये कैसे प्रस्तुत हो गया, मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूं। मगर श्रीमन्, एक ढाढ़स होता है। मैं यह समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी की ऐसी विचारधारा न हो गई होती तो वह हमारा साथ ही क्यों छोड़ते और आज माननीय मंत्री जी की कुर्सी पर बैठकर माननीय मंत्री को कैसे संबोधन कराते तो इस प्रकार मेरी शंका का यहां उत्तर मिल जाता है और मैं शान्त हो जाता हूं।

हमारे माननीय मंत्री जी जब अपनी सीट पर उठते हैं तो एक न एक बात की चर्चा कर दिया करते हैं जो पुरानी होती है। अभी उन्होंने कहा था कि जब कांस्टीट्यूंट असेम्बली बनी थी उसमें सोशलिस्ट पार्टी रहती तो यह काम कर दिया होता। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह अपनी कमजोरी, अपनी खामी और दकियानूसी नीति का समर्थन करने के लिये सोशलिस्ट पार्टी के कांस्टीटुएंट असेम्बलीवाले शानदार प्रस्ताव का विधेयन न किया करें। हमारी पार्टी ने जो निर्णय किया था वह मर्दानगी का था, बहादुरी का था।....

अधिष्ठाता---प्रस्ताव माननीय सदस्य के सामने है वह उससे बहुत दूर चले जा रहे हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं अपने संशोधन पर हूं। मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी इस संशोधन की दूरदर्शिता को समझें जो श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने पेश किया है, और देखें कि उसमें क्या महत्व है, क्या गहराई है, क्या तत्व है, इस पर ध्यान दें तब वह समझेंगे कि हमने अपने मूल को छोड़ दिया है या मंत्री जी स्वयं मूल से कोसों दूर भागकर जनता को शूल पर टांगने जा रहे हैं।

श्रीमन्, मैं हैरत में पड़ गया हूं माननीय मंत्री जी की इस बात को सुन कर कि रामनारायण जी अब अपने मूल से हट गये। सब लोग जानते हैं कि हम अल्पमत में हैं हम जो कुछ भी बात रख रहे हैं वह बात अगर बहुमत में जो कांग्रेस पार्टी है वह स्वीकार नहीं करती तो वह पास नहीं हो पायेगी। जब वह मूल का प्रस्ताव गिरा तो हमने कहा कि अच्छा भाई यह निरंकुशता का अधिकार एक अनियंत्रित तरीके से, निरंकुश तरीके से सरकार को म्युनिसिपैलिटीज को चलाने में जो अधिकार मिल रहा है इस बिल के जरिये से उसकी सीमा को कम करो। दो बरस हैं तो एक बरस करो। अगर माननीय मंत्री जी हमारे मूल से सहमत थे तो माननीय मंत्री जी को इसमें संशोधन करना चाहिये था। जब वह गैर जनतांत्रिक अधिकार अपने हाथ में दो साल के लिये लेना चाहते थे उसे वह एक ही साल के लिये लेकर संतोष करें। एक साल का समय पार्टी पोलिटिक्स खेलने के लिये, पोलिटिकल आब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिये काफी होगा। श्रीमान, इन शब्दों के साथ में चाहता हूं कि एक बार पुनः विनम्र निवेदन करूं माननीय मंत्री महोदय से कि माननीय मंत्री इसको स्वीकार करें, और सदन के समय को व्यर्थ नष्ट न करें और अपने साथियों से यह संकेत न करें कि इस तरह से जवाब देना चाहिये, इस तरह से जवाब देना चाहिये बल्कि माननीय मंत्री जी मुक्त कंठ से सहर्ष इसे स्वीकार करें कि दो बरस का जो समय है वह ज्यादा है, केवल एक बरस का समय ही ठीक रहेगा।

माननीय मंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि विरोधी पार्टी की तरफ से यह संशोधन इसलिये रक्खा जा रहा है, इस भ्रम में रखा जा रहा है कि विरोधी पार्टी का सरकार के ऊपर विश्वास नहीं रह गया है। श्रीमान्, यह बात माननीय मंत्री जी ने हमारे संशोधन के संबंध में कही। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार में हमें विश्वास रह गया है या नहीं, यह तो वह खुद समझें कि हमारा विश्वास है या नहीं। इससे माननीय मंत्री जी की बात कुछ बनती बिगड़ती नहीं है मगर जिस तरह से सरकार चल रही है उससे क्या वह जनता के विश्वास को पायेगी? यह पब्लिक सर्विस कमीशन की

[श्री राजनारायण]

रिपोर्ट जनता के सामने जाय तो जनता क्या कहेगी ? त्रिलोकी सिंह का फैसला अगर जनता में वितरित किया जाय, पैसा नहीं था नहीं तो बांट दिया जाता तो जनता क्या कहेगी ?

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---चन्दा करवा लीजिये।

श्री राज नारायण---हमारे कुछ बन्धुओं ने चन्दा देने की बात कही है। उनके पास मैं पहुंचूंगा और उदारता के साथ जो उनसे चन्दा मिलेगा उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा।

तो मैं यह कह रहा था कि पब्लिक क्या समझती है। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर अपनी एनालेसिस करे, ४६ में ९० फीसदी जनमत कांग्रेस को प्राप्त हुआ था जब कि हम भी कांग्रेसी थे, १९५२ में कौन सा हिस्सा जनमत का कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुआ ? इतना जो डिक्लाइन (पतन) हुआ, इतनी जो वह नीचे आई क्या यह माननीय मंत्री को समझने के लिये काफी नहीं है कि जनता का विश्वास जिस द्रुतगति से कांग्रेस से हटता जा रहा है ? दुनिया की राजनीति में आप देखेंगे कि किसी राजनैतिक पार्टी का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जिसका डाउनफाल इतनी द्रुतगति से हुआ हो। इसलिये, श्रीमान्, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से बराबार निवेदन करूंगा, सादर साग्रह निवेदन करूंगा कि वह इस बात पर जोर न दें कि हमारा उन पर विश्वास नहीं है, इसलिये संशोधन रख रहे हैं। जितना विश्वास वह रखाना चाहते हैं उससे चौगुना विश्वास हम रखने को तैयार हैं लेकिन उनके जो काले कारनामे हैं वे हमारा विश्वास नहीं रहने देते। वे हर जगह इतने प्रचलित हो गये हैं, वे डंके की चोट पर कहते हैं कि इस सरकार में विश्वास न रक्खो। और मेरा विश्वास है कि जनता जितनी ही जल्दी इस सरकार से अपना विश्वास हटा लेगी उतना ही जनता का कल्याण होगा।

मैं अपने इस समर्थन के भाषण का अन्त करते हुये अन्त में यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार से जनता का विश्वास जितना जल्दी डिग जाय उतनी ही जनता के लिये अच्छा है, जन कल्याण के लिये अच्छा है और व्यक्तिगत मंत्री जी के लिये भी अच्छा है।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फ़र्रुखाबाद)---जनाब चैयरमैन साहब, इस छोटे से संशोधन पर जो बहस कई घंटे से हो रही है उसको मैंने बहुत गौर के साथ सुना। इस संशोधन को पेश करने वाले मेरे दोस्त ने जो तकरीर की और खासकर लीडर आफ दि अपोजिशन ने जो तकरीर की वह बहुत गौर के साथ सुनी। मैं यह समझता हूं कि कि इस भवन के अन्दर जितने लोग यहां पर बैठे हुये हैं उन्होंने सब ने इस तकरीर को बहुत दिलचस्पी के साथ सुना। तकरीरों के जरिये से इस बात को दोहराया गया है और इस बात को साबित करने की कोशिश की गई है कि जो तरमीम एक साल के बजाय दो साल म्युनिसिपैलिटी की जिन्दगी को बढ़ाने के लिये रखी गई वह सही है। यह बात पहले भी कही जा चुकी है कि इससे पहले जो संशोधन इस भवन के सामने आये जिनके ऊपर बहस हुई उनमें से बाज संशोधन ऐसे थे कि जो उसूली हैसियत रखते थे और अगर उस पर वोट होता तो शायद कुछ लोग उस पर वोट भी देते लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि उनमें से बाज उसूली शक्ल रखते थे और वह ऐसे थे कि उनके मुताल्लिक दो राय नहीं हो सकती थी लेकिन मुझे ताज्जुब यह हुआ कि वही माननीय सदस्य जो पहले यह बात कहें कि कोई एक्सटैन्शन नहीं होना चाहिये या उसके खिलाफ यह कहें कि जो एक्सटैंशन हो वह लेजिस्लेचर के जरिये से होना चाहिये उसके बाद वह इस बात को भी कहने लगें कि नहीं वह एक्सटैन्शन दो साल के बजाय एक साल का कर दिया जाय और वह इस वक्त एक साल की मियाद बढ़ाने की कोशिश करते हैं जब बिल के अन्दर संशोधन को उनकी तरफ से आया हुआ मंजूर नहीं किया जाता है तो वह इस तरह की बात कहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि बात यहीं पर खत्म हो जाती तो यह ज्यादा बेहतर था। इस हाउस के बाहर यह कहा जाता है कि सोशलिस्ट पार्टी ने इस बात की कोशिश कि वह इस बात को रहने देने के लिये इस बिल के अन्दर तैयार नहीं और गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो भी करे उसके लिये लेजिस्लेचर की मंजूरी लेकर करे तो इस तरह की तेजी की बात नहीं होनी चाहिये।

जब इस बात को मान लिया गया है कि बजाय दो साल के एक साल सोशलिस्ट पार्टी चाहती है तो मेरे खयाल में जो संशोधन इस वक्त पेश किया गया है उसका ग्रेस कुछ कम हो जाता है।

एक बात यह भी कही गई कि इस हुकूमत के ऊपर हमको विश्वास नहीं है इसलिये यह एक साल की मियाद की जारही है। हुकूमत के ऊपर उनको विश्वास नहीं है कि वह इस तरह के अख्तयार हासिल करे और अगर हासिल करती है तो वह इसका सही इस्तेमाल नहीं करेगी। मैं यह समझता हूं कि इस तरह की बात पार्लियामेंटरी तरीके के खिलाफ है। हाउस के अन्दर बहुत सी बातें हुआ करती हैं। जो वहां पर पार्टी आती हैं वह अपने प्रोग्राम के मुताबिक चलती हैं और अपने अपने प्रोग्रम के मुताबिक बातें किया करती हैं लेकिन भवन जब किसी बात को तय कर देता है तो फिर वह सब के लिये पाबन्दी की बात समझी जाती है चाहे वह कोई किसी भी संशोधन का मूवर हो या उसकी मुखालफत करने वाला हो। लेकिन बदकिस्मती से भवन के अन्दर डिबेट में इस तरह की बात कही गई कि सरकार पर हमको विश्वास नहीं है। जब कोई बात मानली गई तो वह इस बात की इजाजत नहीं देती है कि यह कहे कि हमको विश्वास नहीं है। यह डिमोक्रेसी इन्स्टीट्यूशन के खिलाफ जाता है। अभी हमारे एक दोस्त ने कुछ जजमेंट पढ़कर सुनाया। कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट को पढकर सुनाया। जब वह सुना रहे थे तो मैं आंखें मल रहा था कि आया यहां पर उनके लिये यह कहना मुनासिब है या नहीं। मुझे मालूम नहीं है कि उनकी तफसील क्या है। यह भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो काम करे और हो सकता है कि बाज क्रिटिसिज्म सही हों लेकिन सवाल यह है कि यह जो एक और २ साल की बहस है इसमें कोई उसूल की बात है यह चीज समझ में नहीं आती। जब यह बात कही गई कि इससे विश्वास कम हो जाता है तो मैं इस सिलसिले में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि विश्वास कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और वह इसलिये कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने अगर अपनी रिपोर्ट में कोई ऐसे आबजरवेशन किये कि जिनको उसने पसन्द नहीं किया या किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया या आबजरवेशन्स किये जो अच्छे नहीं थे तो इसका यह नतीजा नहीं निकलता कि उससे गवर्नमेंट अनपापुलर हो गई और उसका किसी बात पर यकीन ही नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि गवर्नमेंट का या इस भवन का मास्टर कोई हाईकोर्ट या पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है बल्कि हमारा और हमारे सदन का जो असली मास्टर है वह यहां का एलेक्टरेट है कि जिस ने हम को यहां चुन कर भेजा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह मास्टर जिसने हमें यहां एलेक्ट कर के भेजा है यानी एलेक्टरेट, उसने जब एक पार्टी के लोगों को अकसरियत से चुना और उस पार्टी को कमीशन किया कि तुम हुकूमत को संभालो और उसी एलेक्टरेट के कमीशन के मुताबिक जब एक पार्टी हुकूमत चला रही है, एलेक्टरेट ने उस के ऊपर भरोसा किया और उस ने अपना नुमाइन्दा बनाकर यहां भेजा लेकिन अगर कहीं हम यहां वहां थोड़ा सा क्रिटिसिज्म पढ़ लें या कहीं के किसी के कुछ आबजरवेशन्स पढ़ लें, चाहे वह हुकूमत के खिलाफ ही क्यों न हों लेकिन उन की बिना पर हम यह नहीं कह सकते कि उससे हुकूमत की या पार्टी की पापुलेरिटी खत्म होती है। यह सब चीजें एक बुनियादी हैसियत विश्वास पर रखती है और विश्वास एक साइकोलाजिकल टर्म है। "कानफिडैन्स बिगैट्स कानफिडैन्स"। मान लीजिये कि हम यह बुनियाद लेकर चलें कि लीडर आफ दि अपोजीशन हमारी बात मानेंगे ही नहीं तो सवाल यह पैदा होता है कि हम उन के पास अपनी दरख्वास्त ले कर जायं या न जांय। जहां तक पार्लियामेंटरी डिबेट्स का ताल्लुक है उन की बुनियाद यह नहीं होना चाहिये कि विश्वास नहीं करते बल्कि बुनियाद होना चाहिये कि जिस बात को हम कह रहे हैं वह कहांतक सही और मुनासिब है। चाहे कोई हुकूमत हो असेम्बली हो या पार्लियामेंट हो, यहां की या किसी भी मुल्क की पार्लियामेंट हो, जहां भी पार्लियामेंटेरियन इन्सटीट्यूशन्स चल रहे हैं वहां यही तरीका होता है कि एक पार्टी ट्रेजरी बैंचेज की होती है और दूसरी माइनारिटी पार्टी अपोजीशन में होती है, उस के बाद सरकारी पार्टी की तरफ से प्रोपोजल्स आते हैं और उनका

[श्री सुल्तान आलम खां]

हाउस में अपोजीशन होता है और उन पर डिसकशन होता है और उस के बाद जो चीज मुनासिब होती है वह यहां आखिर में मंजूर की जाती है और वह चीज न सिर्फ ट्रेजरी बैंचेज का प्रोपोजल होता है बल्कि वह हाउस का प्रोपोजल बन कर जाता है। अगर इसी उसूल को हम मानें और इसी बुनियाद पर हम कोशिश करें तभी हमारे यहां पार्लियामेंटरी इन्सटीट्यूशन्स की तरक्की और डेमोक्रेसी के हेल्दी कन्वेन्शन्स कायम हो सकते हैं।

एक सदस्य---कुछ संशोधन पर भी बोलिये।

श्री सुल्तान आलम खां---हमारे दोस्त फरमा रहे हैं कि मैं संशोधन पर भी रोशनी डालूं। मेरे खयाल में मैंने जो शुरू में अर्ज किया था उस पर उन्होंने तवज्जह नहीं फरमाई। मैंने कहा था कि जब एक बार इस तरह की तजवीज आ चुकी कि गवर्नमेंट को वक्त के बढ़ाने का अख्तयार न होना चाहिये और इस तरह का भी संशोधन आ चुका कि अगर गवर्नमेंट एक्सटेंशन करे तो उसके लिये हाउस की रजामन्दी होना चाहिये और उसके बाद जब वह नाकामयाब रहे तो ऐसी सूरत में तो यह बेहतर होता कि वह खामोश रहते और कोई संशोधन न लाते, मैं समझता हूं कि यह ज्यादा ग्रेसफुल उन के लिये होता लेकिन जब यह संशोधन आता है कि २ साल के बजाय एक साल कर दिया जाय, तो मुझे इसके पीछे कोई आरगूमेंट नहीं मालूम होता। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह ठीक ऐसा ही है कि जैसे कोई बाजार में जा कर सौदा करता है कोई अमीनाबाद या हजरतगंज में जाय और उस से दुकानदार कहे कि फलां चीज ३ रुपये की है, उस पर पहले कहा जाय कि ३ रुपये तो नहीं एक रुपया लो। उसके बाद फिर कहा जाय कि अच्छा भाई न तुम्हारे ३ रुपये और न हमारा १ रुपया, २ रुपये लो।

कानून इस तरह से नहीं बनते। पहले कानून में कन्विक्शन का सवाल आता है। अगर वाकई कन्विक्शन है तो मैं समझता हूं कि हुकूमत को इस तरह का अधिकार नहीं हो कि कोई टर्म बढ़े या अगर बढ़े तो हाउस के अन्दर उसका एप्रूवल ले लिया जाय, ठीक है। मुमकिन है कि इससे बहुत से लोग मुखालिफत करें। मैं समझता हूं कि आप खुद समझते होंगे कि उसके पहले जो अमेंडमेंट आये हैं उनमें कुछ ग्रेस बाकी नहीं रहती। २ और १ की जो बहस है यह बिलकुल गलत है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि जब हाउस ने यह बात मान ली कि नहीं साहब, कोई टर्म नहीं होनी चाहिये तो फिर २ या ४ साल का सवाल नहीं आता और अगर यह माना है कि कोई टर्म होनी चाहिये तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि वह कितनी हो, आया २ साल हो या १ साल हो या ४ साल हो। तो इसकी तो कोई हद नहीं हो सकती। सवाल तो दरपेश यह है कि जो २ साल की टर्म रखी गयी है, जब आपने यह बुनियादी उसूल मान लिया कि नहीं साहब कुछ टर्म रखनी चाहिये तो फिर, जैसा मैंने पहले कहा, यह सवाल पैदा होता है कि क्या टर्म रीजनेबिल होनी चाहिये जिसके अन्दर अगर इस किस्म की जरूरत पेश आजावे तो उससे काम लिया जा सके। मैं समझता हूं कि ऐसी हालत में एक साल की मुद्दत बहुत थोड़ी है जो इलैक्टोरल रोल वगैरह बनाने में ही गुजर जाती है। फिर यह भी नहीं है कि २ साल की मुद्दत लाजिमी है। वह तो एक एग्रिगेट टर्म है। हो सकता है कि मुद्दत किसी केस में ६ महीने या सालभर ही रखी जाय। यदि यह अर्सा काफी नहीं होता है तो उसके बाद उसे बढ़ाया जा सकता है २ साल तक। अगर इसको १ साल या कम रखा गया और जरूरत इससे ज्यादा अर्से के लिये पड़ी तो फिर आर्डिनेंस जारी करने की जरूरत पड़ेगी। २ साल तो इसलिये रखा गया है कि अगर ६ महीने या १ या डेढ़ साल में काम नहीं चला तो २ साल तक हो सकेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि १ या २ की बहस में पड़कर इस भवन का वक्त कारआमद नहीं बनाया जा सकता। इसलिये मेरी बड़े अदब के साथ दरख्वास्त यह है कि इस अमेंडमेंट को मेरे दोस्त वापस लेलें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री जगन्नाथ मल्ल---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी अभी माननीय

सुल्तान आलम खां साहब ने बहुत जोरदार उपदेश सुनाये और ऐसी बातें कहीं जो मैं समझता हूं कि कोई सुनने की चीज नहीं है । उपदेश तो आपने बहुत सुनाये और जितना भी आपका भाषण था मैं तो यह समझता रहा कि शायद आप हम लोगों को उपदेश देने की बात कर रहे हैं । मैं आपसे बहुत अदब से कहता हूं कि उपदेश देने का एक समय था और उस वक्त मेरे दोस्त शायद कांग्रेस पा आर्गेनाइजेशन में नहीं थे, उस समय हम कांग्रेस में थे और तब अगर हमारे दोस्त कांग्रेस में होते तो हम उनके उपदेश की बात सुनते । उसके बाद संशोधन के बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा । उन्होंने कहा कि सौदेबाजी हो रही है । मैं आपको बताऊं कि यह गवर्नमेंट तो बुनियादी चीजों की तरफ ध्यान देवाली नहीं है । बुनियादी चीजों को तो यह सरकार मानने वाली है नहीं । जब हमने यह देख लिया कि यह सरकार प्रजातंत्र से बहुत दूर जाना चाहती है, वह चाहती है कि अपने हाथ में ताक़त लेकर चुनाव को टालते जावें, तो मैं समझता हूं कि सुल्तानआलमखां साहेब को, अगर हम बारगेनिंग भी करते हैं तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिये । मैं तो जानता हूं कि कभी भी यह सरकार बुनियादी चीजों पर नहीं आयेगी । फिर जैसी सरकार होती है वैसा ही करना भी पड़ता है । हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि इस सरकार के पास बहुत ज्यादा बेजा पावर न चली जाय । हमारा संशोधन तो सीधा साधा संशोधन है । अब मैं और ज्यादा न कह कर सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर ले ।

श्री राम नरेश शुक्ल---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे पुराने साथी और आज के विरोधी दल के नेता, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, उन्होंने अपने अभिभाषण में इस संशोधन के सिलसिले में बहुत सी बातें कहीं जो बुनियादी नहीं थीं । उन पर अधिक न कहते हुये मैं केवल एक दो बातों की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा और वह यह है कि जब मैं उन्हें सुन रहा था तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि वे सुबह ही से इस बात के लिये तैयार हों कि जैसे ही मौका मिले वैसे ही इस बात को कह दें । अगर मेरे लायक दोस्त उन बातों को किसी मौके पर कहते तो ज्यादा अच्छा होता और उन बातों का कुछ वजन पड़ता लेकिन जिस संशोधन पर और वक्त बेवक्त उन चीजों को कहा गया उससे तो मैं केवल इसी नतीजे पर पहुंचता हूं कि जब किसी से नई दोस्ती होती है तो उस नई दोस्ती को किसी तरीके से साबित करना होता है जिससे कि उसकी जड़ें और गहरी हों ।

जहां तक उस कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है वह माननीय हाई कोर्ट का फैसला है, वह हमारी सर आंखों पर है और यह सरकार ऐसे फैसलों से नसीहत लिया करती है । इतनी बड़ी हुकूमत है जिसमें सैकड़ों हजारों और लाखों कर्मचारी हैं, यह कोई बनिये की दूकान तो है नहीं कि हर एक पर पूरी नजर रखी जा सके । उसके विषय में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में इसलिये कहना जरूरी था कि इसका कारण वह दोस्ती थी जो अभी हाल में नेता विरोधी दल और श्री त्रिलोकी सिंह की हुई है लेकिन इससे जनता की नजर में इनका कोई वजन नहीं बढ़ सकता ।

इस सम्बन्ध में, अधिष्ठाता महोदय, यह भी कहा गया और बराबर कई रोज से कहा जा रहा है कि कांग्रेस दल ४४ प्रतिशत वोटों से आया । तो क्या मैं आप के द्वारा पूछ सकता हूं कि विरोधी दल को जो वोट हुआ वह कितना था ? उनको कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए ? इसलिये यह कह कर कि हमें बहुत कम प्रतिशत वोट मिले इस सदन के वजन को हल्का नहीं किया जा सकता है । आप भी माननीय सदस्य हैं, आप भी चुन कर आये हैं, चाहे जितना प्रतिशत वोट पाये हों । आपका भी आदर इस सदन में और इससे बाहर है । (एक आवाज---और आपको तो ज्यादा आदर प्राप्त होगा ?) हमारा आदर तो ज्यादा है ही क्योंकि हमारी संख्या ३९१ है ।

[श्री राम नरेश शुक्ल]

जहां तक मैंने समझा है मालूम होता है कि वे उन तमाम हारे हुए उम्मीदवारों के वोट भी शायद जोड़ लिया करते हैं और जोड़ कर अपनी संख्या ज्यादा बढ़ा लिया करते हैं। तो इस विषय को तो यहीं पर छोड़ देना मुनासिब मालूम पड़ता है। फिर मेरे दोस्त आगे बढ़े और उन्होंने यह कहा कि यह सरकार अजनतांत्रिक (अन डेमोक्रेटिक) सिद्धान्तों पर चल रही है और उसी को कहते हुए यह फरमाया कि दुनिया में कोई पार्टी नहीं है जिसका असर इतनी जल्दी अपने देश में कम हुआ हो। अधिष्ठाता महोदय, मेरा यह खयाल है कि यही खयालात और बुलन्द ऊंचे दिमाग चुनाव के पहले थे और हर जिले में, हर प्रान्त में हुकूमत में बैठने के लिये तैयारियां थीं और इतने जोरों की तैयारियां थीं कि मालूम पड़ता था कि बस, रेलगाड़ी और मोटर बसों में जो बातें सुनी थीं उसी के नतीजे पर आकर हुकूमत बनाने को तैयार हो गये। लेकिन इस प्रान्त में ही नहीं बल्कि इस देश के और प्रान्तों में भी जो उन्हें तजुर्बा हुआ उसका नतीजा यह हुआ कि वे अपने बुनियादी सिद्धान्तों पर भी नहीं ठहर सके और अपने सिद्धान्तों को छोड़ कर ऐसी जगह पहुंचे जहां पहुंचना जिन्दगी भर में भी उनके लिये मुश्किल था। तो इस संशोधन में मैं उन चीजों को नहीं उठाना चाहता हूं।

कुछ और दूसरी बातों का भी जिक्र आया है। अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मैं एक चीज और बतलाना चाहता हूं। मेरे लायक दोस्त यह भी कहा करते हैं कि वह तो जनरल एलेक्शन था। उसके बाद डेढ़ वर्ष के अन्दर बड़ा परिवर्तन हुआ है और उस सिलसिले में एकाध चुनाव का नाम लिया करते हैं। उस चुनाव के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। केवल इतना कहना चाहता हूं कि जनरल एलेक्शन में हमेशा सिद्धान्तों की आंधी उठा करती है और उस समय सचमुच सिद्धान्तों को तौल और वजन हुआ करता है। छुटपुट और बीच के चुनाव जो हुआ करते हैं उनमें सिद्धान्तों की आंधी नहीं चलती। उसमें व्यक्तित्व लड़ा करता है और व्यक्तित्व का वजन होता है। तो, अधिष्ठाता महोदय, इस तरह छोटे मोटे ब्राई एलेक्शंस का जिक्र करके किसी गलत नतीजे पर पहुंचना, मैं समझता हूं किसी राजनैतिक दल के लिये उचित नहीं होगा। मुझे आपके द्वारा केवल एक बात की प्रार्थना करनी है और वह यह है कि यह दो साल और एक साल की मियाद बढ़ाने की बात रख करके हम प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के बाहर कैसे जा रहे हैं, इस विषय में हमें केवल इतनी प्रार्थना करनी है कि क्या प्रजातंत्र का फैसला हर एक गांव में किया जायगा? किसी मकान के कब्जा करने का फैसला हुआ। इस प्रान्त की हुकूमत करने के लिये इस राज्य की जनता ने ५ वर्ष के लिये कांग्रेस को अख्तियार दिया और आज अगर यह सदन यह भी तय कर देता कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्यूनिसिपैलिटियों को रखना अनडेमोक्रेटिक है तो उसके लिये भी हम कुछ नहीं कह सकते थे। इसलिये एक साल या दो साल की बात कोई ऐसी नहीं है जिसके लिये यहां पर इस प्रकार की दोहाई दें कि प्रजातंत्र का हनन हो रहा है और ऐसे मंत्री द्वारा जिनका साथ किसी बड़े प्रजातंत्र के हामी का रहा है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि यह पार्टी जिसके कि हमारे मंत्री महोदय हैं सभी ऐसे बड़े-बड़े नेता रखी है और रखती है जिससे सारा संसार आकर प्रजातंत्र की नसीहत लेता है। आज से ही नहीं बल्कि बहुत पहले से ही सारे संसार ने यहां से प्रजातंत्र का सबक लिया है। तोमैं तो विरोधी दल को भी निमंत्रण देता हूं कि वे भी आकर हमारी पार्टी के नेताओं से प्रजातन्त्र की नसीहत लें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय चेयरमैन महोदय, ...

अधिष्ठाता--मैं उपाध्याय जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि परसनल बातें न हों तो अच्छा है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मैं चाहता तो यही था कि पहले और बहुत से महानुभाव बोल लें और बाद में मैं बोलूं तो अच्छा होता। लेकिन मैं खड़ा हो गया और आपने मेरा बोलना स्वीकार कर लिया इसलिये मैं तैयार हूं। आज, अधिष्ठाता महोदय, एक ऐसा मामला सदन में छिड़ गया है जिस पर कुछ बातों को कहने का मौका मिला है।

हमारे लायक दोस्त माननीय रामनरेश जी शुक्ल ने हमसे कहा कि प्रजातंत्र के तरीकों को बरतने वाले और पढ़ाने वाले बहुत बड़े बड़े नेता हैं। हमें इनकार नहीं है इस बात से और आज वह कहते हैं कि जनता ने हमें छांटा है लेकिन यह सब हमारी कमाई तो है जिसकी वजह से आप जीत कर आये हैं आप कांग्रेस का नाम लेकर जीते हैं लेकिन कांग्रेस को बनाया किसने था? लेकिन जब हमने देखा कि आप आज सारी कमाई को ग़लत तरीके से खा लेना चाहते हैं और हमारे पुराने इकट्ठा किये हुये धन को गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं और तब हम बाहर आये और हमने इन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन आज तो इन्हें इस बात का गर्व है कि जैसा माननीय सुल्तान आलम जी ने कहा कि हमारा हाई कोर्ट कुछ नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन कुछ नहीं है, और हमारी मास्टर तो पब्लिक है और जनता ने हमें छांटा है इसलिये हम जो करना चाहें कर सकते हैं।

श्री सुल्तान आलम खां—आन ए प्वाइंट आफ परसनल एक्स्प्लेनेशन (मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।) मैंने यह कहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने चाहे कुछ क्रिटिसिज्म किया हुआ हो और चाहे हाई कोर्ट ने कुछ आबजरवेशंस किये हों लेकिन जब तक जनता जो हमारी मास्टर है और उसने यहां जैसा हाउस है बनाया है और जब तक उसका विश्वास हम पर है तब तक यह काम हम करने के लिये आये हुये हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—वही बात मैं भी कह रहा हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट जो कुछ कहें लेकिन आप तो अपने रास्ते पर चले जायेंगे यही तो मैं भी कह रहा हूं। यही हमाने देखा है और यही सब माननीय सदस्यों ने समझा होगा। जब यह मनोवृत्ति है और जैसा माननीय स्वशासन मंत्री जी कहते थे और फिर उन्होंने छोड़ दिया लेकिन वह कह रहे थे कि वह अपना फर्ज अदा कर रहे हैं लेकिन हम भी अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। हम विरोधी दल में हैं केवल विरोध के लिये विरोध नहीं कर रहे हैं जो हमारी समझ में आता है आपको बताते हैं। जैसा हमारे नेता जी ने कहा कि जो हम समझते हैं वह कहते हैं कोई गलत बात नहीं रखते और अगर वह बात आपकी समझ में न आयें तो हम क्या करें? समझाने की कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी समझें और हम भी समझें और कोई मानने लायक बात हो तो आप मानें। लेकिन मैं जानता हूं कि सही बात भी हम कहें तब भी आप न समझेंगे और न मानेंगे। यही बात अगर और तरफ से कही गई होती तो शायद आप मान भी लेते। लेकिन मुझे दुःख हुआ जब इस छोटे से मामले को लेकर इतनी गरमागरमी हाउस में हो गई और हम तो ऐसे मौके की ताक में रहते हैं कि कहीं ऐसी चीज़ मिले क्योंकि हम थोड़े आदमी हैं। जब कभी कोई ऐसा मामला सदन में पेश होता है तो हमें अपने खयालात के इजहार करने का मौका होता है।

(इस समय ४ बज कर २० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

पब्लिक सर्विस कमीशन की बातें कही गई हैं और बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं जिनके बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि आप मिसालें बताइये। हमारे नेता जी ने बहुत सी मिसालें बताई। एकाध मैं भी बताता हूं। सन् १९४९–५० में स्कूलों के सब डिप्टी इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति बिना पब्लिक सर्विस कमीशन की राय के हुई। पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में यह बात लिखी हुई है। उसके बाद गवर्नमेंट के हैंडमेड पेपर फैक्टरी के मैनेजर के पद से एक अफसर लेखे में कुछ त्रुटियों के लिये

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

उत्तरदायी ठहराये जाने के कारण निकाल दिये गये थे तिस पर भी सरकार ने उसे १९५० में अक्यूपेशनल इन्स्टीटयूट लखनऊ के लिये वर्कशाप सुपरिंटेंडेंट के पद पर नियुक्त कर दिया । ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर वह बतायी जायं तो मैं समझता हूं कि उनमें बहुत दिन लग जायंगे । इसलिए मैं तो माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि कमियां उनमें भी हैं और हम में भी हैं । हम यह नहीं कहते कि हम दूध के धोये हैं । लेकिन अगर वह यह समझते हैं कि वे दूध के धुले हुए हैं तो यह बात ग़लत है । यह हम कभी भी मानने के लिये तैयार नहीं हैं । वह कहते हैं कि हम चाहे जो कानून बनायें, चाहे जितने दिन तक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव न करवाएं क्योंकि हमको जनता ने छांट दिया है, यह बात ग़लत है । हम जनता के ही छांटे हुए हैं । किसी ने हमको नामजद तो नहीं किया है ।

मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि बहुत इसमें वादविवाद बढ़ जायगा ।

मैं यही कहूंगा कि जो संशोधन हमारे माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने इस सदन के सामने रखा है उसे माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लें ।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मेरे छोटे से निर्दोष संशोधन पर सरकार की हठवादिता के कारण सदन का समय काफी लगा, इसका मुझे बड़ा अफसोस है । लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा वक्त लूंगा और दो तीन बातों की तरफ ध्यान दिलाऊंगा ।

माननीय सदस्य सुल्तान आलम खां ने यह कहा कि पहला जो मेरा संशोधन था कि कोई भी एक्सटेंशन न किया जाय उसके बाद मुझे चुप रहना चाहिये था तो दुनिया में नाम होता हमारी पार्टी का कि भले लोग हैं । एक बात उसूल की कही । अगर नहीं मानी गयी तो इसके बाद वह चुप रहे । लेकिन हम तो यह समझते हैं आज यह हमारी परीक्षा नहीं बल्कि सरकार की परीक्षा का समय है । हम तो यह दिखाना चाहते हैं कि पहले हमने एक बुनियादी चीज कही कि जिस म्युनिसिपल बोर्ड को जनता चुनती है उसके पीरिअड को एक्सटेंड करने का सरकार को अधिकार नहीं होना चाहिए । लेकिन उसको भी कांग्रेस सरकार ने और उसके बहुमत ने ठुकरा दिया । उसके बाद हमने चाहा कि अगर सरकार जरूरी ही समझती है तो दो साल के बजाय एक ही साल का एक्सटेन्शन रख दिया जाय । वह भी हमारी बात नहीं मानी गयी । यह हम जनता को दिखलाना चाहते हैं असल में हमारी इसमें बदनामी नहीं है । सरकार की बदनामी है कि सचमुच सरकार हट पर तुली हुई है । कोई चीज मानने के लिए तैयार नहीं है । इस वजह से हमने इस संशोधन पर जोर दिया ।

एक सदस्य ने यह कहा कि बार बार अलीगढ़ के चुनाव का हवाला दिया जाता है । जो उपचुनाव होते हैं उनमें व्यक्तित्व काम करता है । साधारण चुनाव में पालिसी और प्रोग्राम पर लोग चुने जाते हैं । मैं उनसे पूछता हूं कि क्या यह बात सच नहीं है कि मद्रास में एक सीट पर एक कांग्रेसी और एक कम्युनिस्ट लड़ रहे थे । कम्युनिस्ट उम्मीदवार के उस सीट पर चुने जाने के बाद वहां के मुख्य मंत्री, जो कांग्रेस के एक प्रादेशिक सरकार के मुख्य मंत्री हैं, राजगोपालाचार्य जी ने अपने प्रति फिर से वोट आफ कांफीडेंस का प्रस्ताव

पास कराया था। उनसे इस सरकार को एक सबक लेना चाहिये। यह सरकार को गम्भीरता के साथ सोचना चाहिये कि सिर्फ पिछले चुनाव के आठ महीने बाद ही वही सरकार जिसका बहुमत है और जिसको विधान सभा में ३९१ सदस्य चुने जाने का फख्र है वही एक उपचुनाव में हार जाती है, इसका क्या कारण है।

अभी हमारी तरफ से जब यह कहा गया कि हमारी कमाई पर तो आप चुने गये हैं तो उधर से कहा गया कि आप अपनी कमाई अपने पास नहीं रख सके। माननीय अध्यक्ष महोदय हम तो इतना कहेंगे कि हम अपनी कमाई का बेजा फायदा न उठा सके और न उठाना चाहते हैं। वर्ना आज भी कांग्रेस और कांग्रेस सरकार का दरवाजा हमारे लिए खुला हुआ है जहां पर हम बेजा और जा फायदा उठा सकते हैं। हमने बेजा फायदा उठाना नहीं चाहा। सरकारी दल के लिये छोड़ दिया कि वह जितना भी फायदा उठा सके उठाए। इसलिये हम चले आये।

और वादविवाद में अधिक समय न लेकर मैं माननीय स्वशासन मंत्री से चाहूंगा कि आप की भी दिक्कत हल हो जाती है और हम लोगों की शंका भी कुछ अंश तक कम से कम पचास प्रतिशत निवारण हो जाती है। इसलिए दो साल के बजाय एक साल का एक्सटेंशन रखा जाय तो बहुत ही उचित होगा।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन तो केवल इतना था कि दो साल के स्थान पर एक साल कर दिया जाय, लेकिन इसमें बहस बहुत लम्बी चौड़ी हुई और बड़ी पोलिटिकल हो गयी जिसका इससे सम्बन्ध मेरी समझ में आ नहीं पा रहा है।

कई कोटेशंस दिये गये और हमारे विरोधी दल के नेता श्री राजनारायण जी ने कोटेशन दिया। मैंने अभी उस पुस्तक को नहीं देखा। उसके अन्दर के कोटेशन को पढ़ा नहीं, लेकिन इतना मैं समझता हूं कि उन्होंने जो एक बार पहले कोटेशन दिया था "ला रिपोर्टर" में से उसको जब मैंने मंगा कर पढ़ा तो यह मालूम हुआ कि उन्होंने जो कुछ कहा था वह बिल्कुल उसके विपरीत था जो उसमें लिखा था।

श्री अध्यक्ष—कल के लिये मैंने उसका टाइम फ़िक्स किया है।

श्री मोहनलाल गौतम—कल जो मामला आ रहा है वह तो डिस्कस होगा, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि जब उसको देखता हूं तो बिल्कुल उससे दूसरी बात निकलती है। तो आज मालूम नहीं कि उन्होंने क्या कोटेशन पढ़ा है। जब तक मैंने देखा नहीं, पढ़ा नहीं कैसे कुछ कह सकता हूं और जो मेरा अनुभव पुराना है उससे मैं उसे कैसे सही समझ लूं कि जो माननीय राजनारायण जी ने कोटेशन दिया वह सही है। यह तो मैं कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि माननीय राजनारायण जी जानबूझ कर उसको उल्टा पेश करते हैं। मैं उनकी नियत पर हमला करूं यह तो ठीक नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि कोटेशंस को मिस्कोट करने का उनका एक खास तरीका है। इसलिये आज मैं उन कोटेशंस के बारे में कुछ नहीं कहूंगा।

बड़ी बड़ी बातें कही गयीं, बुद्धि खुले, दकियानूसी हूं, और यह सब बातें। ठीक है, अच्छा है ऐसे लफ्ज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में आते जायेंगे तो पार्लियामेंटरी प्रोसीज्यर बहुत रिच होती जायगी और जितने नये नये शब्द और नीयत पर हमला करने के, बुद्धि खुलने के जो हैं, क्योंकि हमारी हिन्दी भाषा पार्लियामेंटरी लैंगुएज में बहुत ज्यादा रिच नहीं है, तो जितने शब्द आपकी आज्ञा से आते जायेंगे वह अच्छा ही है। मुझे कुछ कहना नहीं है।

मुझे एक परसनल एक्सप्लेनेशन देना है। हालांकि मैं इस रूल के मुताबिक..

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मुझे वैधानिक आपत्ति है। अभी माननीय स्वशासन मंत्री जी ने ये शब्द इस्तेमाल किये कि आपकी आज्ञा से जितने शब्द इस तरह से अनपार्लियामेंटरी आते जायंगे उतना ही अच्छा होगा, यह मैं समझता हूं कि चेयर पर रिफ्लेक्शन है और माननीय स्वशासन मंत्री को ये शब्द वापस लेने चाहिये।

श्री अध्यक्ष---आपका मतलब क्या था, उसे स्पष्ट कर दें।

श्री मोहनलाल गौतम---मेरा ख्याल है कि मेरा मतलब गलत नहीं था और अध्यक्ष महोदय, आपने सुना और उसको बरदाश्त किया। मैं समझता हूं कि वह काफी था और जबकि आपने उसे बरदाश्त कर लिया, उसे मान लिया और प्रोसीडिंग्स आगे चलने लगीं।

श्री अध्यक्ष---जब प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज किया गया है तो अब तो यह सदन का सवाल है। पहले तो मैंने बरदाश्त किया। इसलिये उसका स्पष्टीकरण आपको करना ही चाहिये।

श्री मोहनलाल गौतम---उसका स्पष्टीकरण, अध्यक्ष महोदय यह है कि वह आपत्ति अगर अचानक होती तो तो शायद आप उस पर आपत्ति करते। मैं यह समझा आपके आपत्ति न करने पर कि आपने मान लिया है। इसलिये मुझे उसके बारे में अधिक नहीं कहना है। इतना ही कह देना चाहता हूं कि आपकी आज्ञा से जितने शब्द इसमें आगे जुड़ते जायेंगे उतनी ही पार्लियामेंटरी लैंगुएज रिच होती जायगी, यह मैंने कहा। अगर आप आज्ञा न दें तो अनपार्लियामेंटरी होते जायेंगे और अगर आप आज्ञा देते जायेंगे तो वह पार्लियामेंटरी होते जायंगे। मैं आपकी रूलिंग को कैसे क्वेश्चेन कर दूं। इसलिये मैंने यह कहा कि अगर आप इन लफ़्जों को मुनासिब समझते हैं तो लैंगुएज रिच होती चली जा रही है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं और इसके अलावा मैंने आपकी शान में, आपके विरोध में, आपके खिलाफ मैंने कुछ नहीं कहा। हिन्दी भाषा में बहुत से ऐसे लफ्ज हैं जोकि अगर अंग्रेजी में कहे जायं तो आसानी से कहे जा सकते हैं, मगर हिन्दी में बुरे मालूम होते हैं। इसलिये अभी ये ट्रैडीशन बिल्ड होंगे और आप मालिक हैं, आप जिनके लिये आज्ञा देंगे वह आयेंगे और जिनके लिये आज्ञा नहीं देंगे वह नहीं आयेंगे। मेरी आपकी नीयत पर हमला करने की या जजमेंट पर हमला करने की कोई बात नहीं थी।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप कुछ शब्दों का जिक्र कर रहे थे जो कि पहले इस्तेमाल हो चुके हैं। हमारे सामने वे नहीं हैं। उन शब्दों के बारे में मैं तो यह समझा कि बहुत दफा कुछ शब्दों का इस्तेमाल होता है और वह विरोधी पार्टी के लिये इस्तेमाल किया जाता है। इस दृष्टि से मैं समझा कि आपका हमला उस तरफ है। अगर यह बात है, कोई आपत्तिजनक शब्द कहे गये हैं तो मेरा ख्याल यह है कि माननीय सदस्यों को सबको अधिकार है इस बात का कि उसी वक्त अध्यक्ष के सामने उसका एतराज कर दें कि यह अनपार्लियामेंटरी है और उस वक्त अगर अध्यक्ष यह समझे कि अनपार्लियामेंटरी नहीं है तो वह डेसीशन दे देगा और जो कुछ डेसीशन होगा वह हो जायगा। लेकिन पिछले जो शब्द इस्तेमाल हो चुके हैं, मैं तो नहीं जानता हूं, मेरे स्थान पर दूसरे जो चेयरमैन बैठते हैं उस वक्त कुछ कहा गया हो। मैंने तो यह समझा कि अध्यक्ष की मरजी से कुछ ऐसे अनपार्लियामेंटरी शब्द हैं जिनका प्रयोग जारी किया इस दृष्टि से आपने नहीं कहा बल्कि इस दृष्टि से कहा कि लोग इस्तेमाल करते चले आये हैं। एक इतिहास को ही सामने रखा। इसलिये मैंने कोई आक्षेप नहीं माना। तो मैं समझता हूं कि आपका मतलब मेरा अटेंशन ड्रा करने का था कि मैं चाहूं तो ऐक्शन ले सकता हूं। लेकिन अभी तो मेरे सामने कोई प्रश्न नहीं है। कोई आपका इरादा अगर इस किस्म का इसको चैलेंज करने का नहीं है तो मैं तो समझता हूं कि इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाय। आप अपना व्याख्यान जारी करें।

श्री मोहनलाल गौतम--एक बात एक परसनल एक्सप्लेशन के तौर पर मैं कह देना चाहता हूं हालांकि उसका इस बहस से एक तरह से मैं बहुत ताल्लुक नहीं जोड़ पाता हूं.और यह भी ठीक है कि उसको मैं कोई परसनल चार्ज के तौर पर कहकर १८२ के अन्दर नहीं लाना चाहता हूं। मुझ पर यह तोहमत लगाई गई और यह कहा गया कि अगर मैं डेमोक्रेटिक रहता तो उनका साथ क्यों छोड़ता। मैं दकियानूसी हो गया हूं और डेमोक्रेसी से कोसों दूर भागता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा सवाल है जो बहुत बड़ा है इसमें काफी समय की आवश्यकता है और मैं इसको पूरे तौर से, पूरे ढंग से, यहां कहता ....

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मेरा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है कि स्वशासन मंत्री जी इस समय जो बात उठा रहे हैं उसके लिये कोई यह वक्त नहीं है। उनको अगर कोई शिकायत है तो प्रिविलेज के लिये आपको लिखें। इस वक्त जो प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी ने यह रेफलेक्शन किया कि आपकी मरजी से अनपार्लियामेंटरी शब्द जितने जोड़े जायेंगे उतना ही अच्छा है। चेयर के जरिये प्रश्न किये जाने पर माननीय मंत्री ने कहा कि आपने बरदाश्त किया। यह सब चेयरमैन के लिये था।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठ जायं। मैं समझता हूं कि यह कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर आपका नहीं है। अगर कोई चीज अभी व्याख्यान में पहले कही गई है तो उसके ऊपर उत्तर माननीय मंत्री अगर दे रहे हैं तो उस जवाब को आपको सुनना चाहिये।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि इस रूलिंग के लिये और मुझे यह आशा नहीं थी कि इतनी परेशानी फौरन ही शुरू हो जायगी। मैं यह बात बहुत साफ कह देना चाहता हूं कि मैंने साथ नहीं छोड़ा था। जिन लोगों ने इस सवाल को उठाया है वही पहले उस स्थान से हट गये थे जिसको वह मेरा साथ छोड़ना कहते हैं। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी वह कांग्रेस के अन्दर थी। उसका मूल सिद्धांत यह था कि कांग्रेस का जब तक चार आने का मेम्बर न हो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मेम्बर नहीं हो सकता और कांग्रेस लफ्ज पहले जुड़ा हुआ था। नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लेना उसका फर्ज था। इन आधार पर यह दो मोटे आदर्श थे जिन पर कम्युनिस्ट पार्टी से अलग सोशलिस्ट पार्टी को बनाने की जरूरत महसूस हुई थी। इसलिये जो कांग्रेस में कांग्रेस सोशलिस्ट रह गये उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को नहीं छोड़ा।

सोशलिस्ट पार्टी ने अपना पहला स्थान जो सन् १९३४ में तय किया था उसको छोड़कर वह हट गयी और जो बाद में गल्तियाँ की मैं उस बहस में नहीं पड़ता हूं। अगर कोई मौका होगा तो मैं उसे बतलाऊंगा लेकिन मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैंने उसको छोड़ दिया। उन्होंने गलतियां कीं, कांस्टिटुएंट असेम्बली में जा करके उन्होंने गल्तियां कीं। उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर के गल्ती की और सोशलिज्म को कमजोर किया। जब मैंने छोड़ा था तब कुछ दुबिधा हो सकती थी लेकिन आज जिन नेताओं के नेतृत्व में सोशलिस्ट पारटी चल रही है।

श्री अध्यक्ष--माननीय मंत्री जी जितना पर्सनल एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो उतना ही कहें। उसके अलावा जो उनकी राय होगी वह खाली राजनैतिक बात हो जायगी।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उस समय नहीं थे क्षमा कीजियेगा, जो कहा गया है उसी का जवाब चन्द शब्दों में अपने पर्सनल एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं। कहा गया कि हमारा साथ क्यों छोड़ दिया, मैं बड़ा दकियानूसी हूं, डेमोक्रैसी से कोसों दूर भागता हूं, इस प्रकार की बहुत सी बातें कहीं गयीं और एक लम्बा चौड़ा हमला था।

[श्री मोहनलाल गौतम]

में एक सेनटेंस में उसको खत्म कर रहा था, मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं थी, और यह है कि मैं खुश हूं इस बात से कि मैंने सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ दिया। जो लोग सोशलिस्ट पार्टी में हैं वे खुश हैं लेकिन मेरा विचार यह है कि जिस नेतृत्व में आज सोशलिस्ट पार्टी गयी है, उसमें वे भी उनके साथ काम नहीं कर सकते। सोशलिस्ट पार्टी में वही लोग गये हैं जिनको हमेशा दकियानूसी कहा गया है। जिन्होंने हमेशा सोसलिस्ट पार्टी का विरोध किया आज उन्हीं के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी चल रही है ऐसी दशा में जो लोग सोशलिस्ट पार्टी में हैं वे जितनी जल्दी हट जायं उतना ही अच्छा है।

एक सदस्य--मिनिस्टर भी बन जायं।

श्री मोहनलाल गौतम--मिनिस्टर बनने के लिये बहुत से सोशलिस्ट लालायित थे। बहुत से सोशलिस्ट जो मिनिस्टर नहीं बने वे बाहर चले गये। बहुत से सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे जो मिनिस्ट्री के लालायित थे और क्योंकि वह मिनिस्टर नहीं बने इसलिये सोशलिस्ट पार्टी बाहर गयी। उन नेताओं का एक एक करके मैं नाम ले सकता हूं, सेंटर में और प्राविंस में, जो कोशिश में थे और जब नहीं बने हैं तब सोशलिस्ट पार्टी को बाहर खींचने की कोशिश की है। मिनिस्टर बनना आसान नहीं है। मिनिस्ट्री के लिये मैं मिसालें दे सकता हूं और मुझे यह मालूम है कि किन किन नेताओं ने कब कब मिनिस्टर बनने की कोशिश की। इस बहस में अब मैं ज्यादा नहीं पड़ूंगा। मैंने नहीं कहा कि हम दूध के धुले हुये हैं। कोई भी आदमी दूध का धुला नहीं है। जिनको अभी हुकूमत मिली है और जिनके लिये हम यह कहते हैं कि अभी काफी सुधार की आवश्यकता है आज केवल मिनिस्टर बनने से यह कह देना कि वह सब चीजें ठीक हो गयीं, यह बिलकुल गलत होगा। हम चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी गलतियां हो सकती हैं। जो गलतियां सामने आयेंगी हम उनको दुरुस्त करेंगे। हम यह कहें कि जो बात आज हो रही है वह ठीक हो रही है, ऐसा हमने कभी कहा नहीं। इस तरह मैं इन तमाम पोलिटिकल डिस्कशन्स में न पड़ कर इस संशोधन का जो दो साल से एक साल करने का है विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित नयी धारा 10. A की उपधारा (1) के प्रतिबन्ध की अंतिम पंक्ति में शब्द "two years" के स्थान पर शब्द "one year" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१६

विपक्ष में--१०५।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड ८

यू० पी० ऐक्ट, २ १९१६ की धारा ११ और १३ से १७ तक का निकाला जाना।

८--मूल अधिनियम की धारा ११ और १३ से १७ तक तक निकाल दी जायें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं—

वर्तमान खंड ८ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"८—मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित लिखा जाये :—

"11. (1) For purposes of elections to a board these shall be wards provided by order under section 11-B.

(2) The representation of each ward shall be on the basis of population of that ward as ascertained at the last census held under the provisions of the Indian Census Act, 1950 and shall directly be in the same proportion as the total number of seats for the Municipality be to its population."

श्रीमन्, यह संशोधन वैसे तो एक ड्राफ़्टिंग की गलती को दूर करने के लिये है लेकिन यह फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से जरा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं खंड ८ की तरफ जैसा कि वह इस समय है, उसमें लिखा हुआ है :

"Sections 11 and 13 to 17 of the Principal Act shall be deleted."

तो पहली बात तो यह है कि एक ही खंड के द्वारा इतनी धाराओं का डिलीट किया जाना, यह जरा शोभा नहीं देता। इस के बाद जो आगे खंड ९ आया है उसकी शुरूआत की लाइन इस प्रकार है :—

"After Section 11 of the Principal Act the following new sections from 11-A to 11-C, from 12-A to 12-H, and from 13-A to 13-K shall be added."

तो एक ही खंड के द्वारा ११ (ए) से ११ (सी) तक, १२ (ए) से १२ (एच) तक और १३ (ए) से १३ (के) तक धारायें जोड़ी जा रही हैं।

मैं यह समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक ही खंड के द्वारा तीन धाराओं में जो अलग अलग माने रखती हैं उनमें नयी धारायें जोड़ दी जायं। इसके बारे में इस विधेयक में नया खंड आना चाहिये और इसीलिये मैंने आगे चल कर अपने संशोधन नम्बर ४६ में इसको इस प्रकार रखा है कि "खंड ९ के आगे ९ बी ···· " वगैरह। तो इस प्रकार का उपखंड जोड़ दिया जाय और उसके अनुसार नयी धारायें जोड़ी जायं। इसके अलावा जो आपत्ति है वह यह है कि खंड ९ में लिखा हुआ है कि "आफटर सेक्शन ११ आफ दि ऐक्ट · · · · · ·" तो श्रीमन्, जब सेक्शन ११ निकाल दिया जायगा तो आफटर सेक्शन ११ कहां रह गया? फिर तो आफटर सेक्शन १० रहेगा। तो इसलिये इस संशोधन के द्वारा मेरा तात्पर्य यह है कि इस विधेयक में जो धारा ए लिखी है वह धारा ११ लिखी जाय। इसीलिये मैंने वर्तमान धारा ११ ए जो इसी खंड ९ में है उसको ही खंड ८ के अन्दर ठीक कर क लिख दिया है और मैं यह समझता हूं कि ड्राफ़्टिंग की गलती को सही करने के लिये यह बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा, श्रीमन्, जो लास्ट सेंसस है उसकी परिभाषा को मैंने ठीक किया है। धारा ९ की उपधारा २ में लिखा हुआ है।

"The number of seats reserved under sub-section (1) shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats on the board as the population of the Scheduled Castes in the municipality bears to its total population as determined at the last census held under the provisions of the Indian Census Act, 1950."

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तो मैंने अपने संशोधन में "अंडर दि प्राविजन्स आफ दि इंडियन सेंसस ऐक्ट, १९५०," यह और जोड़ दिया है । श्रीमन्, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं यह चाहूंगा कि आप भी अपने अधिकारों का इसमें प्रयोग करें ताकि जो इतनी बड़ी गलती रह गयी है वह सही कर दी जाय और यह विधेयक स्पष्ट हो जाय और इसमें एक सुन्दरता और तारतम्य आ जाय । मुख्य एतराज यह है कि सेक्शन ८ में सेक्शन ११ को डिलीट करने के बाद भी आप आफ्टर सेक्शन ११ कहते हैं । इसलिये मैं नम्बरिंग को ठीक करना चाहता हूं, जो बी है उसको ए करना चाहता हूं और सी को बी करना चाहता हूं । इससे इसमें अधिक स्पष्टता आजायगी । साथ ही जो धारा १२ ए और एच और धारा १३ एच और के आदि हैं उनको मैं उपखंड में रखना चाहता हूं । इससे ड्राफ़्टिंग की गलती ठीक हो जायगी ।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ड्राफ़्टिंग की टेक्निकल चीजें हैं इससे मेरा ख्याल है कि माननीय नारायण दत्त जी को कुछ भ्रम हुआ है । अमेंडिंग बिल में यह होता है कि जो धारा डेलीट हो जाती है उसकी संख्या तो रहती है लेकिन उसकी भाषा सब डेलीट हो जाती है । अगर आप वर्तमान म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट को देखें तो १२ धारा ओमिट हुई है और १८ हुई है लेकिन संख्या उसकी वैसी ही है । इसमें यह है ४६ ए इज रेपील्ड । तो जो ओमिट या रेपील हो जाती है वह भी संख्या रह जाती है और भाषा उसकी डेलीट हो जाती है और उसी तरह से नम्बर पड़ता है । तो धारा ११ डेलीट हो जायगी लेकिन नम्बर ११ रहेगा और उसके बाद यही भाषा आ जायगी कि ११ के बाद । ११ अंक नहीं डेलीट होगा । इसलिये इस बहस को कानूनदां लोगों के ऊपर छोड़ दें और माननीय तिवारी जी इस बहस में न पड़ें यही मुनासिब होगा । दूसरा एतराज उनका यह है कि एक धारा में ही कई धारायें जोड़ देना या ओमिट कर देना । तो ऐसा भी ड्राफ़्टिंग में तरीका है । इसीलिये इस सब झंझट में न पड़ कर जो उसूली बातें हैं उन्हीं को उठायें । यह ड्राफ़्टिंग की कोई गलती नहीं है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वह इस संशोधन को वापस ले लें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ माननीय मंत्री जी के एक्सप्लेशन को सुन कर । जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहले १२ धारा ओमिट हो चुकी है और ओमिट होने पर भी यहां पर कैसे आगई । अगर वह अपनी बात बतलाते हैं तो उन्हें लिखना चाहिये था कि "After Section twelve of the principal Act." और सैक्शन ११ डिलीट ही हो गया तो फिर यह सेक्शन कहां से आयेगा । जो डिलीट हो चुका है तो उसका जिक्र कैसे आ सकता है । इसके साथ साथ मैं आपकी आज्ञा से उनका ध्यान खंड ७ की ओर दिलाना चाहता हूं कि "मूल अधिनियम की धारा १० के बाद निम्नलिखित नई धारा १० (ए) के रूप में रखी जाय" तो इसी तरह से माननीय मंत्री जी को रखना चाहिये जैसे कि इसको रखा है । अगर माननीय मंत्री जी नये सेक्शन को जोड़ते तो यहां पर जोड़ देते । अगर ड्राफ़्टिंग की बात होती तो एक ही खंड में सारे के सारे डिलीट कर दिये जाते और जोड़ भी दिये जाते । मैं समझता हूं कि यह जो ४४ खंड का विधेयक है तो इसकी जरूरत ही नहीं होती । एक के जरिये ही सबको डिलीट कर लेते, जोड़ लेते या सब्सटीट्यूट कर लेते । अगर ऐसा नहीं है तो फिर श्रीमन्, आपको देखना चाहिये । मैं चाहता हूं कि श्रीमन्, आप इस संबंध में कुछ आदेश दें तो ठीक होगा ।

श्री अध्यक्ष--जहां तक आपने पूछा और मंत्री जी ने कहा कि यह ड्राफ़्टिंग का सवाल है तो मैं भी इस तरह से जो ड्राफ्टिंग में गल्ती होती है, उसको दुरुस्त कर देता हूं । आपने (सी) लिख दिया है और (सी) ऊपर आगया है तो मैं इसको ठीक कर देता हूं । अगर सेक्शन ११ डिलीट कर दिया गया है तो इसका नम्बर वहीं पर रहता है और दूसरे सेक्शन को उसके बाद ही कहा जाता है । इसी तरह से इसमें १२ (ए) दिया है । इसका

मतलब यह है कि जो डिलीट की हुई धारा मान कर मौजूद है उसके बाद यह पढ़ा जायगा। इस तरह से मुझे दुरुस्त करना पड़ेगा जिस वक्त यह चीज आयेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जब आप कर ही देंगे तो मैं इसको वापस ले लेता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप यदि वापस लेना चाहें तो ले लीजिये। आप जैसा चाहते हैं उस तरह से तो नहीं करूंगा। आपकी जो कठिनाई थी और आपने जो स्पष्टीकरण पूछा था उसको मैंने आपके सामने रख दिया। ड्राफ़्टिंग की बेसिस पर मैं नहीं चाहता कि सदन का समय नष्ट हो।

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं कि ड्राफ़्टिंग के तौर पर ठीक है। इसके आगे मुझे कुछ और कहना नहीं है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड ८ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय--

८---मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित लिखा जाय--

"11. (1) For purposes of elections to a board these shall be wards provided by order under section 11-B.

(2) The representation of each ward shall be on the basis of population of that ward as ascertained at the last census held under the provisions of the Indian Census Act, 1950 and shall directly be in the same proportion as the total number of seats for the Municipality be to its population."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

९---मूल अधिनियम की धारा ११ के बाद निम्नलिखित नई धाराएं 11-A से 11 C तक, 12-A से 12-H तक और 13-A से 13-K तक रक्खी जायें।

Delimitation of Wards.

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की नई धारायें ११-ए से लेकर ११-सी तक, १२-ए से लेकर १२-एच, तक और १३-ए से लेकर १३-के तक का रक्खा जाना।

DELIMINATION

11-A. (1) For purposes of elections to a board there shall be wards provided by Order under section 11-B.

(2) The representation of each ward shall be on the basis of population of that ward as ascertained at the last census and shall as far as possible be in the same proportion as the total number of seats for the municipality and its population.

Delimitation Order.

11-B. (1) The State Government shall, by Order, determine—

(*a*) the wards in which each municipality shall be divided for purposes of elections to the board;

(*b*) the extent of each ward;

(*c*) the number of seats allotted to each ward; and

(*d*) the number of seats, if any, reserved for the Scheduled Castes.

(2) The draft of the Order under sub-section (1) shall be published for objections for a period of not less than 15 days and a copy of the same shall be sent to the board or boards concerned for comments.

(3) The State Government shall consider any objections and the comments filed under sub-section (2) and the draft Order shall, if necessary, be amended, altered or modified accordingly and thereupon it shall become final.

Amendment of Delimitation Order.

11-C. The State Government may, after consulting the board concerned, by a subsequent Order, alter or amend the final Order under sub-section (3) of section 11-B.

Electoral Rolls

Elections on the basis of adult suffrage.

12-A. Except as provided in section 10, the election of the members of a board shall be on the basis of adult suffrage.

Electoral Roll for every ward.

12-B. (1) There shall be an electoral roll for every ward which shall be prepared in accordance with the provisions of this Act under the supervision of the Director of Elections (Local Bodies).

(2) The Electoral Registration Officer shall, for purposes of preparation of the elctoral rolls for the ward, adopt the Assembly rolls relatable to the area comprised in the said ward and publish the same in the manner prescribed, and upon its publication it shall, subject to any alteration, addition or modification made under or in accordance with this Act, be the electoral rolls for the ward prepared in accordance with this Act.

Act XLIII of 1950.

(3) Where any addition, omission, alteration or other amendment is made under the Representation of the People Act, 1950, or the Rules framed thereunder, in the Assembly rolls relatable to the area of the ward, a similar amendment shall be made in the corresponding electoral roll of the ward.

Qualifications for electors.

12-C. Subject to the provisions of section 12-D, every person who is qualified to be registered in the Assembly electoral roll relatable to the area comprised in the ward or whose name is entered therein shall be entitled to be registered in the electoral roll of the ward.

Dis-qualifications for registration in an electoral roll.

12-D. (1) A person shall be disqualified for registration in an electoral roll if he is disqualified for registration in the Assembly rolls.

(2) The name of any person who becomes so disqualified after registration shall forthwith be struck off the electoral roll of the ward in which it is included:

Provided that the name of any person struck off the electoral roll of a ward by reason of disqualification under sub-section (1) shall forthwith be reinstated in that roll if such disqualification is, during the period such roll is in force, removed under the provisions of this Act or under any other law authorising such removal.

12-E. (1) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for more than one ward in the same municipality.

Registration be in one ward and in one place.

(2) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for any ward more than once.

12-F. The electoral roll for each ward shall be prepared by an Electoral Registration Officer who shall be such officer of the State Government or of a local authority as the State Government may designate or nominate in this behalf.

Electoral Registration Officers.

12-G. The electoral roll for each ward shall be revised every year in accordance with the provisions of this Act.

Annual revision of electoral rolls.

12-H. The State Government may, by Order, make provisions in respect of the following matters concerning the electoral rolls, namely,—

Order re: electoral rolls.

(*a*) the date on which the electoral rolls first prepared and subsequently prepared under this Act shall come into force and their period of operation;

(*b*) the correction of any existing entry in the electoral roll on the application of the elector concerned;

(*c*) the correction of clerical or printing errors in the electoral rolls;

(*d*) the inclusion in the electoral rolls of the name of any person—

(i) whose name is included in the Assembly rolls for the area relatable to the ward but is not included in the electoral roll of the ward or whose name has been wrongly included in the elctoral roll of some other ward; or

(ii) whose name is not so included in the Assembly rolls and who is otherwise qualified to be registered in the electoral roll of the ward;

(*e*) annual revision of the electoral rolls;
(*f*) custody and preservation of the electoral rolls; and
(*g*) generally for all matters relating to the preparation and publication of the electoral rolls.

Conduct of Elections

13-A. Except as provided in section 31 or 31-A there shall be a general election to a board before the expiry of the term or extended term, as the case may be, of the board under section 10-A on such date or dates as the State Government may, by notification in the official *Gazette*, appoint in that behalf.

General Elections.

13-B. The Director of Elections (Local Bodies) shall supervise the conduct of elections under this Act.

Conduct of elections to be surpervised by the Director of Elections (Local Bodies).

Qualifications for membership of the Board.

13-C. A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat on a board unless—

(*a*) in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes he is a member of any of these castes and is an elector for any ward in the municipality ;

(*b*) in the case of any other seat, he is an elector for any ward in the municipality.

Disqualifications for membership.

13-D. A person, notwithstanding that he is otherwise qualified, shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of a board if he—

(*a*) is a dismissed servant of the State or Central Government and is debarred from re-employment therein, or

(*b*) is debarred from practising as a legal practitioner by order of any competent authority, or

(*c*) holds any place of profit in the gift or disposal of the board, or

(*d*) is disqualified under section 27 or 41, or

(*e*) is disqualified under section 146 of the Representation of the People Act, 1951 ;

(*f*) is in the service of the State or the Central Government or any local Authority, or is a District Government Counsel or an Additional or Assistant District Government Counsel or an Honorary Magistrate or an Honorary Munsif or an Honarary Assistant Collector ;

(*g*) is unable to read and write Hindi, or

(*h*) is in arrears in the payment of Municipal Tax or other dues in excess of one year's demand to which section 166 applies, or

(*i*) is suffering from leprosy, or

(*j*) is an undischarged insolvent :

Provided that in cases of (*a*) and (*b*) the disqualification may be removed by an order of the State Government in this behalf.

Right to vote.

13-E. (1) No person who is not, and except as expressly provided by this Act, every person who is, for the time being entered in the electoral roll of any ward shall be entitled to vote in that ward.

(2) No person shall vote at an election in any ward if he is subject to any of the disqualifications referred to in section 12-D.

(3) No person shall vote at a general election in more than one ward and if a person votes in more than one such ward, his votes in all such wards shall be void.

(4) No person shall at any election vote in the same ward more than once, notwithstanding that his name may have been registered in the electoral roll for that ward more than once and if he does so vote, all his votes in that ward shall be void.

(5) No person shall vote at any election if he is confined in a prison whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise, or is in the lawful custody of the Police.

13-F. (1) In plural member wards every elector shall have as many votes as there are members to be elected, but no elector shall give more than one vote to any one candidate. **Method of voting.**

(2) If an elector gives more than one vote to any one candidate in contravention of the provisions of sub-section (1), then, at the time of counting of votes, not more than one of the votes given by him to such candidate shall be taken into account and all other votes given by him to such candidate shall be rejected as void.

13-G. The State Government may, by Order, make provision with respect to the following matters concerning conduct of elections, that is to say— **Order regarding conduct of elections.**

(*a*) issue of notifications for general elections ;

(*b*) the appointment, powers and duties of Returning Officers, Assistant Returning Officers, Presiding Officers and Polling Officers and clerks ;

(*c*) appointment of dates for nomination, scrutiny, withdrawal and polling ;

(*d*) the manner of presentation and the form of nomination paper, the requirements for a valid nomination, scrutiny of nominations and withdrawal of candidature ;

(*e*) appointment and duties of election agents, polling agents and counting agents ;

(*f*) procedure at general elections including death of candidate before poll, procedure in contested and uncontested elections, special procedure at elections in wards where seats are reserved for Scheduled Castes ;

(*g*) identification of voters ;

(*h*) hours of polling ;

(*i*) adjournment of poll and fresh poll ;

(*j*) manner of voting at elections ;

(*k*) scrutiny and counting of votes including recount of votes and procedure to be followed in case of equality of votes and declaration of results ;

(*l*) the notification of the names of the members elected for the various wards of a municipality and the due constitution of the board ;

(*m*) return or forfeiture of deposits ;

(*n*) manner in which votes are to be given by the presiding officers, polling agents or any other person who being an elector for a ward is authorized or appointed for duty at a polling station at which he is not entitled to vote ;

(*o*) the procedure to be followed in respect of the tender of vote by person representing himself to be an elector after another person has voted as such elector ;

(*p*) the safe custody of ballot boxes, ballot papers and other election papers, the period for which such papers shall be preserved and the inspection and production of such papers ; and

(*q*) generally on all matters relating to conduct of elections.

Bye-elections.

13-H. (1) Subject to the provisions of sub-section (2) and section 13-I, when the seat of a member elected to a board becomes vacant or is declared vacant or his election is declared void, the District Magistrate shall, in consultation with the board, by a notification in the official *Gazette,* call upon the ward concerned to elect a person for the purpose of filling the vacancy caused before such date as may be specified in the notification and the provisions of this Act and of the Rules and Orders made there under, shall apply, as far as may be, in relation to the election of a member to fill such vacancy.

(2) If the vacancy so caused be a vacancy in a seat reserved in any such ward for the Scheduled Castes, the notification issued under sub-section (1) shall specify that the person to fill that seat shall belong to the Scheduled Castes.

Certain casual vacancies not to be filled.

13-I. Where a vacancy occurs on a board by reason of death, resignation, removal or avoidance of an election of an elected member and the term of office of that member would in the ordinary course of events, have determined within one year of the occurrence of the vacancy, the State Government may direct that the vacancy be left unfilled until the next general elections.

Electoral Offences.

13-J. (1) The provisions of sections 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135 and 136 of Chapter III of Part VII of the Representation of the People Act, 1951, shall have effect as if—

(*a*) the references therein to an election were a reference to an election held under this Act;

(*b*) for the word "constituency" the word "ward" had been substituted;

(*c*) in section 130 for the words "100 yards" the words "25 yards" had been substituted; and

(*d*) in sections 134 and 136 for the words "by or under this Act or under the Representation of the People Act, 1950 (XLIII of 1950)," the words "by or under the Municipalities Act, 1916." had been substituted.

(2) If the Director of Elections (Local Bodies) has reason to believe that any offence punishable under section 129 or 134 or under clause (*a*) of sub-section (2) of section 136 of the said chapter has been committed in reference to any election to a board, it shall be the duty of the Director of Elections (Local Bodies) to cause such enquiries to be made and such prosecutions to be instituted as the circumstances of the case may appear to him to require.

(3) No court shall take cognizance of any offence punishable under section 129 or under section 134 or under clause (*a*) of sub-section (2) of section 136 unless there is a complaint made by order of or under authority from the Director of Elections (Local Bodies).

Jurisdiction of Civil Courts.

13-K. (1) No Civil Court shall have jurisdiction—

(*a*) to entertain or adjudicate upon any question whether any person is or is not entitled to be registered in an electoral roll for a Ward; or

(*b*) to question the legality of any action taken by or under the authority of an Electoral Registration Officer or of any

decision given by any authority appointed under this Act, for the revision of any such roll ; or

(*c*) to question the legality of any action taken or any decision given by the Returning Officer or by any other officer appointed in this Act in connection with an election.

(2) No election shall be called in question except by an election petition presented in accordance with the provisions of this Act.

श्री मदन मोहन उपाध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 11—A की उपधारा (२) की दूसरी पंक्ति में शब्द "last census" के बाद शब्द "held under the provision of the Indian Census Act, 1950" जोड़ दिये जायं।

यह सफाई करने के लिये मैंने यह संशोधन पेश किया है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम---इस समय तो जरूर सफाई हो जाती है लेकिन लास्ट सेन्सस में वे सब सेन्सस शामिल होंगे जो ५० के बाद होंगे और यह ऐक्ट लागू होगा वे सब सेन्सस भी लागू होंगे। इसलिये इसके करने का मतलब यह होगा जो सेन्सस ६० में लागू होगा उसके आधार पर कोई चीज नहीं ली जा सकेगी जब तक कि यह धारा बदली न जाय। इसलिये मैं इसकी मुखालिफत करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसे वापस ले लेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने इस बात को समझने की कोशिश की। माननीय मंत्री जी क्योंकि यह कहेंगे कि मैं एक भी प्रस्ताव वापस नहीं लेता हूं और सुबह उन्होंने मेरी एक बात मान ली थी लिहाजा इस समय मैं उनकी यह बात माने लेता हूं और अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री मदन मोहन उपध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में प्रस्पतावित नयी धारा 11—A की उपधारा (२) की पंक्ति २ व ३ में शब्द "as far as Possible be in the same" के स्थान पर शब्द "be indirect" रख दिये जायं।

जैसा कि मंत्री जी ने सुबह कहा था...

श्री मोहनलाल गौतम---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर (श्रीमान् जी, मैं विधान का प्रश्न उठाता हूं।) यह मसला आज सुबह ही तै हो चुका है। क्या यह उससे कवर नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष---यह तो कोई प्रिन्सिपिल का सवाल नहीं है। शब्द वह बदलना चाहते हैं मुझे लेना ही पड़ेगा क्योंकि यह इसमें दूसरी जगह पर है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह स आज यह अमेंडमेंट आया है उससे इस बात की सफाई नहीं आती। जैसा नारायण दत्त जी ने कहा कि १ मुहल्ले में ४ हजार आदमी बसते हैं, उसके अन्दर यह रखना "as far as possible" इस धारा में "The representation of each ward shall be on the basis of population of that ward as ascertained at the last census and shall as far as possible be in the same proportion."

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

का अर्थ जो है वह जरा वेग सा है, इसमें सफाई नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि मुहल्लों की जितनी आबादी हो उसी के हिसाब से उनकी सीट्स हों, उसी के प्रोपोर्शन के मुताबिक उस वार्ड को सीट्स दी जायं। इस वास्ते मैं समझता हूं कि इसमें यह सफाई कर दी जाय और जितनी पापूलेशन उस वार्ड की होगी उतनी सीट्स उसे मिल जायंगी।

श्री मोहनलाल गौतम--इस सवाल पर सुबह काफी बहस हो चुकी है और उसके लिये जो दलील मैंने पहले दी थी वही दलील इसमें भी समझी जाय। इसलिये मैं कुछ अधिक न कह कर यह कह सकता हूं कि यह मुझे स्वीकार नहीं है।

(इसके बाद सदन ५ बज कर २ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१५ दिसम्बर, १९५२।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर)

फार्म का नाम		जिला जिसमें स्थित है
१. हेमपुर	..	नैनीताल
२. भरारी	..	झांसी
३. नील गांव	..	सीतापुर
४. कमयार	..	बाराबंकी
५. माधुरी कुंड	..	मथुरा
६. अन्देश नगर	..	लखीमपुर खीरी
७. आराजी लाइन्स	..	बनारस
८. सैदपुर	..	झांसी
९. मंझरा	..	लखीमपुर खीरी
१०. निबलेट	..	बाराबंकी
११. बाबूगढ़	..	मेरठ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ व १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर)
विवरण पत्र-संख्या १

क्र. सं.	हल्के का नाम	ज़िले का नाम	केन्द्र का नाम
१	लखीमपुर	१ खीरी	१ पलिया
			२ धौरहरा
			३ आभापुर
			४ रामपुर कटौली
			५ सिंधाई
			६ केवलपुरवा
			७ झांडी
	लखीमपुर	२ पीलीभीत	८ लोकिहा
			९ पुरानपुर
			१० जहानाबा
२	बिसवां	३ सीतापुर	१ शंकुरा
			२ सेवता
			३ तुमबौर
			४ महोबा
			५ थानयाब
			६ जहानाबाद
			७ सकरान
	बिसवां	४ बाराबंकी	८ गणेशपुर
			९ कुतपोधाम
			१० दौलतपुर

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रम संख्या		जिले का नाम	केन्द्र का नाम
	बिसवां	५ फैजाबाद	११ धौरहरा
३	गोंडा	६ गोंडा	१ कर्नेलगंज
			२ नबाबगंज
			३ फखका
			४ तराबगंज
			५ सराय रासी
			६ बिछिया
	गोंडा	७ बहराइच	७ बहराइच
			८ जरवल रोड
			९ पयागपुर
			१० बोहिमपुरवा
			११ नानपारा
			१२ मिंदा अकील
४	गोरखपुर	८ गोरखपुर	१ सिसवाबाजार
		९ बस्ती	२ रसियाबजार
			३ पुर्बी दिया
			४ कैंसबारी
			५ बांसी
			६ मुखसिलपुर
	गोरखपुर	१० देवरिया	७ समकोहारोड
			८ घाटपार रानी
			९ छितौनी
			१० रामकोला

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	जिले का नाम	केन्द्र का नाम
५ रसूरा	११ बलिया	१ कोवरनगांव
		२ सिकन्दरापुर
		३ बनियार
		४ देलबारा रोड
		५ रेआती
	१२ आजमगढ़	६ सुरामपुर
		७ दुधारी
		८ राजासुल्तानपुर
		९ गोलाबाजार
६ काशीपुर	१३ नैनीताल	१ काशीपुर
		२ हरदवांसी
		३ खनेवां
		४ सिखारगंज
		५ बाजपुर
		६ देवराई
	१४ रामपुर	७ रबाए
		८ विलासपुर
६ काशीपुर	१५ बरेली	९ बहेरी
७ मुरादाबाद	१६ मुरादाबाद	१ बेलारी
		२ बछरांव
	१७ बिजनौर	३ अफजलगढ़
		४ तिबाहरा
		५ दारानगर
	१८ सहारनपुर	६ लक्सर
	१९ मुजफ्फरनगर	७ मुजफ्फरनगर
		८ नानेता
		९ ननगोह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विवरण पत्र संख्या २

केन्द्र	१९४९		१९५०		१९५१	
	मन	क़ीमत	मन	क़ीमत	मन	क़ीमत
		रुपया		रुपया		रुपया
लखीमपुर	८१,०००	२५,१२,०००	१,३७,१३९	४५,२५,५८७	२,८५,९१५	१२,५८,०२६
बिसवां	३,२१०	१,०२,७२०	४५,८७०	१५,१३,७१०	८५,५७०	३७,६५,०८०
गोंडा	७,०२०	१,२४,६४०	३०,८५४	१०,१८,१८२	५७,०५९	२५,११,६९६
गोरखपुर	१२,०००	३,८४,०००	१२,७८१	४,२१,७७३	२४,६६०	१०,८५,०४०
रसरा	..	..	५,१०१	१,६८,३३३	९,४५५	४,१४,०२०
काशीपुर	..	..	३,११५	१,०२,७९५	५,९७८	२,६३,०३२
मुरादाबाद	..	..	३,२४०	१,०६,९२०	१८,५६७	८,१६,९४८

नोट—इस वर्ष लगभग ८ लाख़ टन जूट रेसा उत्पन्न होने की आशा है जिसकी क़ीमत का अनुमान १ करोड़ २८ लाख रु० का है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर)

विवरण पत्र संख्या ३

जूट की दरें

सन्	भाव
१९४८	२६ रु० से ३४ रु० तक
१९४९	२६ रु० से ३८ रु० तक
१९५०	२८ रु० से ३८ रु० तक
१९५१	२८ रु० से ६० रु० तक
१९५२	आरम्भ में १८ से २० रु० अब ९ रु० से १६ रु० है।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१३० एल-ए—१९५२-८५०